राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का ५२वां दिवस [संख्या ३५

शुक्रवार, १५ अप्रेल, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

————

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

————

तारांकित प्रश्नोत्तर

[विकास, गृह, उद्योग, यातायात, वित्त, शिक्षा, रसद, न्याय, समाज कल्याण, खनिज, पंचायत, योजना तथा सार्वजनिक-सम्पर्क विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या १०४३

श्री मनरूपराम परिहार ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०४४

श्री धर्मपाल पंवार ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०४५

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०४६

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०४७

श्री सज्जनसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०४८

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०४९

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०५०

Page No.2

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री पी० के० चौधरी ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०५१

श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०५२

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री वीराराम ।

सिरोही के स्वरूपगंज कस्बे में हरिजन कॉलोनी निर्माण योजना

१०५३. श्री वीराराम (सिरोही—सु०) : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जिला सिरोही के स्वरूपगंज कस्बे में हरिजन कॉलोनी बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो वह कब तक बना दी जावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जी नहीं ।

प्रश्न संख्या १०५४

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०५५

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०५६

श्री धन्नालाल हरित ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०५७

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री रामधन ।

थाना दौसा के अन्तर्गत गांवों में सन् १९५९-६० में हुई चोरियां एवं उनकी बरामदगी

१०५८. श्री रामधन (दौसा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) थाना दौसा के कितने गांवों में सन् ५९ व ६० में कितनी चोरियां हुई हैं, कितने गांवों की ओर से थाना दौसा में चोरी सम्बंधी रिपोर्ट दर्ज हुई है और कितनी चोरियां स्थानीय थानेदार ने बरामद करवाई हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि ग्राम टेठड़ा में रामशरण व महादेवा चौकीदारों ने ग्राम जोरोता से एक बैल चुराया था और टेठड़ा के काश्तकारों ने इन चौकीदारों को मय बैल के पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द किया था ? यदि हां, तो पुलिस ने इस केस में क्या कार्यवाही की ?

(श्री रामधन)

(ग) क्या जनता की तरफ से रामशरण, चौकीदार टेठड़ा व मोरिया, चौकीदार सिवास के खिलाफ शिकायतों की दख्वीस्त पेश हुई हैं ? यदि हां, तो इन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? अगर नहीं की गई, तो क्यों ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : सन् ५६ में ३० गांवों में ७६ चोरियां हुई और ३० गांवों से ही रिपोर्ट्स दर्ज करवाई गईं। ४० चोरियां बरामद हुईं। सन् ६० में १० गांवों में १६ चोरियां हुईं और १० गांवों से ही रिपोर्ट्स दर्ज करवाई गईं। ३ चोरियां बरामद करवाई गईं।

(ख) जी नहीं। रेवरियां बलाई का बैल सर्वश्री रामला पुत्र पीपला सांसी ग्राम जटवाड़ा एवं श्योसहाय पुत्र अकबरिया सांसी ग्राम दयातपुरा ने चोरी किया था और उन्होंने इसको रामशरण पुत्र महादेव मीना, चौकीदार ग्राम ठेठड़ा एवं मोरियां पुत्र जवाना मीना ग्राम सिवास को बेच दिया। जब रामशरण एवं मोरियां उस बैल को ले जा रहे थे तो ग्राम वालों ने उनको रोक कर पुलिस में पेश कर दिया। पुलिस ने मुकदमे की तफतीश के पश्चात् रामला व श्योसहाय का चालान भारतीय दण्ड संग्रह की धारा ४५७।३८०।४११।७५ के अन्तर्गत व रामशरण मोरिया का चालान भारतीय दण्ड संग्रह की धारा ४११।४१४ के अन्तर्गत दिनांक ८-१-६० को किया जो कि अदालत में चल रहा है।

(ग) सर्व श्री रामशरण मीना व मोरियां मीना के विरुद्ध और कोई शिकायत सिवाय उपरोक्त शिकायत के प्राप्त नहीं हुई।

श्री रामधन : और भी दस-बीस मामलों की शिकायतें आई थीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसी मामले की शिकायत आई और किसी की नहीं आई ?

श्री रामधन : वह बैल किसके सुपुर्द किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो अदालत ने जिसको सुपुर्द किया होगा।

प्रश्न संख्या १०५६

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०६०

श्री लादूराम।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०६१

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०६२

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०६३

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

Page No.4

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न संख्या १०६४

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०६५

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०६६

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०६७

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १०६८

श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री पृथ्वीराज।

सवाई माधोपुर जिले की पार्टियों को सन् १९५८, ५९ व ६० में निर्धारित कोल, कोक व आइरन स्टील के कोटे का अलॉटमेंट

१०६९. श्री पृथ्वीराज (गंगापुर-सु०): क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

सवाई माधोपुर जिले को सन् १९५८, ५९ तथा १९६० में कितना को कोल कोक, व आइरन स्टील का कोटा निर्धारित किया गया और कितना वास्तव में दिया गया ? किस किस पार्टी को कोटा नहीं मिला और क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब नहीं आ सका, इसलिए अगले टर्न पर दे दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज।

जयपुर से गंगापुर वाया दौसा रूट पर चलने वाली बसों की स्थिति

१०७०. **श्री पृथ्वीराज** (गंगापुर सु०) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार को विदित है कि गंगापुर से दौसा तथा गंगापुर से जयपुर–वाले रूट पर चलने वाली अस्सी प्रतिशत मोटर बसों की हालत अच्छी नहीं है तथा बहुतों में माइलो मीटर भी नहीं है ? क्या यातायात विभाग के इन्सपेक्टर इन बसों का सर्टिफिकेट देने से पहले इन्सपेक्शन करते हैं ?

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जयपुर से गंगापुर व दौसा से गंगापुर जानेवाली बसों के विरुद्ध खराब होने की शिकायत प्राप्त हुई थी और सम्बन्धित इन्सपेक्टर को आदेश दिया जा चुका है कि उनका मुआयना सावधानी से करें।

(श्री रामकिशोर व्यास)

माइलोमीटर न होने की कोई शिकायत आर० टी० ओ० विभाग में पेश नहीं हुई। फिर भी अब जांच कराई जा रही है।

(२) जी हां। फिटनेस देने से पहले गाड़ियों का इन्सपेक्शन किया जाता है।

श्री पृथ्वीराज : ऐसी गाड़ियां चलती हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : उनको और हिदायत कर दी गई है कि अच्छी तरह मुआयना करें।

प्रश्न संख्या १०७१

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०७२

श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री पृथ्वीराज।

सवाई माधोपुर जिले के विभिन्न उद्योगों को ऋण वितरण

१०७३. **श्री पृथ्वीराज** (गंगापुर-सु०) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सवाई माधोपुर जिले में किन किन उद्योगों में कितना कितना रुपया ऋण में दिया हुआ है? किन किन पार्टियों पर रुपया बकाया है और कितना तथा उसकी वसूली का क्या इन्तजाम है? जो समय पर ऋण वापिस नहीं लौटा रहे हैं उनके प्रति क्या कार्यवाही सरकार द्वारा की जा रही है?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। वसूली के लिए नोटिस दिये जाते हैं। इसके बावजूद वसूली न होने पर पी० डी० आर० एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

आर० टी० ओ० द्वारा ट्रक नं० २२६ आर० जे० पी० को पांच वर्ष के लिए दिया गया परमिट

१०७४. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि आर० टी० ओ०, जयपुर ने एक ट्रक नं० २२६ आर० जे० पी० को ४० मील के क्षेत्र के लिए ५ वर्ष का परमिट दिया है?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त ट्रक की केरिंग केपेसिटी १४० मन है?

(३) क्या यह सही है कि इस केपेसिटी के ट्रक को इतने छोटे क्षेत्र के लिए परमिट नियमानुसार नहीं दिया जाना चाहिए?

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

(४) क्या यह सही है कि ट्रक पूरे रीजन में चलता है परन्तु जो कुछ कार्यवाही हुई है वह केवल टैक्स से बचने मात्र के लिए है ?

यातायात मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं। यह परमिट नियमानुसार दिया गया है।

(४) इस ट्रक के विरुद्ध पूरे रीजन में चलने की कोई शिकायत इस कार्यालय में नहीं पहुँची है ; इसलिए बाकी प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जब इसकी केपेसिटी १४० मन की है और इस ट्रक को एरिया ४० मील का दिया हुआ है तो इतने छोटे क्षेत्र के लिए क्या आर्थिक नुकसान नहीं होता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : रूल्स के माफिक दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनरूपराम परिहार।

तहसील देसूरी द्वारा ग्राम पंचायत बूसी को विकास कार्यार्थ वितरित धन-राशि एवं उसका उपयोग

१०४३. **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची-सु०) : क्या विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) पाली जिले की बूसी ग्राम पंचायत को तहसील देसूरी द्वारा किन २ विकास कार्यों के लिए किन किन तारीख को कितनी धन राशि दी गई और वह किन किन कार्यों पर खर्च कर दी गई है ? क्या वे कार्य पूरे किए जा चुके हैं ? कितने कार्य पूरे नहीं किए गए ? क्या हिसाब पेश कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक कर दिया जावेगा ?

(२) क्या यह भी सही है कि पंचायत भवन तथा Children's Park हेतु भी रकमें दी गई थीं ? यदि हां, तो उसका आज तक क्या नतीजा रहा ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी सामग्री अभी आई नहीं है इसलिए अगले टर्न पर इसको रख लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : Postponed.

श्री धर्मपाल पंवार।

गांव डांगरवाड़ा, तहसील जमवा रामगढ़ के हरिजनों पर सरपंच का अन्य पुरुषों सहित सामूहिक हमला

१०४४. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर-सु०) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार को विदित है कि दिनांक १२-१२-५९ को गांव डांगरवाड़ा, तहसील जमवा रामगढ़ के हरिजनों पर सरपंच श्री रेवड़राम ने काफी आदमियों को साथ लेकर लाठी बरछों से सामूहिक हमला किया ?

(श्री धर्मपाल पंवार)

(ख) यदि हां, तो हरिजनों के कितने मर्द व औरतों को चोटें आई और किस शफाखाने में उनका उपचार किया गया ? चोटों के डॉक्टरी मुआयने की रिपोर्ट क्या है ? सदन की मेज पर रखी जावे।

(ग) उक्त सरपंच तथा उसकी पार्टी के किन किन सदस्यों को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जाकर उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(घ) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच ने हरिजनों की बेगार न देने पर तथा मरे हुए पशु न उठाने पर मारपीट की है ?

(ङ) सरकार ऐसे काण्डों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) श्री रेवड़मल, सरपंच ग्राम, पंचायत डांगरवाड़ा और अन्य व्यक्तियों ने हरिजनों पर ३१–१२–५६ को हमला किया न कि १२. १२. ५६ को।

(ख) ५ स्त्री व ६ पुरुष घायल हुए जिनको जमवा रामगढ़ चिकित्सालय में चिकित्सा व डाक्टरी मुआयने के लिए भेजा गया। एम० ओ०, जमवा रामगढ़ ने श्री खेरियां को एक्सरे मुआयने के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में भेजा। प्रतिलिपि प्रत्येक व्यक्ति के मुआयने की संलग्न है।

(ग) पुलिस द्वारा २० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। श्री भोमा ने अपने को ७. १. ६० को अदालत में उपस्थित किया। वह जमानत पर रिहा कर दिया गया। उन २० व्यक्तियों को २. १. ६० को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। जांच पूरी हो गई है। संयुक्त विकास कमिश्नर, पंचायत के सरपंच के चालान की स्वीकृति मिलने पर चालान अदालत में पेश किया जायेगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) इस विषय में जब कभी शिकायत आती है तो आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री शंकरलाल (रायपुर) : सरपंच अभी तक सरपंच के पद पर है, उसको हटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह पंचायत विभाग से पूछिये।

श्री शंकरलाल: आपने पंचायत विभाग को लिखा होगा ?

श्री दलपतसिंह (आबू) : अभी तक सरपंच का काम कर रहे हैं क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री दलपतसिंह : पुलिस ने सरपंच के खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : चालान पेश करने के लिए पंचायत विभाग से मंजूरी चाही है।

Page No.8

प्रश्न संख्या १०४५

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में सरकारी प्रतिनिधि

१०४६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में सरकारी प्रतिनिधि भी हैं ? यदि हां, तो कौन तथा कब कब से ? इन प्रतिनिधियों ने मिल बन्द होने से पूर्व एक वर्ष में बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की किस २ बैठक में भाग लिया ?

(ख) क्या यह सही है कि सरकारी प्रतिनिधियों ने जो अपना प्रतिनिधित्व किया है वह मिनिट्स में लिखा हुआ है ? यदि हां, तो कृपया उन मिनिट्स की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) सरकारी प्रतिनिधियों के मत के अनुसार मिल के बंद होने के समय तक मिल की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी और यदि उन्होंने इसकी सूचना सरकार को दी, तो सरकार ने उस पर क्या एक्शन लिया ? मिल के बंद होने का क्या कारण है ?

(घ) क्या टैक्सटाइल इन्क्वायरी कमेटी ने मिल को आर्थिक सहायता दिये जाने की सिफारिश की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या एक्शन लिया गया ?

(ङ) मिल मालिकों की ओर से मिल बन्द होने के क्या कारण बताये गये हैं तथा उसके निराकरणार्थ क्या उपाय सुझाये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री):

(क) जी हां।

श्री गोरधनसिंह जी, संचालक, उद्योग विभाग दिनांक १३ मई, १९५९ से सरकार की तरफ से डाइरेक्टर हैं। इससे पहले श्री कक्कड़, संचालक (डाइरेक्टर) थे। इन्होंने मिल बन्द होने से पूर्व एक वर्ष में डाइरेक्टर्स की निम्न बैठकों में भाग लिया :—

बैठक दिनांक १४. ११ ५९,

बैठक दिनांक १५. ११ ५९

(ख) सरकारी प्रतिनिधि की उपस्थिति मिनिट्स में दर्ज है। मिनिट्स की प्रतिलिपियां पेश करना उपयुक्त न होगा।

(ग) मिल के बन्द होने के समय मिल की आर्थिक स्थिति खराब थी। इस स्थिति के बारे में सरकार को पूरी जानकारी थी। सरकार ने राजस्थान की समस्त ऐसी मिलों की जांच के लिये जिनकी स्थिति खराब थी एक जांच कमेटी बनाई। इस कमेटी ने १५ मई, १९५९ को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट पर मिल का प्रबन्ध ठीक न होने के कारण मेनेजिंग एजेन्ट को यह कहा गया कि वह तीन ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें राजस्थान सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो बोर्ड

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ऑफ डाइरेक्टर्स में शामिल करे और एक नया मैनेजर टैक्सटाइल कमिश्नर और राजस्थान सरकार के परामर्श से नियुक्त करे। मैनेजमेंट को यह भी सलाह दी गई वह डिबेन्चर्स इश्यू करके या किसी और प्रकार से २० लाख रुपये की धनराशि दो महीने के अन्दर इकट्ठी करे। मैनेजमेंट ने उपरोक्त सुझावों को कार्यान्वित नहीं किया बल्कि ता० ८. १२. ५९ से ले ऑफ का नोटिस दे दिया। इसके पश्चात् इन्डस्ट्रीज़ एक्ट के तहत जांच करने के लिए कार्यवाही की गई और जांच कमेटी की अन्तरिम रिपोर्ट पर मेनेजिंग एजेन्ट को मिल को १० अप्रेल, ६० तक चालू करने का नोटिस दिया। लेकिन चालू न कर सके और ४. ४. ६० को मिल के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव किया कि मिल राज्य सरकार अपने अधिकार में ले लेवे। इस पर कार्यवाही चालू है।

(घ) टैक्स्टाइल इन्क्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि राजस्थान की सभी मिलों को सुचारु रूप से चलाने के लिये आर्थिक सहायता की अवश्यकता है। अलग अलग मिलों के लिये आर्थिक सहायता की सिफारिश नहीं की; अलबत्ता प्रत्येक मिल को रीहेबिलिटेशन, एक्सपेन्शन और मरम्मत इत्यादि के लिये धनराशि की आवश्यकता होगी, उसका भी एक एस्टीमेट दिया। अगर मेनेजमेंट प्रश्न (ग) के उत्तर में बताये हुए सुझावों का पालन करता तो केन्द्रीय सरकार आर्थिक सहायता देने को तैयार थी; मगर मिल ने ऐसा नहीं किया और इसी कारण कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकी।

(ङ) मिल मालिकों ने बन्द होने के कारण अपने नोटिस जो उन्होंने मिल बन्द करने के लिये दिनांक ७. १२. ५९ को दिया उसमें दर्ज किये हैं। उसके निराकरणार्थ कोई उपाय नहीं सुझाये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : सरकारी प्रतिनिधि की रिपोर्ट के अनुसार इस मिल के मेनेजमेंट में खास तौर से किस प्रकार की खराबियां थीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके मेनेजमेंट में खराबियां थीं। फाइनेन्शियल हालत अच्छी नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह: फाइनेन्शियल हालत ठीक नहीं थी, वह बात तो ठीक है लेकिन मेनेजमेंट में किस प्रकार की खराबियां थीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Management includes every thing. मेनेजमेंट अच्छा होता तो फाइनेन्शियल हालत अच्छी होती। लेबर्स की वेजेज़ पे हो जाती और प्रोफिट अर्न करती।

श्री भैरोंसिंह : सरकारी प्रतिनिधि ने मेनेजमेंट अच्छा नहीं था, इन चीजों पर किस आधार पर एसेस किया था कि अमुक २ बातों के आधार पर यह सारांश निकाला कि मेनेजमेंट अच्छा नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सारे मिलों की जांच की थी और जांच करके पता लगाया था कि मेनेजमेंट ठीक नहीं है, इसलिए सुझाव दिया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन प्रतिनिधियों ने सरकार के समक्ष इस

(श्री भैरोंसिंह)

तरह की बात भी रखी थी कि फाइनेन्शियल पोज़ीशन ठीक नहीं है और फाइनेन्शियल एड सरकार की तरफ से दे दी जाय तो मैनेजमेंट ठीक चल सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका जवाब दिया गया है (ग) के प्रश्न के उत्तर के अन्दर। फाइनेन्शियल एड देने का सुझाव दिया है लेकिन कुछ कन्डीशन्स ले डाउन की थीं, वे मिल ने पूरी नहीं की इसलिए नहीं दी गई।

श्री भैरोंसिंह : तब यह बताइये कि यह सुझाव किसकी तरफ से था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह कहा कि आर्थिक स्थिति खराब थी। इस स्थिति के बारे में सरकार की पूरी जानकारी थी। सरकार ने राजस्थान की समस्त ऐसी मिलों की जांच के लिये जिनकी स्थिति खराब थी एक जांच कमेटी बनाई। इस कमेटी ने सुझाव दिये थे। उन सुझावों का पालन नहीं किया इसलिए गवर्नमेंट आॅफ इंडिया से एड नहीं दी जा सकी।

श्री भैरोंसिंह : मैं जांच कमेटी के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। सरकार के प्रतिनिधि ने सरकार के समक्ष इस प्रकार की बात रखी थी कि इस मिल की पोज़ीशन फाइनेन्शियल ठीक नहीं थी इसलिए फाइनेन्शियल एड दी जाय तो हालत ठीक हो सकती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किस सरकारी अधिकारी ने ?

श्री भैरोंसिंह : सरकारी प्रतिनिधि जो बोर्ड आॅफ डाइरेक्टर्स में जाते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : बोर्ड आॅफ डाइरेक्टर्स ने सुझाव नहीं दिया था कि गवर्नमेंट एड दी जाय। वह कमेटी का सुझाव था।

श्री जयसिंह राणावत (आसींद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मिल चालू कब हो रही है ? केबिनेट ने कई बार यह कहा कि मिल चालू होगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपको जानकारी है कि बोर्ड आॅफ डाइरेक्टर्स ने कभी इस बात को महसूस किया कि इस मिल की हालत, फाइनेन्शियल पोज़ीशन ठीक नहीं है और अगर........

श्री दामोदरलाल व्यास : बोर्ड आॅफ डाइरेक्टर्स हमेशा इस बात को महसूस करते थे कि इस मिल की फाइनेन्शियल हालत खराब है। वे यह भी जानते थे कि यह खराब फाइनेन्शियल हालत उनकी बदइन्तज़ामी की वजह से है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस स्थिति की बोर्ड आॅफ डाइरेक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट के रूप सरकार को जानकारी दी थी कि मिस मैनेजमेंट के कारण फाइनेन्शियल डिफिकल्टी पैदा हो रही थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बार बार मैनेजिंग डाइरेक्टर ने एप्रोच किया है फाइनेन्शियल एड देने के लिए। एप्रोच करने के बाद भी डिफिकल्टीज़ थी कि क्यों नहीं फाइनेन्शियल एड दी जा सकी। फाइनेन्शियल एड देने के लिए कुछ न कुछ

Page No.11

(श्री दामोदरलाल व्यास)

रूल्स बने हुए हैं। उन रूल्स में कुछ कन्डीशन्स हैं। वे कन्डीशन्स उनको बताई गईं। लेकिन उन कन्डीशन्स को उन्होंने फुलफिल नहीं किया, इसलिए एड नहीं दी जा सकी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने सिफारिश की थी और उसके बाद मिल के मैनेजमेंट ने इस प्रकार की दरख्वास्त दी थी कि फाइनेन्शियल एड दी जाय लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सिफारिश का सवाल नहीं पैदा होता है। मैंने कहा कि एन्क्वायरी कमेटी मुकर्रर हुई थी। उसने कुछ साधारण कन्डीशन्स ले डाउन की थीं। जब तक वह कन्डीशन्स फुलफिल नहीं होती हैं तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एड नहीं मिल सकती है। सिफारिश तो तभी की जा सकती है जब कि वह कन्डीशन्स को पूरा करें।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस एन्क्वायरी कमेटी ने इस मिल की जांच की थी उसने सिफारिश की थी कि इसको फाइनेन्शियल एड दी जाय !

श्री दामोदरलाल व्यास : वह एन्क्वायरी कमेटी राजस्थान के तमाम मिलों के लिए थी। उसने तमाम मिलों के लिए सिफारिश की है। जनरल उन्होंने बतलाया कि रिहेबिलिटेशन और रिप्लेसमेंट के लिए किस किस तरह की एड दी जाय उसके लिए कन्डीशन्स ले डाउन की थीं। वे उन्होंने फुलफिल नहीं की थीं।

श्री भैरोंसिंह : कौन सी कन्डीशन्स फुलफिल नहीं कीं इसलिए राज्य सरकार ने सिफारिश नहीं की।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका जवाब (ग) के उत्तर में दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : आपने वह कन्डीशन नहीं बताई जो उन्होंने फुलफिल नहीं की।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस कमेटी ने १५ मई, १९५६ में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसमें उन्होंने कहा कि मैनेजिंग डाइरेक्टर तीन ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें राजस्थान सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करें और एक नया मैनेजर टैक्स्टाइल कमिश्नर और राजस्थान सरकार के परामर्श से नियुक्त करें। मैनेजमेंट को यह भी सलाह दी गई कि वह डिबेन्चर्स इश्यू करके या किसी और प्रकार से २० लाख रुपये की धनराशि दो महीने के अन्दर इकट्ठी करें। मैनेजमेंट ने उपरोक्त सुझावों को कार्यान्वित नहीं किया, बल्कि ता० ८. १२. ५९ से ले ऑफ का नोटिस देकर मिल बन्द कर दिया।

प्रश्न संख्या १०४७

श्री उपाध्यक्ष : श्री सज्जनसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०४८

श्री लक्ष्मीचन्द जैन।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

Page No.12

प्राध्यापकों की नियुक्तियों में प्रशिक्षितों को प्राथमिकता

१०४६. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि प्राध्यापकों की नियुक्तियों में से प्रशिक्षित (Trained) अभ्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि हायर सेकन्डरी, मल्टीपरपज स्कूल, इन्टर, डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट कालेजों के प्राध्यापकों की नियुक्ति ३० वर्ष तक की आयु की हो सकती ?

(३) यदि हां, तो क्या श्री गिरधारी लाल (नोखा) के तारांकित प्रश्न ११६ (४६ सी० एम०) दिनांक २० फरवरी, १६५६ तथा मेरे तारांकित प्रश्न ३७ (२५ सी०एम०) दिनांक ११-८-५६ एवं २८६ (१३ सी०एम०) दिनांक ११ दिसम्बर, १६५६ से सम्बन्धित उत्तरों को ध्यान में रखते हुये यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेन्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में २५ वर्ष से ऊपर की आयु वाले प्राइवेट विद्यार्थियों को प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का पूरा उत्तर प्राप्त नहीं हो सका, इसलिए अगले टर्न पर इसका उत्तर दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : It is, therefore, postponed.

प्रश्न संख्या १०५०

श्री पी० के० चौधरी ।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रश्न का उत्तर दिलाया जाय । बड़ा इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है ।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे क्वेश्चन्स एक्जॉस्ट होने के बाद इसको ले लूंगा ।

प्रश्न संख्या १०५१

श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

नीम का थाना के रेवेन्यू व जुडिशियल अदालतों में श्रीमाधोपुर तहसील क्षेत्र के मुकदमात

१०५२. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नीम के थाने में कौन कौन सी रेवेन्यू व जुडिशियल कोर्ट्स हैं व इन कोर्ट्स का क्षेत्र क्या क्या है ?

(ख) सन् १६५४ से लेकर अब तक किसी किस कोर्ट में कितने २ मुकदमे रजु हुए ।

(ग) इन मुकदमात में श्रीमाधोपुर तहसील के प्रत्येक वर्ष में कितने कितने तथा बाकी क्षेत्र के कितने कितने मुकदमात हैं ?

न्याय मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) नीम के थाने में रेवेन्यू तथा जुडिशियल कोर्ट्स निम्न प्रकार की हैं, उनका क्षेत्र भी साथ में दिया हुआ है :

नाम अदालत	क्षेत्र
१. सब डिवीजनल ऑफि-	तहसील नीम

Page No.13

(श्री रामकिशोर व्यास)

सर एवं सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट	का थाना, तहसील श्री माधोपुर ।
२. सहायक कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास	तहसील नीम का थाना, तहसील श्री माधोपुर
३. तहसीलदार एवं मजिस्ट्रेट, थर्ड क्लास	समस्त, ग्राम तहसील नीम का थाना ।

जुडीशियल कोर्ट्स

१. सिविल जजी	तहसील नीम का थाना, श्री माधोपुर
२. सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट	,, ,, ,,
३. प्रथम श्रेणी दण्डनायक	,, ,, ,,
४. तृतीय श्रेणी दण्डनायक	समस्त ग्राम तहसील नीम का थाना।

(ख) इस संबंध में सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) इस सम्बन्ध में सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

प्रश्न संख्या १०५४

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर एवं खैरवाड़ा से असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स का हटाया जाना

१०५५. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि चित्तौडगढ, डूंगरपुर, खैरवाड़ा से असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स उठा दी गई हैं ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(ख) इन कोर्ट्स के हटाने पर कहां कहां और क्या क्या व्यवस्था की गई है ?

(ग) क्या यह सही है कि असुविधाओं के कारण नई अदालतों में खैरवाड़ा स्थित अदालत में जितने मुकदमे रजू होते थे उसके मुकाबले में मुकदमें कम रजू हुए हैं ? यदि हां, तो कितने ? कृपया इस अर्से में खैरवाड़ा तथा नई अदालत में जितने मुकदमात दर्ज हुए हैं उनका कम्पेरेटिव स्टेटमेंट सदन की मेज पर रखें ।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां । इन न्यायालयों को नियुक्ति विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक १. १०. ५६ के द्वारा उठाया गया । इसका

(श्री रामकिशोर व्यास)

कारण यह था कि वहां Whole time मजिस्ट्रेट के लिए पर्याप्त कार्य न था।

(२) चित्तौड़गढ़ व डूंगरपुर के सहायक कलेक्टर व मजिस्ट्रेट के न्यायालयों द्वारा सुने जानेवाले मुकदमात वहां के एस. डी. ओ. के न्यायालय में पेश होंगे तथा खैरवाड़ा के सहायक कलेक्टर व मजिस्ट्रेट के न्यायालय सम्बन्धी मुकदमात उदयपुर के सहायक कलेक्टर व मजिस्ट्रेट नम्बर २ द्वारा सुने जायेंगे।

(३) सन् ५५ से ११. ३. ६० तक का कम्पेरेटिव स्टेटमेंट निम्न प्रकार है :-

सन्.	क्रिमिनल	रेवेन्यू
५५.	१६४	१२
५६.	१८७	११
५७.	१६२	१३
५८.	१३३	१२
५९.	१३३	२१
योग	७८९	६९

खैरवाड़ा कोर्ट ताल्लुक १. १०. ५९ कोर्ट नं० २ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट उदयपुर, के चार्ज में ७२ मुकदमे क्रिमिनल एवं ११ मुकदमे रेवेन्यू आए।

कोर्ट नं० २, उदयपुर में ता० १. १०. ५९ से ३१. १२. ५९ तक कुल २९ मुकदमात क्रिमिनल दायर हुए तथा रेवेन्यू का कोई मामला दायर नहीं हुआ। कोर्ट नं० २, उदयपुर में १. १. ६० से ११. ३. ६० तक कुल २१ मामले क्रिमिनल दायर हुए। रेवेन्यू का कोई मामला दायर नहीं हुआ।

उपरोक्त वर्णित ५ वर्ष के मुकदमे दायरी का योग याने फौजदारी और रेवेन्यू को मिला कर ८४८ आता है जिसका वार्षिक औसत १७० मुकदमे और मासिक औसत १४ मुकदमे होते हैं।

खैरवाड़ा कोर्ट टूटने के पश्चात् १. १०. ५९ से ११. ३. ६० तक याने करीब साढ़े पांच माह में कुल ५० फौजदारी मुकदमे दायर हुए हैं। साढ़े पांच माह का औसत ९ मुकदमे प्रति माह होते हैं। इस वर्ष में रेवेन्यू का कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह महसूस करती है कि इन कोर्ट्स को शिफ्ट करने के कारण लोगों को सस्ता न्याय प्राप्त नहीं होने से मुकदमे जितने दायर होने चाहिये थे उतने नहीं हुए ?

श्री रामकिशोर व्यास : कितने मुकदमे दायर होते हैं, यह मैंने उत्तर में बता दिया। होल टाइम काम नहीं था इसलिये वहां ये कोर्ट्स नहीं रखे।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने यह आम नीति बना दी है कि मुकदमें पूरे नहीं होते हैं तो वहां से कोर्ट हटा दी जाती हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : कोशिश यही की जाती है कि होल टाइम वर्क नहीं हो तो हटाली जाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस प्रकार के नियम बना रखे हैं कि किसी कोर्ट में काम कम होता है तो दूसरे ऐसे स्थान

(श्री भैरोंसिंह)

जोड़ दिये जाते हैं जो वहां से दूर पड़ते हैं ? क्या ऐसे स्थानों पर भी कोर्ट्स शिफ्ट कर दी जाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह हाईपोथेटिकल क्वेश्चन है । यदि अदालत किसी पर्टिकुलर एरिया से दूर पड़ती है और नजदीक में बनाने के लिये मांग करते हैं तो हाई कोर्ट से राय लेकर इधर से उधर कर दी जाती हैं ।

श्री भैरोंसिंह : खैरवाड़ा से हटा कर उदयपुर लगाया गया तो क्या खैरवाड़ा से दूसरा कोई नजदीक स्थान नहीं था जहां उदयपुर के बजाय शिफ्ट किया जाता ?

श्री रामकिशोर व्यास : खैरवाड़ा के लिये उदयपुर ही नजदीक है ।

प्रश्न संख्या १०५६

श्री उपाध्यक्ष : श्री धन्नालाल हरित

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम): इस प्रश्न का उत्तर ले लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : I will take it later on.

विकास खंड चिड़ावा द्वारा सरपंच मंड्रेला को दी गई राशि का गबन

१०५७. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर :** क्या मन्त्री, विकास विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि विकास खंड चिड़ावा की ओर से सरपंच मंड्रेला को २ कुआं, १ खुर्रा व १ तालाब के लिए १,०००) रु० १,१२६) रु० व ५००) रु० क्रमशः दिये गये थे ?

(२) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार की शिकायत होने पर विकास अधिकारी ने ओवरसियर की सहायता से इन कार्यों की जांच की तथा इनमें गबन होने की रिपोर्ट जिला विकास अधिकारी को की ?

(३) क्या यह सही है कि जिलाधीश ने भी इस सम्बन्ध में जांच कर इसे सही पाकर मामले को पुलिस में दिया ?

(४) क्या यह सही है कि पुलिस ने यह कह कर मामले को लौटा दिया कि इस मामले में किसी ऑडिटर ने जांच नहीं की है ?

(५) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी ने सरकार से एक विशेष ऑडिटर नियुक्त करने की भी मांग की है ?

(६) अब इस मामले में आगे सरकार क्या कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जिलाधीश ने स्वयं कोई जांच नहीं की थी । विकास अधिकारी की रिपोर्ट

Page No.16

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के पास जांच हेतु एवं कानूनी कार्यवाही के लिए भेज दी थी।

(४) जी हां।

(५) जनता मंडला की ओर से प्रस्तुत एक आवेदन-पत्र के आधार पर विकास अधिकारी ने स्पेशल ऑडिट पार्टी के लिए मांग की थी।

(६) यह मामला अभी विचाराधीन है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि इस मामले में अकाउन्टेन्ट जनरल के ऑडिटर्स ने जांच करके रिपोर्ट दी है सरकार को कि इसमें गबन हुआ था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : लोकल ऑडिट पार्टी की रिपोर्ट से यह पाया जाता है कि गबन नहीं हुआ है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ए. जी. के यहां की ऑडिट पार्टी की लोकल फंड ऑडिट पार्टी ने १ महीना पहले ऑडिट किया था और उन्होंने कलेक्टर को रिपोर्ट दी थी कि गबन सिद्ध होता है, क्या यह सही है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ए. जी. की पार्टी गई थी या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि विकास अधिकारी ने और ओवरसियर ने गबन की बात को स्वीकार किया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : लोकल फंड ऑडिट की रिपोर्ट से गबन होना साबित नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ओवरसियर और विकास अधिकारी ने यह कहा था कि गबन हुआ है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : शुबहा होता था इसलिये ऑडिट पार्टी भेजी गई थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उन्होंने जिलाधीश को रिपोर्ट दी उसमें स्पष्ट लिखा है कि गबन हुआ था, शुबहा नहीं कहा था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह बात कही है कि गबन हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : फिर आपने किस आधार पर कह दिया कि शुबहा हुआ था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : शुबहा हो रहा था, आम एटमोस्फियर ऐसा था कि शायद गबन हुआ हो, इसलिये ऑडिट पार्टी को भेजा गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या ऐसा समझा जाय कि विकास अधिकारी और ओवरसियर ने एटमोस्फियर से प्रभावित होकर ऐसी रिपोर्ट दी थी, उसमें तथ्य नहीं था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या उन्होंने शिकायत की जांच करके रिपोर्ट दी थी कि गबन हुआ है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : विकास अधिकारी की सूचना पर ही जांच की गई तो यह पाया गया कि सरपंच से १,४३२) रुपये वसूल करने काबिल हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या विकास अधिकारी ने कलेक्टर को रिपोर्ट दी उसमें यह नहीं लिया था कि इतने रुपये का गबन हुआ है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे पास जो रेकॉर्ड है उसके अनुसारह श्री रीराम रूंगटा ने शिकायत की थी कि गबन हुआ है। उस पर ऑडिट पार्टी भेजी गई और जांच कराई गई तो यह पाया गया कि सरपंच में कुछ रुपये लेने निकलते हैं और वे रुपये वसूल हो गये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह स्थिति है कि विकास अधिकारी के यह लिखने पर कि अमुक सरपंच में इतने रुपये लेने बाकी हैं जिलाधीश ने ख्वामख्वाह तफतीश करने के लिये पुलिस के पास कागजात भेज दिये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पुलिस को लिखा था तो उसने कहा कि पहले ऑडिट कराया जाय।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने रकम वसूल करने के लिये उसके पास भेजा था, आगे आपने ही कबूल किया है कि पुलिस के पास भेजा था, जिलाधीश क्रिमिनल प्रोसीजर से वाकिफ होते हैं तो बकाया रकम वसूल करने के लिए बी. डी. ओ. ने लिखा था तो जिलाधीश ने पुलिस के पास किस प्रकार से भेजा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पुलिस के पास इसलिये भेजा कि गबन की आशंका है, जांच करें तो उन्होंने कहा कि पहले ऑडिट कराया जाय। ऑडिट कराने पर गबन नहीं पाया गया, रुपये बकाया पाये गये।

श्री भैरोंसिंह : क्या कलेक्टर ने पुलिस को लिखा था कि गबन का मामला है, जांच कीजिये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पुलिस को जांच के लिये भेजा गया था।

श्री भैरोंसिंह : जांच किस बात की कराना चाहते थे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : मैं ही तो पूछ रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : अब दूसरा क्वेश्चन आयेगा श्री भैरोंसिंह का।

श्री चांदमल जैन, माइनिंग इंजीनियर, उयदपुर का स्थानान्तरण एव विदेश गमन

१०५६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि श्री चांदमल जैन, माइनिंग इंजीनियर हैड क्वार्टर उदयपुर पर थे जहां से उनकी नियुक्ति खनिज विभाग की ५००) रुपये की ग्रेड की तुलना में ७००) रुपये के ग्रेड में पोलीटैक्निक डिपार्टमेंट में हो गई ? यदि हां, तो कब तथा किस ग्रेड से किस ग्रेड में और क्यों ?

Page No.18

(श्री भैरोंसिंह)

(२) क्या यह सही है कि श्री चांदमल की नियुक्ति उनकी इच्छा से फिर उसी स्थान पर हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि श्री चांदमल ने अपने घरेलू कार्यों के बहाने उदयपुर से जयपुर का स्थानान्तरण करवाया ? यदि हां, तो कब ?

(४) क्या यह सही है कि जयपुर से वह कोलम्बो प्लान में विदेश चले गये ? यदि हां, तो कब तथा कितने समय के लिये ?

उप मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : (१) जी हां। खनिज विभाग में श्री जैन ५००. ३०. ७४०. ई. बी. ३०. ८०० ५०. ६०० की ग्रेड में कार्य कर रहे थे।

पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश पर शिक्षा विभाग की आज्ञा दिनांक ४. ६. १९५८ के अनुसार एक वर्ष की अवधि के लिये ७००-१००० की ग्रेड में पोलीटैक्निक विभाग में नियुक्त किये गये तथा उन्होंने ३. १. ५६ को वहां कार्य भार संभाला। वे दिनांक २४. ६. ५६ को माइनिंग इन्जीनियर उदयपुर की जगह वापस लौट आए। नियुक्ति का कारण शिक्षा विभाग की आवश्यकता था।

(२) जी हां। उनका स्थान परिवर्तन इसी शर्त पर हुआ था कि वे चाहें तो वापस आ सकते हैं।

(३) जी हां। तारीख ७. १. ६० को।

(४) जी हां। दिनांक २. २. १९६० को दो वर्ष तक की अवधि के लिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन को एक साल के लिए रिक्वीज़ीशन नहीं किया था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं; यह इच्छा के ऊपर है। कोई व्यक्ति ऊंची पोस्ट पर न रह कर नीची पोस्ट पर आना चाहे तो आ सकता है। पब्लिक सर्विस कमीशन के जो रिकमन्डेड केन्डीडेट्स होते हैं, उनको सरकार एक साल की अवधि के लिए पहले अपॉइन्ट करती है और इस पीरियड में वे टेम्पोरेरी होते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि पी.-एस. सी. ने उनको ७०० से १,००० की ग्रेड में एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिमान्ड पर भेजा। मैं पूछना चाहता हूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिक्वीज़ीशन के अन्दर कितने समय के लिए लिखा था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पर्मानेन्ट पोस्ट के लिए रिक्वीज़ीशन की थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि रिक्वीज़ीशन पर्मानेन्ट पोस्ट के लिए किया था और पी. एस. सी. ने एक साल के लिए भेजा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं। उन्होंने तो सलेक्शन करके भेज दिया। इन्होंने जोइन करने के पहले यह शर्त रखना चाहा कि एक साल के लिए ओरिजिनल डिपार्टमेंट में लीअन रहना चाहिए। उस समय यह भी कहा कि मुझे यह अधिकार होगा कि अगर मैं वापिस अपनी पुरानी पोस्ट पर आना चाहूं तो आ सकता हूं।

Page No.19

श्री भैरोंसिंह : क्या यह शर्त उन्होंने पी. एस. सी. के सामने भी रखी थी कि एक साल में अपने डिपार्टमेंट में वापिस जाना चाहूं तो जा सकता हूँ ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं थी; क्योंकि पर्मानेन्ट गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स का लीअन एक साल के लिए रहता है। हर एक पर्मानेन्ट सर्वेन्ट के लिए रहता है, अगर वह टेम्पोरेरी पोस्ट पर जाता है तो उसका लीअन बना रहता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस सम्बन्ध में एप्लीकेशन् इनवाइट की थी, उसमें स्पष्ट लिखा था कि पोलीक्निनिक डिपार्टमेंट में पर्मानेन्ट तौर पर अपॉइन्टमेंट किया जायेगा। उसके रेस्पोन्स में इन्होंने एप्लीकेशन दी थी और उसमें लीअन रखने का कोई संकेत नहीं था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां। लेकिन हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि बड़ी से बड़ी नौकरी को स्वीकार करके उसको छोड़ सकता है और छोटी नौकरी पर जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लादूराम सुलाखिया।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत क्वेश्चन्स रह गये।

श्री उपाध्यक्ष : Only last question.

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न और पूछना था....

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : जो स्थानान्तरण उदयपुर से जयपुर किया वह इसलिए हुआ कि डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जयपुर में रहना चाहते हैं और डोमेस्टिक पर्पज़ यह था कि कोलम्बो प्लान में बाहर जाने की व्यवस्था की ? क्या सरकार नहीं जानती थी कि डोमेस्टिक कारण बताया, वह गलत था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं, डोमेस्टिक कारण यह नहीं था। बीमारी का कारण था। यह हर राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह कर्मचारियों की सुविधा को देखे और परिस्थितियों के अनुसार स्थानान्तरण कर सकती है। जहां तक सिलेक्शन का सवाल है, टी. सी. एम. में जयपुर में होने से काम नहीं बनता है, उदयपुर में होने से काम नहीं बनता है, छोटे से गांव में रहता हो तो काम नहीं बनता है। वह कहीं बैठा हो, योग्यता के आधार पर सिलेक्शन हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार जांच करेगी कि पोलीटेक्निक विभाग से माइनिंग विभाग में किसी पर्टीक्यूलर आफिसर का जाना किसी पर्टीक्यूलर इन्ट्रेस्ट से होता है ?...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वे अपनी इच्छा के मालिक हैं।

श्री भैरोंसिंह : इच्छा में अगर २०० रुपये का घाटा आता हो....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उनकी पसन्द की बात है। वे काम करने लायक नहीं हों, ज्यादा प्रभावशील नहीं हो पाते हों, लायक नहीं रहे हों, या कोई व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं।

प्रश्न संख्या १०६०

श्री उपाध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाखिया।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

पाली जिले के जैतारण एवं पाली छाया विकास खंडों का विस्तार खंडों में परिवर्तन

१०६१. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या मंत्री, विकास खंड विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

पाली जिले के जैतारण और पाली छाया विकास खंडों को कब तक पूर्ण विस्तार विकास खंडों में परिणित कर दिया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस माह पाली जिले में कोई पूर्व विस्तार खंड नहीं खोला जा रहा है। वैसे समस्त राज्य में सन् १९६३ तक विकास खंड खोले जाने की योजना है।

श्री शंकरलाल : प्रत्येक वर्ष राजस्थान में कितने विकास खंड खोले जायेंगे, इसके लिए तय नहीं किया हुआ है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : करीब १० विकास खंड खोलने का है। इस साल जो खोले जानेवाले हैं, उसका निर्णय हो चुका है, उसमें पाली का नाम नहीं है।

श्री शंकरलाल : इस साल १० विकास खंड खोलने वाले हैं, उसमें नाम नहीं है, तो क्या अगली साल खोलनेवाले हैं उसमें नाम रहेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उसमें विचार किया जा सकता है, इतनी निराशा होने का कोई कारण नहीं है। इस समय मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

पाली जिला परिषद् का गत सेमिनार

१०६२. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या पाली जिला परिषद् ने अपना पिछला सेमिनार पाली शहर की पुलिस बिल्डिंग में किया था ? यदि हां, तो उस पर कुल कितना खर्चा हुआ ?

(२) उस सेमिनार में क्या क्या प्रस्ताव पारित किये गये तथा क्या क्या सिफारिशें राज्य सरकार को की गई ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या सरकार उन सिफारिशों को स्वीकार करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जी हां। कुल खर्चा २,३६३ रु०, ६१ नए पैसे हुआ।

(२) प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट ४४ देखिये)

प्रश्न संख्या १०६३

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

रोहट ग्राम, तहसील पाली में जटिया जाति एवं उसका व्यवसाय

१०६४. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे :

गांव रोहट, तहसील पाली में कुल कितने जटिया जाति के लोग हैं और उनका अभी रोजगार क्या है ? क्या सरकार वहां एक लैदर ट्रेनिंग सेन्टर खोलने का इरादा रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): गांव रोहट में कुल १६ परिवार जटिया कौम के हैं और उनका अभी रोजगार निम्न प्रकार है :

१० परिवार–चमड़ा रंगाई व खेती।

३ परिवार–खेती।

६ परिवार–मजदूरी।

वहां अभी सरकार का लैदर ट्रेनिंग सेन्टर खोलने का कोई इरादा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

तृतीय पंचवर्षीय योजना को तैयार करने में सहायता देने हेतु सरकार द्वारा निर्मित वर्किंग ग्रूप

१०६५. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

तीसरी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने में सहायता देने हेतु कौन कौन से वर्किंग ग्रूप सरकार द्वारा बनाये गये हैं ? उनमें से कौन से ग्रुप ने अब तक अपनी रिपोर्ट दे दी है ? कृपया उक्त रिपोर्ट्स की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे।

उप मन्त्री, योजना (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : तीसरी पंच वर्षीय योजना को तैयार करने के सम्बन्ध में सुझाव देने हेतु निम्न १८ वर्किंग ग्रूप सरकार द्वारा बनाये गये थे :

१. साधन,
२. कृषि,
३. वन एवं भूमि संरक्षण,
४. पशु चिकित्सा, मत्स्य पालन एवं डेयरी,
५. सिंचाई,
६. बिजली,
७. उद्योग,
८. खनिज,
९. सड़क,

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

१०. यातायात,

११. शिक्षा,

१२. स्वास्थ्य,

१३. गृह निर्माण,

१४. सहकारिता,

१५. नागरीय समाज विकास,

१६. पर्यटन,

१७. समाज कल्याण,

१८. आयुर्वेद ।

इनमें से अभी कृषि, पशु चिकित्सा, सिंचाई, उद्योग एवं आयुर्वेद सम्बन्धी वर्किंग ग्रूपों से ही रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है। इन रिपोर्ट्स की इतनी प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं कि सदन की मेज पर रखी जा सकें। इतनी प्रतियां तैयार करवाने में इतना श्रम और धन खर्च होगा कि उतना उनसे लाभ न होगा।

श्री भीमसेन : जिन वर्किंग ग्रूप्स की रिपोर्ट्स तैयार नहीं हैं, उनकी कितनी अवधि बढ़ाई गई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : तकादा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी तैयार करें।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : वर्किंग ग्रूप बनाने के पीछे सिद्धान्त क्या था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डिपार्टमेंट की जानकारी दूसरे लोगों को भी हो, उस हिसाब से बनाये हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या वर्किंग ग्रूप लेवल पर डिपार्टमेंट की ओपीनियन ही एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाती है ? क्या इसमें नोन डिपार्टमेंट एजेन्सी को शामिल नहीं किया जा सकता ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें डिपार्टमेंट और दूसरे लोग सबको लिया जा सकता है।

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्किंग ग्रूप की फोर्मेशन में दूसरे लोगों की ओपीनियन किस दर्जे तक ली जाती है ? मुझे मालूम है कि प्लानिंग बोर्ड के लिए वर्किंग ग्रूप बहुत इम्पोर्टेन्ट चीज़ हैं....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जिस किसी को किसी विषय विशेष जानकारी होती है उनका सहयोग लिया जाता है।

श्री भीमसेन : ऐसे वर्किंग ग्रूप हैं, जिनकी एक भी मीटिंग नहीं हुई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सूचना नहीं है। आपने जो पूछा है उसकी सूचना निवेदन कर दी।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं यह जानना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट के लोगों की एक्सपर्ट ओपीनियन मानी जाती है। मैं समझता हूं नान ऑफिशियल एजेन्सी को उसकी अधिक जानकारी हो सकती है। यह परम्परा डाली जा रही है कि जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी ओपीनियन को एक्सपर्ट ओपीनियन मान कर गवर्नमेंट चल रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि नोन ऑफिशियल एजेन्सी को

(श्री जनार्दनराय नागर)

इसके साथ किस तरह अटेच किया गया है, कितनी सलाह ली गई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इसमें डिपार्टमेंट की सलाह ली जाती है। डिपार्टमेंट काम करता है उसकी जानकारी होती है....

श्री जनार्दनराय नागर : मेरा अर्थ यह नहीं है कि ऑफिशियल लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन नोन ऑफिशियल एजेन्सीज़ हैं, प्लानिंग के मामले में वे काफी अनुभव रखती हैं। उनको वर्किंग ग्रूप में अटेच क्यों नहीं किया जाता ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्लानिंग बोर्ड है, उसमें नान ऑफिशियल्स की बराबर व्यू ली जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : उनका कहना यह था कि वर्किंग ग्रूप में नोन ऑफिशियल एजेन्सी ली गई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी सूचना नहीं, उपाध्यक्ष महोदय।

प्रश्न संख्या १०६६

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

शिक्षा सुधार सम्बन्धी विषयों पर सलाह देने वाला सलाहकार बोर्ड

१०६७. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या सरकार ने शिक्षा सुधार सम्बन्धी विषयों पर सलाह देने के लिये कोई सलाहकार बोर्ड बनाया है ?

(ख) यदि हां, तो उसके कौन कौन सदस्य हैं तथा उसके क्या क्या कर्त्तव्य हैं ?

(ग) अब तक बोर्ड की कितनी बैठकें हुई हैं ? उनमें शिक्षा सुधार सम्बन्धी क्या क्या निर्णय किये गये ? सूची सदन की मेज़ पर रखी जाये।

(घ) यदि कोई निर्णय लिये गये हैं, तो क्या सरकार ने उन पर अमल भी प्रारंभ कर दिया है ? यदि हां, तो किस पर अमल हुआ है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां।

(ख) सदस्यों की सूची तथा सलाहकार बोर्ड के विधान की प्रति सूचनार्थ सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) तीन बैठकें हुई हैं। उनमें शिक्षा सुधार सम्बन्धी जो जो निर्णय लिये गये उनकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) जो जो अमल हुआ है उसकी सूचना भी उपर्युक्त सूची में अंकित कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सूची मिली है,

Page No.24

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

उसके अनुसार इस बोर्ड की स्थापना ३-१२-५६ को हुई। उसके आगे यह लिखा है:

" The tenure of office of the non-official members will be three years subject o the condition that the members at Nos. 23 and 24 shall cease to be members of this Board as soon as they cease to be the members of the Rajasthan Legislative Assembly. The official members of the Board will similarly cease to be the members of the Board as soon as they vacate the office by virtue of which they are ex-officio members. " इसके आधार पर मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि तीन वर्ष समाप्त होने पर और कुछ मेम्बर्स के असेम्बली के मेम्बर रहने की दशा में क्या कोई परिवर्तन सूची में नहीं हुआ है? उन रिक्त स्थानों की पूर्ति हुई है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आपने सूची ५६ की दी है। आपके विधान में दिया हुआ है कि तीन वर्ष का टेन्योर ऑफिस होगा। एम. एल. ए. हैं तो एम. एल. ए. नहीं रहने की हालत में हट जावेंगे। ऑफिशियल मेम्बर हैं तो ऑफिस में नहीं रहने पर हट जावेंगे। आगे यह प्रोविजन है :-

" All casual vacancies among the members (other than ex-officio members) shall be filled by the authority which nominated them and the persons appointed to a casual vacancy shall be members of the Board for the residue of the term for which the person whose place he fills, would have been a member. "

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कोई खतरा नहीं है। तीन साल की मयाद खत्म होने के बाद असेम्बली की जगह खाली नहीं रहती, बोर्ड तो खत्म नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : The question is whether the vacancies have been filled up or not?

श्री पी. के. चौधरी : Today's information has been given or what?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : श्री मथुरादास माथुर, श्री हरिभाऊ उपाध्याय एम. एल. ए. की हैसियत में मेम्बर हैं, दोनों ही एम. एल. ए. नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : दोनों ही?

श्री उपाध्यक्ष : They have got double capacity, except Mr. Mathur.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : कितने ही ऐसे हैं, श्री मदनमोहनलाल शर्मा, आर. पी. एस.; He is retired now; और भी रिटायर्ड हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : माननीय सदस्य की जो मन्शा थी, इच्छा थी प्रश्न पूछने की उसका जवाब दे दिया। उस इच्छा के सम्बन्ध में माननीय सदस्य पूछें, दो-तीन रिटायर हो गये हैं उनके नाम हैं। यह तो कोई खास बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इच्छा तो बदल गई।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दो-तीन रिटायर हो गये तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी जायगी। इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछें।

श्री पी. के. चौधरी : Whether you have given the existing Board of today or 1956.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It is an existing Board and the Hon'ble Member had desired a copy of the names of the Members. If he wanted this, we would have diverted our attention to that side as to what were the recommendations of the Board and what the State Government has done...... But the Hon'ble Member has been asking about the members retired. I don't see there is any......

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह प्रश्न स्पष्ट है, 'यदि हां, तो इसके कौन कौन सदस्य हैं,' कौन कौन सदस्य पहले बने थे यह तो नहीं पूछा है। वे सदस्य इस वक्त तो नहीं हैं; अभी जो सदस्य हैं उनकी सूची होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री पी० के० चौधरी!

समुद्रगुप्त के समय की १० मुद्राओं की चोरी

१०६८. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Home Minister be pleased to state :-

(1) Is it correct that some time in 1959 ten gold coins being inscription of Samudra Gupta, valued at about Rs.1,00,000/- were stolen from the Museum of Gramothan Vidya-Peeth, Sangaria, in Ganganagar istrict? If so, what action has the Government taken so far to recover the coins?

2. When did the matter first came to the notice of the Government?

3. Had any case been registered with the Police? If so, when and who was the first informer?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : No, Sir. Only five coins which were said to be of the value of Rs. 400/- were stolen. A case was registered at P. S. Sangaria. The S. H. O. Sangaria made all efforts to recover the coins but in vain. A final report (untraced) was submitted on 6-2-1960.

2. On 20th September, 1959 at 6.00 P. M.

3. Yes, Sir. At 6 P. M. on 20-9-59, on information given by Shri Jagdish Chandra Chaturvedi, Curator, Gramothan Vidya Peeth Museum.

श्री पी० के० चौधरी : वेल्युएशन ४०० रुपये कहा, वह किससे प्राप्त किया है?

श्री रामकिशोर व्यास : ४०० रुपये के लिये इन्श्योर्ड था।

श्री पी० के० चौधरी : पर उसकी मार्केट वेल्यू क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ज्यादा भी हो सकती है, पर इन्श्योर्ड ४०० रुपये के लिये था।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या ये वही कोइन्स हैं, जो बयाना में मिले थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने देखे नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

कोटा डिस्ट्रिक्ट शुगर मर्चेन्ट्स एसोसियेशन को चीनी का कोटा

१०५०. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या रसद मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सच है कि कोटा जिले में शक्कर के आयात हेतु निर्मित "दी कोटा डिस्ट्रिक्ट शुगर मर्चेन्ट एसोसियेशन" का सरकारी विज्ञप्ति और कानून के मुताबिक निर्माण नहीं हुआ तथा यह एक पार्टनरशिप फर्म है और इसके भागीदार लाइसेन्स डीलर्स नहीं हैं ?

(२) क्या यह भी सच है कि उक्त एसोसियेशन के विरुद्ध प्रारम्भ से ही शिकायतें कलेक्टर कोटा के पास आई थीं ?

(३) क्या यह भी सच है कि सिटी मजिस्ट्रेट, कोटा ने जांच के पश्चात् उक्त एसोसियेशन की अनियमितताओं और कानून की अवहेलना करने के सम्बन्ध की रिपोर्ट की थी ?

(४) क्या यह भी सच है कि भाव जांच कमेटी ने उक्त एसोसियेशन के विरुद्ध गलत तरीके से सरकार को धोखा देकर लगभग १०,०००) रु० जनसाधारण से वसूल करने की रिपोर्ट की थी जो कलेक्टर, कोटा ने स्वीकार करके एसोसियेशन की इस कार्यवाही को निन्दनीय ठहराया था ?

(५) क्या यह भी सच है कि कलेक्टर, कोटा ने जनरल शुगर एडवाइजरी कमेटी की सलाह से शक्कर का आयात करने के लिये नया एसोसियेशन बनाने के लिये दिनांक ११-११-५६ को एक विज्ञप्ति जारी करके उसके मुताबिक दिनांक २१-११-५६ को जिले के शक्कर के लाइसेन्सदारों से कार्यालय कलेक्टरी में रुपये १५,०००) रु० जमा करवा कर एसोसियेशन के पदाधिकारियों का निर्वाचन विधिवत् चुनाव अधिकारी द्वारा सम्पन्न करवाया था तथा उसका नाम "अनुज्ञिप्त शक्कर व्यापारी संघ, जिला कोटा" स्वयं कलेक्टर द्वारा रखा गया था ?

(६) क्या यह सच है कि कलेक्टर, कोटा

(श्री पी. के. चौधरी)

ने उक्त विज्ञप्ति द्वारा यह भी घोषणा की थी कि दिनांक २१-११-५६ को १ बजे दिन के बाद किसी भी लाइसेन्सदार को मेम्बर नहीं बनाया जायेगा और न कोई आपत्ति ही सुनी जायगी ?

(७) क्या यह सच है कि २१-११-५६ को निश्चित समय तक "दी कोटा शुगर मर्चेन्ट एसोसियेशन" का कोई भी भागीदार कलेक्टर की उपरोक्त विज्ञप्ति के अनुसार १५,०००) रु० जमा करा कर सदस्य नहीं बना ?

(८) क्या यह बात सच है कि इस नये एसोसियेशन का विधान कलेक्टर, कोटा ने स्वीकार करके कोटा जिले में शक्कर के आयात हेतु लाइसेन्स भी नये एसोसियेशन को दिया था ?

(९) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बावजूद इसके दिसम्बर, जनवरी तथा फरवरी का कोटा इसी एसोसियेशन को दिया ?

(१०) क्या यह सच है कि २२-१२-५६ को कलेक्टर, कोटा ने दिसम्बर का कोटा दिये जाने का आदेश जारी किया ? क्या कलेक्टर ने नवम्बर आदि का कोटा बिना जनरल शुगर एडवाइजरी कमेटी से पूछे ही पुराने एसोसियेशन को दिया ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी नहीं । कोटा जिले में शक्कर के आयात हेतु निर्मित 'दी कोटा डि० शुगर मर्चेन्ट्स एसोसियेशन नियमानुसार ही बनी थी तथा एसोसियेशन के सदस्य इस कार्यालय से प्राप्त शुदा लाइसेन्सदार है और कार्य संचालन उक्त लाइसेन्सदार सदस्य फर्मों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है ।

(२) जी हां । इसी प्राप्त शिकायतों की नियमानुसार जांच करवाई गई थी ।

(३) जी हां । सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा जांच की गई थी परन्तु सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा बताई गई अनियमितताओं का सम्बन्ध एसोसियेशन द्वारा राजस्थान शुगर लाइसेन्सिंग ऑर्डर, १९५६ की किसी धारा की अवहेलना करना नहीं था फिर भी सिटी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट इन्कम टैक्स ऑफीसर को यह लिखकर भेज दी गई कि यदि टैक्स बचाने के लिये कोई गैर वाजिब कार्यवाही की गई हो तो मुनासिब कानून की कार्यवाही की जावे ।

(४) जी हां, शक्कर की भाव जांच कमेटी ने ९३७७) रुपये का फर्क निकाला था जो एसोसियेशन से वसूल कर लिया गया है । शक्कर का भाव तय करते समय एसोसियेशन द्वारा दिये गये खर्चे की रेट्स इत्यादि की जांच शक्कर वितरण सलाहकार समिति द्वारा अन्य व्यापारी वर्ग तथा सम्बन्धित कार्यालयों से की गई थी व उसी के अनुसार एसोसियेशन द्वारा दरें वसूल की गई थीं । मजीद जांच से फर्क निकलने पर उनसे फर्क की रकम वसूल कर ली गई जो ९३७७) रुपये हैं । कलेक्टर ने एसोसियेशन को ताकीद किया था कि भाव तय करने के बाद भी इस प्रकार फर्क मालूम होने पर स्वतः ही यह मामला कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की जिम्मेदारी एसोसियेशन को समझना चाहिये था ।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(५) जी हां। कुछ व्यापारियों के कहने पर कि एसोसियेशन टालमटोल करके उन्हें सदस्य नहीं बनाता है। जिले के समस्त अनुज्ञप्त शक्कर व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने वाली एसोसियेशन बनाने के लिये इस कार्यालय द्वारा चुनाव कराने की कार्यवाही २१-११-१९५९ को की गई थी। यह सही है कि ११-११-१९५९ को विज्ञप्ति जिसमें १५,०००) रुपये जमा कराने के आदेश थे जारी की गई।

जी हां। चुनाव के समय उक्त संघ की समस्त शक्कर लाइसेन्सदारों का प्रतिनिधित्व करने वाली एसोसियेशन के निर्माण होने की सम्भावना से ही वैसा नाम दिया गया था।

(६) जी हां। उस रोज चुनाव में सम्मिलित होने वालों को एक बजे तक का समय दिया गया था। हर चुनाव में समय निर्धारित किया जाता है।

(७) जी हां।

(८) जी हां। परन्तु विधान स्वीकार करने का तात्पर्य यह नहीं था कि नवनिर्मित एसोसियेशन को कन्ट्रोल शक्कर के आयात करने की अनुमति दी ही जाय। कोटा जिले में एक के बजाय दो एसोसियेशन बन गये।

(९) जी हां। दिसम्बर जनवरी फरवरी १९६० का कोटा दी कोटा डिस्ट्रिक्ट शुगर मार्चेन्ट एसोसियेशन को इसलिये दिया गया क्योंकि उसके मेम्बरान कोटा जिले के शक्कर व्यापार का प्रतिनिधित्व नव निर्मित एसोसियेशन से कहीं अधिक करते थे। कोटा डि० शुगर मर्चेन्ट एसोसियेशन की संख्या २० थी जब कि नये की सिर्फ आठ। चुनाव भी इसी मकसद से करवाये गये थे कि एसोसियेशन अधिक मात्रा में शक्कर के थोक व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करें।

(१०) जनरल शुगर एडवाइज़री कमेटी से शक्कर कोटा अलॉट करने के सम्बन्ध में किसी महीने में राय नहीं ली गई। क्योंकि ऐसी राय लेना अनावश्यक था। उप सचिव महोदय उद्योग एवं रसद विभाग राजस्थान जयपुर की पृष्ठांकन आज्ञा क्रमांक डी। २६०७। एफ।५।२। इन्डस्ट्री (ए) दिनांक २०-७-५६ के अनुसार यह स्वयं कलेक्टर को निर्णीत करना होता है कि एक से अधिक एसोसियेशन होने की दशा में कौनसा एसोसियेशन जिले के शक्कर व्यापारियों का अधिक प्रतिनिधित्व करता है व यह निर्णय लिया जाकर अधिक प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसियेशन को ही अब तक शक्कर कोटा दिया गया।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि कोटा डिस्ट्रिक्ट शुगर मर्चेन्ट एसोसियेशन है वह एसोसियेशन नहीं एक पार्टनरशिप है?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं एसोसियेशन है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि इनका रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप कानून के अन्तर्गत है और उनको इन्कम टैक्स से रियायत मिलती है?

श्री दामोदरलाल व्यास : कुछ शिकायत इस प्रकार की हुई थी कि पार्टनर्स लाइसेंस होल्डर नहीं हैं। पर फर्म लाइसेंस होल्डर्स हैं। इन्कम टैक्स से बचने के लिये इन्डीविजुअल्स के तौर पर करते हैं, इसके लिये इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट को लिख दिया गया है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या यह शुगर मर्चेन्ट एसोसियेशन पार्टनरशिप एक्ट से है या सोसाइटी एक्ट के अनुसार निर्माण की हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That information is not with me at the moment.

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह कानून के मुताबिक मर्चेन्ट एसोसियेशन का सरकारी विज्ञप्ति और कानून के मुताबिक निर्माण नहीं हुआ ....यह तो प्रश्न के (१) में पूछा गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा उत्तर है 'जी हां'। कोटा जिले में शक्कर के आयात हेतु निर्मित "दी कोटा डिस्ट्रिक्ट शुगर मर्चेन्ट्स एसोसियेशन" नियमानुसार ही बनी थी तथा एसोसियेशन के सदस्य इस कार्यालय से प्राप्त शुदा लाइसेन्सदार हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि जिस दिन शुगर मर्चेन्ट एसोसियेशन का सरकार द्वारा निर्माण किया गया उस दिन उसमें कोई भागीदार लाइसेन्स होल्डर नहीं थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसका जवाब दे चुका हूं कि कुछ ऐसे हैं जो लाइसेन्स होल्डर्स हैं कुछ अपने नाम से और कुछ (फर्म के नाम से) शरीक हुए।

श्री भैरोंसिंह : जो लोग फर्म के नाम पर और कुछ लोग व्यक्तिगत नाम से शामिल हुए उनको फर्म के नाम से शामिल हुआ कैसे माना गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि फर्म के नाम पर....

श्री भैरोंसिंह : फर्म दूसरी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि फर्म भी उन्हीं की है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन लोगों ने अपने नाम इसमें दिये उनके नाम से कोई दूसरी फर्म थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके नाम फर्म के नाम से हो सकते हैं। इसका मतलब यही हो सकता है कि इन्कम टैक्स को एवोइड करने के लिये हो सकता है, इसके अलावा कोई नही है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि जब आपने जनरल शुगर एडवाइज़री कमेटी बनाई तो फिर ओवर नाइट आइडिया चेन्ज करके इसी एसोसियेशन को दिसम्बर, जनवरी और फरवरी का शुगर का कोटा दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको जवाब दिया कि पहलेवाले एसोसियेशन को दिया गया वह केवल इसलिए कि जब विज्ञप्ति नये एसोसियेशन बनाने के लिए

(श्री दामोदरलाल व्यास)

निकाली गई तो केवल ८ आदमियों की एसो-सियेशन ही सामने आई। इसमें २० थे। ८ और २० में बहुत डिफरेन्स होता है। इसके अलावा ये २० डिफरेन्ट जगह के थे। इनमें सभी जगहों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ थे और लाइसेन्स-होल्डर थे।

श्री पी० के० चौधरी : २० और ८ का प्रश्न यहां नहीं है प्रश्न यह है। कि कानून के अनुसार बनी थी या नहीं। इसमें फ्रॉड का सवाल था। दूसरे लोगों को उन्होंने उसमें शरीक नहीं किया और नहीं होने दिया। जब आपने नया चुनाव किया तो ऐसा क्यों नहीं किया गया?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जैसा आपको निवेदन किया कि कलेक्टर ने ऑर्डर दिया वह इस विचार से दिया कि ज्यादा रिप्रेजेन्टेटिस की एसोसियेशन बनाई जावे। लेकिन बाद में पाया गया कि वह ८ आद-मियों की ही बनी। इससे तो पहलेवाली में ही २० रिप्रेजेन्टेटिव्ज थे। इसलिये कलेक्टर ने ज्यादा से ज्यादा रीप्रेजेन्टेटिव्ज़ को ठीक समझा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री पी० के० चौधरी : One more question, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : This will not adjust. I have got more demands.

श्री पी० के० चौधरी : Only one Supplementary, Sir ?

श्री उपाध्यक्ष : Only one.

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि जो यह २० आदमियों की एसोसियेशन है उसने दूसरे मर्चेन्टों को शरीक नहीं होने दिया?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस प्रकार की शिकायत थी, इसलिए तो कलेक्टर ने ऑर्डर दिया कि सभी को मिला कर बड़ी एसोसियेशन बनाई जावे। मगर बड़ी के बजाय छोटी एसोसियेशन सामने आई।

श्री पी० के० चौधरी : आप बड़ी बनाने....

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

१०५६. **श्री धन्नालाल हरित** (छबड़ा-सु०): क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति साल के अन्त में दिये जाने से छात्रों को क्या आर्थिक सुविधा होती है?

(२) यदि नहीं, तो क्या साल के अन्त में छात्रवृत्ति देने के तरीके में सरकार कुछ संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या तथा कब तक?

राजस्व मन्त्री : (श्री दामोदरलाल व्यास) (१) विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की रकम

Page No.31

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मिलती है वही आर्थिक सुविधा होती है। अनुसूचित जाति और जन जाति के छात्रों को विभाग से दो बार छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है :-

(क) माह जुलाई से फरवरी तक की छात्रवृत्ति माह जनवरी के लगभग वितरित की जाती है।

(ख) माह मार्च और अप्रेल की छात्रवृत्ति शैक्षणिक सत्र के आरम्भ होने पर माह सितम्बर-अक्टूबर में बांटी जाती है।

आर्थिक वर्ष के समाप्ति के दिनों में रकम उन्हीं छात्रों को स्वीकृत की जाती है जिनको कि बजट प्रावधान की न्यूनता के कारण समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती और जो मेरिट में नहीं आते। बाद में पूरक अनुदान तथा रीएप्रोप्रियेशन आदि से अधिक रकम की व्यवस्था की जाकर ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति बांटी जाती है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री लादूराम सुलाणियां (दूदू-सु) : क्या यह सही है कि उनको यह छात्रवृत्ति साल के अन्त में मिलती है जिससे उनको जो सुविधा मिलनी चाहिये नहीं मिलती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : साल के अन्त में उन लोगों को मिलती है जिनको बजट प्रावधान की न्यूनता के कारण या कमी के कारण या मेरिट में नहीं होने के कारण पहले नहीं मिलती और बाद में सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट या रीएप्रोप्रियेशन आदि से अधिक रकम की व्यवस्था की जाती है।

श्री लादूराम सुलाणियां : जितनी छात्रवृत्ति दी जाती है वह उनको इम्तिहान समाप्त होने को आते हैं फिर भी नहीं दी जाती है और इससे छात्रों को नुकसान होता है और शिक्षा प्राप्ति में दिक्कत होती है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले मिलनी चाहिये।

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : What reasons can the Government assign for not paying this in time ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already stated that it is being paid from Febuary to July. As for March and April that is being paid in the beginning of the session.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) क्या सरकार यह महसूस करती है कि जनवरी में जुलाई से फरवरी की छात्रवृत्ति देने से छात्रों को असुविधा नहीं होती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार को बहुत सी बातों पर गौर करना पड़ता है कि कौन कौन व्यक्ति छात्रवृत्ति के अधिकारी हैं। जुलाई के एन्ड तक एडमिशन्स होते हैं, १५ सितम्बर तक एडमिशन्स होते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन्स आती हैं। उसके बाद उनकी जांच होती है और छात्रवृत्ति दी जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Next question please.

सिरोही में कॉलेज के छात्रों को आवास सुविधाएं

१०५१. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) :

Page No.32

(श्री मोहब्बतसिंह)

Will the Minister for Education be pleased to state:-

Whether the Government realises the need of adequate hostel accommodation facilities at Sirohi for the students of Goverment College, Sirohi? If so, what plans the Goverment has to meet this requirement ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : Yes, Sir. There is a hostel in Government College, Sirohi which is not sufficient looking to the number of students. The Government of India has been requested to provide financial assistance for the construction of hostels, on receipt of which all the colleges will be provided financial assistance for hostel development, according to needs.

श्री मोहब्बतसिंह : When has the Government of India been moved and when it is expected ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : This shall be taken during Third Plan.

मदार (जिला सिरोही) के हायर सेकण्डरी स्कूल में कॉमर्स विषय

१०५४. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Education Minister be pleased to state :—

1. Whether the Government is aware of the demand for Commerce subject to be introduced in the Higher Secondary School at Madar in Sirohi District ?

2. What is the total number of students in Class VIII in this institution at present ?

3. Does the Govt. intend to meet this public demand from coming educational session from July, 1960 ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

1. Yes Sir.

2. 34.

3. No Sir. Because it does not fulfil the condition laid down for the introduction of additional subject.

श्री दलपतसिंह (आबू) : तो क्या यह मान कर चला जावे कि १९६० में क्लास स्टार्ट हो जावेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कंसीडर्ड का मतलब 'हां' भी हो सकता है और 'ना' भी हो सकता है ।

श्री दलपतसिंह: आपका क्या विचार है?

श्री उपाध्यक्ष : आप 'ना' की तरफ क्यों जा रहे हैं !

श्री मोहब्बतसिंह : Is the Govt. aware that last year, during Summer when the Chief Minister visited the place, he expressed his opinion to...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : I am not in the know of that.

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री लादूराम सुलाणियां : मेरा प्रश्न १०६० है, उसका उत्तर मिलना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री लादूराम सुलाणियां : मैं तो यहीं बैठा हूं । मैं कह रहा हूं कि मेरे श्न का उत्तर दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कहा, मगर मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है ।

११.५८ म. पू.

विधायी कार्य

राजस्थान लैंड रेवेन्यू एण्ड पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी (संशोधन) विधेयक, १६५६ (प्रवर समिति को)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप मन्त्री, शिक्षा) : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एण्ड पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी संशोधन विधेयक, १६५६ एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जिसके....

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : बिज़नेस में तो प्रस्तावक का दूसरा नाम लिखा है ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, जारी रखिये ।

श्री पूनमचन्द : जिसके निम्नांकित सदस्य होंगे । यह समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी ।

१) मिनिस्टर इनचार्ज
२) श्री चन्दनमल वैद
३) श्री मोतीलाल
४) श्री जयसिंह रानावत

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : When the Minister in whose name the Bill stands is practically here, why he is not moving it ?

श्री उपाध्यक्ष : This objection has been raised which is not taken well.

श्री पी० के० चौधरी : He is here. The Hon'ble Minister who is present in the House should move.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It is nowhere provided in the rules that a Dy. Minister cannot move in the presence of the Minister.

श्री उपाध्यक्ष : This does not need any discussion, please.

Pleass con tinue.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई :

५) श्री सुगनचन्द जैन
६) श्री लक्ष्मण हीरात
७) श्री रामचन्द्र
८) श्री सूबेदारसिंह
६) श्री गोकुलचन्द जाटव
१०) श्रीमती प्रभा मिश्रा
११) श्री बी. एन. जोशी
१२) श्री दयाकृष्ण विजय
१३) श्री रामकरणसिंह

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

१४) श्री किशनाराम

१५) रावराजा श्री सरदारसिंह

१६) श्री वीप्साराम

१७) श्री मनरूपराम परिहार

१८) श्री नाथीसिंह

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि लैंड रेवेन्यू एण्ड पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी अमेन्डमेन्ट बिल, १९५९ प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया।

Yes. Shri Bhai Bhikha to move.

राजस्थान सिंचन तथा जल-निकास (संशोधन) विधेयक, १९६०

(विचार विमर्श एवं पारित)

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान इरिगेशन एण्ड ड्रेनेज (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६० को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान इरिगेशन एण्ड ड्रेनेज बिल में मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है :

"The Bill be circulated for eliciting public opinion thereon within two months."

उपाध्यक्ष महोदय, जब से मैं देखता चला आ रहा हूं राजस्थान सरकार की आज कल न मालूम ऐसी क्या भावना बनती जा रही है कि काश्तकारों के अनुयायी होते हुए भी ऐसे महत्वपूर्ण बिलों को चुपके-चुपके पास करा देती है।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): धड़ाके से कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : धारा सभा चुपके से बिल पास करने का साधन है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : काश्तकारों पर यदि कर लगायें तो आपके लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि उनसे पूछें पहले, क्योंकि उनसे वोट लेकर आते हैं। यहां पर आकर अपन बैठते हैं। उनको बतलायें कि यह कर लगाया जाता है और इस सुविधा के लिए लगाया जाता है। मैं अर्ज करूं कि पहले मृत्यु भोज बिल पास किया, बेचारों को मालूम भी नहीं हुआ और आज उसका नतीजा क्या हो रहा है, धड़ा-धड़ लोग कर रहे हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं।

(हंसी व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मृत्यु भोज पर क्यों आ गये ? बिल पर बोलिये।

श्री उपाध्यक्ष : 'बीती ताई बिसारिये'।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पहले

Page No.35

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

आपनी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में तो जाकर कहिये कि यह कर लगाया है। चुपके-चुपके क्यों पास कर देते हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : रामराज्य में क्या हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह बिल इर्रिगेशन का आ गया। पहले तो इसमें था 'not maintained' अबकी आपने लगा दिया 'not contracted'. पहले राजाओं और जागीरदारों के टाइम में तालाब थे। हम मेन लाइन को खुद खुदवाते थे, छोटी २ लाइन काश्तकार खुद खोदते थे या राजा, जागीरदार खुदवा देते थे। धोरे फिर जाते तो आमील रहता था वहां पर; जिसने जिसके पानी को खराब किया नोक डाउन कर देते थे। चार आना, पांच आना उनसे लेते थे। अब सरकार ने यह कर दिया है कि धोरे और ड्रेनेज भी उनको ही बनाने होंगे; नहीं बनायेंगे तो कीमत सरकार उनसे वसूल करेगी। क्या करेगी, कितनी करेगी, कुछ नहीं। वह भी नहीं देंगे तो लैंड रेवेन्यू डिवीजनल ऑफिसर के द्वारा वह वसूल की जावेगी। मैं कहता हूं कि छोटी बात के लिए, मसलन धोरे का पानी फिर जाता है, क्यों ऐसा करते हैं, यह तो दर गुजर करने की बातें हैं ? बार बार आप टैक्स लगाते जाते हो। फी पानी, एक पानी पहले १।) रु० था।

डॉ० बहादुरसिंह : आप क्या चाहते हैं, यह समझ में नहीं आया ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप से कहा जाय कि इन्टरप्ट न करें, मैं क्या चाहता हूं वह मैं बता रहा हूं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो प्राक्कथन है।

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : यहां पर चुरण का काम नहीं है। यहां तो काश्तकारों का काम है।

अभी आपने फी पानी ६।) रु० लगा दिया है और हासिल ५।) रु०। इर्रिगेटेड और नये तालाब बने हैं। पहले सैटलमेन्ट हो रहा था, पांच आने, दस आने रेट थी, पानी फेर दिया, अवधि खत्म नहीं हुई थी और अभी से बुवाई का चार्ज कर लिया। कुल उनको इस तरह से १५) रु० देने पड़ते हैं और टैक्स मिला कर २०) रु० देने पड़ते हैं। होता क्या है काश्तकार के ? एक बीघा में दो, ढाई मन अनाज होता है। इतने में आपका टैक्स देगा या कुटुम्ब का खर्चा चलायेगा ? अब उनको कहते हैं आप कि हम तुमको पंच, सरपंच बनायेंगे और यहां तक कहते हैं कि एम० एल० ए० बनावेंगे। एम० एल० ए० बनने में तो खर्चा चाहिये, कहां से आवेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आपके होते हुए भी ऐसा कह देते हैं ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं ही सच्चा प्रतिनिधि हूं किसानों का तो। तब ही दुबारा चुन कर आता हूं। आगे तो परमात्मा मालिक है।

(हंसी)

Page No.36

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

सरकार को डर क्या है? इलेक्शन तो अभी काफी दूर है। पहले काश्तकारों को बतलाओ कि यह तुम्हारे पर टैक्स लगा रहे हैं। फिर उसके बाद लगाइये। हमारी कॉन्स्टिटुएन्सी में तो जाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे भी प्रतिनिधि मौजूद थे। हमारे प्रतिनिधि हैं तो माइनोरिटी में हैं, उनकी सुनते ही कहां हो?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पर आइये। बाहर की बातें क्यों करते हैं?

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसलिए लगाने से पहले आप इसको जनमत जानने के लिए भेजें। देखें, उनका क्या मत है; इसको चाहते हैं या नहीं? मैं सच्ची अर्ज करता हूं कि आप लोग बार बार उन पर कर लगा देते हो। उनको इससे बड़ी भारी मुश्किल हो रही है। झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य 'कालाबादलजी' ने एक रोज कहा था कि वहां पर जाते हैं तो गालियां निकालते हैं कि कर लगाते हो। मुझे तो मंत्री महोदय से बड़ा प्रेम है, सज्जन आदमी हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यह कब से हुआ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : भावना अच्छी होनी चाहिये। इस प्रकार कर लगाने से सरकार के प्रति लोगों में विश्वास उठता चला जा रहा है। परिणाम क्या होगा? राज करने के लिए....

श्री जनार्दनराय नागर : आपका विश्वास कायम करिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरा विश्वास है आप भी, अध्यक्ष महोदय भी जानते हैं। मैं गारन्टी के साथ कहता हूं कि पहले आप सरे आम जाकर कह दें। बावजूद इसके कि विरोधी तो विरोध कर रहे थे; कहेंगे कि फिर आना दुबारा। इसलिए इसको पहले आप जनमत के लिए भेज दें।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सिंचन व जल निकास (संशोधन) विधेयक, १९६० जो सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है उसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि दो महीने के लिये इसको जनमत के लिये प्रसारित किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह छोटा सा और पांच धाराओं का विधेयक है; इससे नहरी क्षेत्र में, विशेषकर बहुत बड़ी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत आनेवाली जमीन पर रहनेवाली बहुत अधिक जनता प्रभावित होने वाली है। जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में बताया गया है हमारी सरकार महसूस करती है कि जो बहुत सारी सिंचाई योजनायें बनाई गई थीं और जो सरकार की ओर से पूरा होने का काम था वह काफी हद तक पूरा हो चुका है, अब किसानों को सहयोग देना चाहिये। किसानों के हिस्से का जो काम है जो उनके खेतों में उनके द्वारा होना चाहिये था वह नहीं हो रहा है, ऐसा सरकार के ध्यान में आया है। सरकार को यह अनुभव हुआ कि अगर हमारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाना है और पानी का अधिक से अधिक उपयोग करना है तो सरकार ने जो पहले विधेयक में यह प्रावधान था कि नालियां किसान लोग अपने आप बना लेंगे, यह जो सरकार का ख्याल था वह पूरा नहीं हुआ और बिना उन नालियों के बने इन बड़ी योजनाओं को

(डॉ० चन्द्रकला)

सफलता नहीं मिलेगी। सरकार को आशा के अनुकूल फल नहीं मिला। इसीलिये मूल विधेयक के क्लॉज़ १८ में परिवर्तन करके यह प्रावधान रखना चाहते हैं कि डिवीज़नल सिंचन पदाधिकारी नोटिस देकर उन व्यक्तियों से जिन व्यक्तियों के खेतों में इस तरह की नालियां बनवानी हैं उनको पहले नोटिस देगा और उसके बाद भी अगर वह किसान काम नहीं करेगा तो वह काम सरकार खुद करवायगी और उसमें जो पैसा खर्च होगा वह रेवेन्यू के साथ जोड़ दिया जायगा और वह राजस्व के साथ वसूल किया जायगा। मैं तो सबसे पहले अपनी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि यह विधेयक जनता की नब्ज़ की अच्छी पहिचान दिलाता है। कोई भी योजना हो, बिना जन सहयोग के सफल नहीं हो सकती। हमें देखने को मिलता है कि जिस तीव्र गति से योजनायें हम बनाते चले जा रहे हैं लेकिन हम देखते हैं कि जनता का उन योजनाओं से कोई मतलब नहीं। आज आवश्यकता इस बात की है कि आज का किसान अपने नागरिक कर्त्तव्य को, अपने अधिकारों को समझे। इस बात को समझाने का हमने देश में प्रयत्न नहीं किया। आज हमारा किसान केवल अनाज पैदा करना जानता है और वह भी उतना ही पैदा करना चाहता है जितना उसके खाने पीने के लिये चाहिये या कुछ ज्यादा पैदा हो जाय तो उसके साल भर का खर्चा निकल जाय, उसके विवाह शादी का खर्चा निकल जाय; इतना सा बचाने की ओर उसका ध्यान है। आज के किसान को यह ध्यान नहीं कि आज देश के सामने भयंकर अन्न की समस्या है उसकी पूर्ति के लिये बहुत सारा धन विदेशों को चला जाता है। वह नहीं देखता कि बहुत बड़ी पूंजी अन्न के इन्तजाम में चली जाती है और यही कारण है कि हमारा किसान हमारी योजनाओं के साथ नहीं चलता। जहां हमारी योजनायें हवाई जहाज की गति से चलती है वहां हमारा किसान उन योजनाओं के साथ बैलगाड़ी से भी नहीं चल पाता। आज गांधी सागर की योजना तैयार है। खरीफ के समय नहरों के अन्दर पानी आ जायगा; किन्तु दूसरी तरफ किसान वहां के पानी को प्रयोग में लाने के लिये तैयार नहीं है। इसका कारण एक ही है और वह यह कि हमने योजनायें तो बनाई हैं लेकिन उन योजनाओं में जनता का सहयोग लेने का प्रयत्न नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि यह जो तरीका है, उनका वह ठीक नहीं है। आप कानून बनाइये. निस्सकोच बनाइये लेकिन जहां खेत में काम करने का है वह तो कानून द्वारा नहीं करवा सकेंगे, उनसे खेती तो जबरदस्ती या कानून द्वारा नहीं करवा लेंगे। सफलता इस बात में नहीं है कि आपने नहरें निकाल दी और पानी देना शुरू कर दिया उसके बहुत दूरगामी जो उद्देश्य हैं वे हमें सोचने चाहिये। लक्ष्य क्या है? उस लक्ष्य पूर्ति को सदन को देखना है। आज हम कानून के द्वारा जिस बात को करने जा रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है। मुझे इसमें यह भी भय है कि हमने यह कानून पास भी कर दिया तो यह जनता और सरकार के बीच अन्तर डालने वाला होगा। वह इस प्रकार से कि किसान यह सोचेगा कि सरकार हमारी बातों को कम सोचा करती है। जिस समय विधेयक पास हो जायगा तो पीछे महसूस करेंगे कि सरकार हमारी सहायता के लिए हमारे खेतों

(डॉ० चन्द्रकला)

तक में नालियां बनवा रही है। यह ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना है कि खेतों में नालियां बन सकती भी हैं या नहीं? अगर बन सकती हैं, तो किसानों ने बनाई क्यों नहीं और उन्होंने अपने हिस्से का काम पूरा क्यों नहीं किया? ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को यह भी मालूम नहीं होगा कि इस नहर की शाखायें, प्रशाखायें कहां कहां और किस किस तरफ से जायगी और किन किन लोगों को उसके लिये नालियां बनाना आवश्यक होगा। दूसरी बात यह कि किसान साल भर खाली तो बैठा रहेगा नहीं हालांकि उसके पास ३६० दिन का काम नहीं होता लेकिन फिर भी उसकी अपनी योजना होती है। उसके अनुसार उसकी फ़सल तैयार होती है। वह फसल को काटता है फिर फसल बोने के लिये तैयार करता है। इसलिये भी उसको काम के लिये समय नहीं मिल सकता। कानून से अगर हम यह कर देते हैं तो डिवीज़नल सिंचन अधिकारी जिन जिन खेतों में ऐसा कराना चाहेगा वह उनसे करा सकेगा।

दूसरी बात यह भी है कि सरकार जो काम कराना चाहती है उसमें खर्चा ज्यादा पड़ सकता है किसान जो काम करेगा वह श्रमदान से करेगा इसलिये वह काम सस्ता पड़ेगा। किसान के पास पैसे का अभाव भी रहता है, उसके पास श्रम का अभाव नहीं रहता है। श्रम का जो उसके पास साधन है अगर वह अपने आप उस काम को करता है तो वह सस्ता पड़ सकता है। इसकी बजाय सरकार द्वारा वह काम होता है तो उसको महंगा पड़ सकता है। यह ठीक है कि उस रकम की वसूली राजस्व के साथ होती है तो उसको वह महसूस नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार को यह सोचने की जरूरत है कि क्या किसान को कुछ मियाद और नहीं दी जा सकती और उस मियाद के अन्दर वह किसान अपने आप श्रम द्वारा खेतों में नालियां नहीं डाल सकेगा।

दूसरी बात यह है कि किसान को क्या क्या कठिनाइयां हैं? उन कठिनाइयों की जानकारी करके उसके अनुसार हम उनको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। जबरदस्ती जो कार्य नहीं करवाया जा सकता वह कार्य प्रोत्साहन और प्रेरणा द्वारा आसानी से करवाया जा सकता है। आज हम देखते हैं कि हमारा किसान खेती के कार्य के सिवाय अन्य कार्य करना नहीं जानता। आज जिस लक्ष्य को लेकर हम करोड़ों रुपयों की योजनायें बना रहे हैं उन लाखों, करोड़ों रुपयों का लाभ मिल रहा है या नहीं? लाभ तब ही मिलेगा जब हमारी पूरी जनता और हमारा देश का बच्चा बच्चा यह सोचेगा कि हमारी जो ये योजनायें हैं इनका यह लक्ष्य है, इसमें हमें सहयोग देना है। लेकिन हमारी सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। इसलिये मैंने यह छोटा सा, वैसे छोटा सा है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, पर क्योंकि इसमें जनता और सरकार दोनों का सीधा सम्बन्ध आता है और साफ मालूम होता है कि जहां सरकार एक ओर बड़े बड़े बांध, बड़ी बड़ी योजनाओं को क्रियान्वित करने में रहती है वह जनता को साथ लेने में रत्ती भर भी चिन्ता नहीं करती और न ही आगे बढ़ रही है इसलिये निवेदन है कि इसे जनमत जानने के लिये भेजा जावे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यह सही है कि कानून

(डॉ० चन्द्रकला)

के द्वारा आप नालियां भी बना लेंगे, जहां लाखों, करोड़ों रुपये खर्च करके आपने बांध बनाये हैं वहां ये नालियां भी बना लेंगे, पर आगे ? आगे क्या करेंगे ? वहां काम आपका ठप्प हो जानेवाला है। किसान उसका उपयोग नहीं करेगा। इसलिए जन-शक्ति का उपयोग अधिक से अधिक करने के लिये जनता को अपने साथ लेने की आवश्यकता है। जनता को उसके नागरिक कर्तव्यों के प्रति सचेत करने की आवश्यकता है। इसलिये इस विधेयक को जनता की राय जानने के लिये प्रसारित करना चाहिये।

मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जल्दी है। बरसात सामने है और बरसात में नहरों से पानी नहीं देनेवाले हैं। सिंचाई बरसात से होनेवाली है। दूसरा, किसानों को इन दिनों काम भी नहीं रहता है। मुझे जहां तक मालूम है बरसात में नालियां बनाने का काम बहुत आसानी से होता है। इसलिये किसान को मौका देना चाहिये कि वह खुद अपने खेतों की नालियां बना ले। हां, किसी की मजबूरी है, श्रम नहीं कर सकता इतना और पैसा पास में नहीं है तो स्वयं सरकार के पास वह आवे सहायता के लिये तब सरकार उसको सहायता करे, जैसे और बहुत सी जगहों पर आप किसान की मदद करते हैं वहां आपके पास आने पर आप किसान की मदद करें। इसलिये इस कानून को जल्दी पास करने की अपेक्षा जनता में पहुँचाना और उसकी भावना को जगाना आवश्यक है कि वह स्वयं आगे आवे और बनाले और जो भी सरकार से इसमें बन सके उसकी सहायता करे।

पर यहां तो सरकार कोई काम करती है तो पहले पैसे की बात करती है। नालियां तो बनावेगी पीछे, पर पैसा उससे पहले राजस्व में जोड़ कर वसूल कर लेगी। फिर यह भी निश्चित नहीं कि कितना पैसा नाली में बनाने में खर्च होगा, वह खर्चा किसान भी वाजिब मानता है या नहीं ? क्योंकि सरकार के काम तो जहां एक काम एक रुपया में बन सकता है वहां दो रुपया भी देते सरकार विचार नहीं करती। तो यह भी देखना है कि ऐसी हालत में वह बोझा किसान पर क्यों पड़े ? तो पहले कुछ काम हुआ-हवाया नहीं कि पहले ही राजस्व में आपने खर्चा जोड़ दिया। किसान की आपने इसमें कोई एप्रूवल नहीं ली कि इतना खर्चा इसमें होगा जो तुम्हें देना होगा। आपको पहले उसकी मंजूरी भी खर्चे की रकम पर लेना जरूरी होना चाहिये। नहीं तो वैसे भी कुएं वगैरह खुदाने, बनाने में आप तकावी के रूप में या अन्य प्रकार से सहायता देते हैं तो इस रूप में भी दिया जा सकता है और किश्तों में वसूल किया जा सकता है। इसलिये इसको जनमत के लिये भेजने की आवश्यकता है। फिर इसका असर कुछ जिलों की कुछ एरिया की जनता पर ही होने वाला है तो उस प्रभावित इलाके में हमारे सरकारी अफसर या ब्लॉक वगैरह के अधिकारी जाएं उनके बीच और जनता को इसके लिये तैयार करें। पंचायतें और जिला परिषदें भी इसमें सक्रिय हो सकती हैं और इस तरह से सब मिल कर प्रयत्न करेंगे तो समय से पहले नालियां बन कर तैयार हो सकती हैं। इसलिये कानून की शरण में न जाकर इस तरह से इस प्रयत्न को सफल करने की कोशिश करनी चाहिये।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैं जनमत प्रसारण के विरोध में बोलना चाहता

(डॉ० बहादुरसिंह)

हूं । इसका कारण यह है कि राजस्थान में बड़ी बड़ी जो सिंचाई की हमने योजनाएं बनाई हैं हम चाहते हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग हो । पर इसमें दिक्कत यह आती है कि नालियां वगैरह नहीं बनाने से पानी का पूरा लाभ नहीं लिया जाता और पानी यूं ही चला जाता है। इसलिये यह पानी खेतों म सिंचाई के लिये जावे और अधिक अन्न पैदा हो और इस तरह से उन बड़े बड़े जलाशयों का पानी काम में लाया जा सके तो इसलिये आवश्यक समझा गया कि सरकार इधर भी ध्यान दे । कोई किसान अगर जल्दी नहीं खोदता आलस के कारण अथवा अर्थाभाव के कारण तो सरकार ने यह तय किया कि वह खोद कर उसके लिये तैयार कर दे और इसमें जो खर्चा आवे वह धीरे धीरे लगान के साथ साथ में उससे वसूल कर ले। इसमें भी एक बात और है, सरकार पहले उसको मौका देगी कि अमुक समय में अगर तुमसे हो सके तो तुम तैयार कर लो, तुमसे नहीं हो सके तो सरकार खोद देगी और खर्चा उससे वसूल कर लेगी । मैं समझता हूं कि इसमें दो राय होने का क्या सवाल है ? यह तो किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये ही है ; कोई नया टैक्स है नहीं । जो किसान के पास में से होकर पानी बह रहा है उसके प्रयोग करने में सरकार किसान की मदद करना चाहती है ।

अब इसमें ऐसा भी है कि बहुत से किसान यह भी सोच लेते हैं कि चलो हम तो यह पानी न लें, बरसात में ही खेती करेंगे । तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि सरकार को अधिकार देना चाहिये कि वह उसकी आर्थिक हालत की मजबूरी को देखते हुए स्वयं बना ले और खर्चा लगान के साथ वसूल कर ले । तो इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि यह विधेयक जल्दी पास किया जाना चाहिये ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जनमत जानने के लिये प्रसारित करने के संशोधन का मैं विरोध करता हूं । हमें यह देखना है कि आखिर हम यह करने क्यों जा रहे हैं । जैसा कि इस बिल के उद्देश्य और रीज़न्स में बताया गया है कि किसानों की खेतों की नालियां बनाने का है, इसका अधिकार पहले भी किसानों को था पर चूंकि उन्होंने बनाई नहीं तो सरकार अब बनाने जा रही है । इस बारे का जो पहले एक्ट है उसमें भी यही प्रावधान था । नालियां बनाने की जिम्मेदारी किसानों की रखी गई थी । पर अब जब पानी देने का वक्त आ गया, बांध हमने तैयार कर लिये, पानी जाने लगा तो उन लोगों ने नालियां नहीं बनाई । तब इस अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी कि अगर किसान अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है तो सरकार करे और उसमें जो खर्चा पड़े वह सरकार उनसे वसूल कर ले । तो इस तरह, उपाध्यक्ष महोदय, नालियां बनाने का काम काश्तकार के जिम्मे रखने का सवाल तो पहले से ही रख दिया है । अब अगर जनमत जानने की बात होती इसमें तो यह जिम्मेदारी जिस समय किसान पर रखी गई थी उस वक्त होती ।

अब तो प्रश्न यह है कि जो लाखों-करोड़ों रुपया लगा कर सरकार ने सिंचाई के पानी का प्रबन्ध किया और इस तरह 'अधिक अन्न उपजाओ' की बात को सिद्ध करने का अवसर

Page No.41

(श्री शंकरलाल)

आया, पर उधर किसान ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो सरकार ने उसकी जिम्मेदारी खुद उठाने के लिये यह संशोधन पेश किया है। तो अब इसमें जनमत जानने जैसी कोई बात नहीं पैदा होती।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): नालियां बनाने का नहीं, उनको मेन्टेन करने का सवाल है।

श्री शंकरलाल: वह भी तो आप मेन्टेन नहीं कर रहे हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): पर जहां नये बान्ध बने हैं वहां तो नई बनानी पड़ेंगी।

श्री शंकरलाल: तो अब किसानों के द्वारा जिम्मेदारी नहीं निभाने का मतलब यह तो नहीं हो सकता कि चूंकि उन्होंने नालियां नहीं बनाई तो सरकार चुप बैठी रहे और जो बांध आदि में लाखों–करोड़ों रुपया सरकार ने लगाया है उसे यों ही व्यर्थ खर्च होने दे और अन्न संकट को हल करने के बजाय यों ही छोड़ दे। तो मैं समझता हूं कि यह तो बहुत बुरी बात होगी। तो ऐसी हालत में सरकार को इस काम को अपने हाथ में लेना ही चाहिये। जहां किसान खुद नालियां बना ले, अच्छी बात है, पर जहां न बनावे वहां सरकार को अधिकार देना चाहिये। और फिर इसमें ऐसी बात भी नहीं कि इसका असर सारी जनता पर पड़ता हो। सर्टेन इर्रिगेशन की जगहें हैं वहां की बात है और यह पहले से ही निर्धारित है कि नालियां बनाने का काम किसान का होगा; तो ऐसी स्थिति में इसे जनमत के लिये भेजने की आवश्यकता नहीं है। होना तो यह चाहिये कि यह उल्टी जल्दी से जल्दी पास किया जाकर काम शुरू किया जाय। अब रहा सवाल जनता को उत्साहित करने का। सरकार ने ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं रखा कि किसान को उत्साहित न किया जाय या किसान को न समझाया जाय। तो यह कार्य कोई भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि इसे जल्दी से यहां पास किया जाय। जनमत के लिये भेजने की आवश्यकता कतई नहीं है। सरकार ने तो यह कहा है कि जो जिम्मेदारी किसानों पर रखी है वह किसान स्वतः निभायें और अगर वह नहीं निभायेंगे तो वह सरकार निभायेगी। मैं यह समझता हूं कि जहां तक इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का सवाल है न तो इसके पीछे कोई सिद्धान्त है और न यह कोई नया कर है और न ऐसी बात है कि सारी पब्लिक को इफेक्ट करता हो। तो इसमें कोई कारण या आर्गुमेंट की बात नहीं है कि जिससे इसको डिले किया जाये बल्कि यह बहुत जरूरी है कि हमारी जो स्कीमें हैं वे जल्दी से जल्दी पूरी हों और मुझे आशा है कि सदन इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करेगा तो इससे जनता का भी भला होगा और खासकर किसानों को ज्यादा फायदा होगा। जनता का भला इसी में है कि इसको जल्दी पास करें तो वह ज्यादा से ज्यादा अन्न पैदा करें और ज्यादा से ज्यादा धान पैदा हो और हमारा जो उद्देश्य है वह सफल हो। यही शब्द कहते हुए जो जनमत जानने का प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोतीलाल।

श्री मोतीलाल (डोडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव है कि इस बिल को जनमत के लिए भेजा जाये मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे खयाल से ऐसी बात नहीं है, न कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात है कि जिसके लिए हम इसको जनमत के लिए भेजें। हम यह भी देखते हैं कि जो इसमें अमेंडमेंट है वह यही है कि जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इर्रिगेशन के उसके पानी को कैसे काम में लें। एक और तो हमारे देश में खाद्यान्न की कमी है और दूसरी तरफ उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इर्रिगेशन के बड़े बड़े प्रोजेक्टस सरकार ने कायम किये हैं और इन पर अरबों रुपया सरकार ने लगाया जो कि जनता का ही पैसा है। वह रुपया लगाने के बाद में भी उसको हम जनता के हित में नहीं ला रहे हैं। इतनी बड़ी केनाल आज कोई एक काश्तकार या पांच काश्तकार नहीं बना सकते हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, एक तरफ जनता का अरबों रुपया उन इलाकों में लगा है जहां पानी को लेकर बड़ी केनाल लाकर अन्न बढ़ाने के लिए व्यवस्था की है ; दूसरी तरफ आज काश्तकार इससे खुद फायदा उठायेगा और इससे सारे देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा और देश का ढांचा सुधरेगा। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट ने बड़े बड़े प्राजेक्ट्स का कन्स्ट्रक्शन किया है। आज एक काश्तकार कैनाल नहीं बना सकता है इसलिए हमने अरबों रुपयों का इनवेस्टमेंट किया है और अब हम चाहते हैं कि जो हमने अरबों रुपया इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने में लगाया उसका रिटर्न मिले। तो रिटर्न एक तो काश्तकार को खुद को मिलेगा और दूसरे इनडाइरेक्टली सब को मिलेगा प्रोडक्शन के बढ़ने से। हम यह समझते हैं कि जल्दी से जल्दी इस कानून को पास किया जाये ताकि अरबों रुपयों का जो इन्टरेस्ट पड़ा हुआ है और इनवेस्टमेंट लगा हुआ है और फीडर कैनाल नहीं बनने से जो काम में नहीं आ रहा है वह आना चाहिए। अब जिन आदमियों के कारणों से रुकता है तो या तो उनको निर्देश दे दें कि वह बना लें और अगर नहीं बनायेंगे तो गवर्नमेंट बना देगी और जितना पैसा उसमें लगेगा वह एडजस्ट कर लिया जायेगा। जिन काश्तकारों के पास पैसा नहीं है और जो नहीं बना सकते हैं तो सरकार उस पर विचार करे। सरकार उनको बनाने के लिए सहयोग दे और ऐसे प्रावधान पंचायत समितियों में और सेन्ट्रल बैंक के लोन देने का रखे कि जिससे वह लोग यह बनवा सकें। अगर काश्तकार के पास पैसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट उसको मदद भी करेगी। ऐसी स्थिति में मेरा इतना ही निवेदन है कि जो ३ प्रस्तावक महोदय हैं जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि इसको जनमत के लिए भेजा जाये उनमें से दो प्रस्तावक तो चाहते होंगे कि काम चल जाये और जो प्रस्तावक व माननीय सदस्या जयपुर से आनेवाली हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है उसको वह वापिस ले लें क्योंकि जितनी जल्दी फीडर बन सकें और केनाल को काम में जितनी जल्दी से जल्दी ला सकें उतना ही अच्छा है। एक काश्तकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इतना रुपया लगा कर यहां जो कैनाल आती है तो उसकी कुछ न कुछ जिम्मेदारी है। इससे उसको खुद को व्यक्तिगत फायदा हो रहा है। इससे दूसरों को कोई डाइरेक्टली फायदा नहीं हो रहा है। हां, इन्डारेक्टली फायदा होगा। उसके बाद में जिसके खेत में

(श्री मोतीलाल)

फायदा होगा वह अगर इतना भी न करे तो मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा इरेंस्पोन्सिबल आदमी कोई नहीं होगा। जो अपने खेत में फीडर केनाल नहीं लाकर देश के प्रोडक्शन को बढ़ाने की व्यवस्था नहीं करें तो ऐसे इरेंस्पोन्सिबल कल्टीवेटर के लिए जो यहां आकर उनके पक्ष में बोलें, वह उचित नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा माननीय सदस्य नहीं करें, इससे देश का अहित होगा और जनता का अहित होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वह जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है पब्लिक ओपीनीयन के लिए भेजा जाये उसको विद्ड्रा कर लें और सरकार को भी मैं निवेदन करूंगा कि अगर काश्तकार के पास पैसा नहीं होने से फीडर केनाल नहीं बना सकते हैं तो उनके लिए कोई न कोई प्रावधान किया जाये। बैंक के द्वारा लोन दिलवा कर या सहकारी समितियों के द्वारा लोन दिलवाकर। अगर एक काश्तकार नहीं बना सके तो कुछ काश्तकार मिल कर कोऑपरेटिव बेसिस पर बनायें तो उसमें भी सरकार को सहयोग देना चाहिए। सरकार भी इस ओर कड़ा रूख न ले। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी पास करना चाहिये ताकि प्रोडक्शन बढ़े।

श्री उपाध्यक्ष श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक सदन के समक्ष आया है मैं इसका समर्थन और जो इसमें संशोधन पेश किये गये हैं उनका विरोध करने खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के लाने का उद्देश्य एक ही है जो कि देश का सबसे प्राथमिक और सबसे ज्वलंत प्रश्न है वह यह है कि हमारे देश के खाद्यान्न का उत्पादन बढ़े। आज सबसे अधिक महत्व इसी चीज को दिया जा रहा है। हमारे देश के प्रधान मन्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शोलापुर के पास किसानों की महती सभा में इस बात को फिर से दोहराया है कि सबसे बड़ी देश की यदि कोई सेवा कर सकता है तो वह किसान ही है। लेकिन किसान सेवा तभी कर सकते हैं जब कि उनको खेती के साधन जुटाये जायें। भारत सरकार ने, हमारी सरकार ने और राज्य सरकारों ने भी समय समय पर वह सारे ही साधन किसानों को उपलब्ध कराने की पूर्ण चेष्टा की है; जिससे कि किसान अपनी कृषि का उत्पादन बढ़ा सकें। किसानों के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है भूमि की और भूमि के बाद सिंचाई के साधन, अच्छे बीज, अच्छी खाद, बैल आदि। यह सबसे बड़ी चीजें हैं। तो भूमि के बाद दूसरी चीजें जो जरूरी होती हैं वह सिंचाई के साधन हैं। सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते तो सारी चीजों के होते हुए भी वह खेती में विशेष उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए हमने पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत, राज्य सरकार ने भी सिंचाई के साधन बढ़ाने पर सबसे अधिक जोर दिया है। आज जो बड़े बड़े बांध बनाये जा रहे हैं, बड़ी बड़ी नहरें, राजस्थान कैनाल जैसी नहर निकाली जा रही है तो उन सब का उद्देश्य यही है कि जो हमारे देश की भूमि सैकड़ों वर्षों से प्यासी रहती चली आ रही है वहां पानी की पर्याप्त सुविधा दी जाये जिससे कि वह अपने पेट में से अन्न उगलने लगें। राजस्थान सरकार ने भी इसी उद्देश्य को लेकर यह बनाया है कि बड़ी बड़ी नहरें निकलेंगी और नहरों में से कुछ चेनल्स

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

निकाली जायेंगी सरकार के व्यय पर, लेकिन किसानों के खेतों तक पहुँचाने के लिए जो माइनर या छोटे छोटे और रास्ते होते हैं, जल मार्ग होते हैं उनको भी कभी २ किसान स्वयं पहुँचा नहीं पाते तो ठीक उसी प्रकार जैसे कि राज्य सरकार ने छोटी आयवालों के लिए या मध्यम आयवालों के लिए मकानों के लिए कर्जा देना आरम्भ किया है या और दूसरे २ तरीकों से भी चाहते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वे इस प्रकार के काम जिससे देश का विकास होता हो सब लोग मिल कर करें। अगर उसी उद्देश्य से यहां पर यह रखा है और व्यवस्था की गई है कि जो किसान अपने व्यय से स्वयं इस प्रकार के जो जलमार्ग को नहीं बना सकें उनको सरकार बना दे और उस पर उनसे छोटी छोटी किश्तों में उसको वसूल कर ले तो मैं समझता हूं कि इसमें जनमत प्रसारित करने के लिए या और इस पर कोई विशेष गम्भीर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि जो यह साधन सरकार उपलब्ध कराती है इसका उपभोग किसानों द्वारा जल्दी से जल्दी किस प्रकार से हो, उसको जल्दी से जल्दी तय करें। तो किसानों को इस प्रकार की सहायता दी जाय कि सरकार अपने खर्चे से छोटी छोटी नालियां निकाल दे और उन पर जो कुछ व्यय आता है उसको छोटी छोटी किश्तों में उनसे वसूल कर ले। मैं समझता हूं कि जो यह विधेयक रखा है वह बहुत ही उपयोगी और बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इस पर तत्काल ही सदन को अपना निर्णय दे देना चाहिए और राज्य सरकार को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी इस पर अमल कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मूल विधेयक का समर्थन और विरोध में जो संशोधन रखे हैं उनका विरोध करता हूं।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, जो विधेयक पेश हुआ है वह किसानों के हित में है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसमें कठिनाई यह है जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां पर बड़े बड़े बान्ध या तालाब हैं वहां से नहरें लाई जाय तो यह टैक्स वहां पर माफ कर दिया जाय। टैक्स भी वहां पर सरकार वसूल करे और यह खेत तक नालियों का भी सरकार वसूल करे तो यह बहुत बड़ा टैक्स है। कहां से पानी लाते हैं, तो नालियां खुदवाने में सरकार को जल्दी से जल्दी यह कदम उठाना चाहिए कि नालियां खुदवा कर किसानों को पानी दिलवाया जाय। इसमें जो मेहनत लगती है उसका खर्चा सरकार वसूल कर सकती है। लेकिन जहां पर बान्ध बनवाया गया है वहां पर १०, १०) रु० फी बीघा बी. एल. टैक्स वसूल किया जाता है। वहां पर भी मैं यह समझता हूं कि यह टैक्स लगता है तो वह टैक्स वहां पर रोड बनाने के लिए और पूरी हिफाज़त करने के लिए लगाया जाता है तो उसी तरह से जो है कि यह टैक्स भी किसानों से वसूल करें और मेहनत भी किसानों से वसूल करें तो उसमें काफी दिक्कत पड़ेगी।

दूसरी बात यह है कि जिन किसानों ने अपने आप नालियां नहीं खोदी तो सरकार नालियां खोद कर पानी ले जाकर सिंचित करेगी। उसमें जो रकम खर्च होगी वह बकाया

(श्री भीखाभाई)

रकम के आधार पर वसूल की जायेगी। तो बकाया रकम के आधार पर यह हो सकता है कि ५००) रु० खर्च हुआ तो ५००) रु० वसूल एक साथ नहीं होना चाहिए। वसूल नहीं करना चाहिए, यह मैं नहीं कहता। वह इस भाषा में है कि बकाया के साथ वसूल किया जाय, यह नहीं होना चाहिए। उसमें यह होना चाहिए कि ५००) रु० खर्च हुए तो ५०) रु० हर साल की लगान की किश्त में जोड़ दिये जायं और वसूल किये जायं तो गैर वाजिब नहीं है। वह वाजिब हो सकता है। परन्तु एक बात यह है कि सरकार जिनसे बी. एल. टैक्स वसूल करती है वहां पर इसको वसूल करने की जरूरत नहीं है। सरकार नहर बनाकर यदि उनसे १०) रु० बी. एल. टैक्स के वसूल करती है तो वह वाजिब होता है और यह नाजायज़ होता है। अगर यह वाजिब होता है तो वह टैक्स वसूल नहीं करना चाहिए। किश्तों के द्वारा आप तय कर लें तो जहां दूसरा टैक्स लगाया जायेगा बी. एल. का, वहां पर यह वसूल नहीं किया जाय। जहां पर किसी नदी से सीधे नहर लाकर सरकार पानी देती है वहां पर मज़दूरी सरकार वसूल करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। न वह जनता को अखरेगा। लेकिन उसमें यह होगा कि बाजार से यह पेन्सिल (पेन्सिल दिखाकर) व्यक्तिगत खरीदें तो चार आने, ५ आने की होगी, लेकिन सरकार की तरफ से खरीदी जायगी तो बिल १०-१२ आने का आयेगा। किसान ४ आने बाड़ी पर खरीदे और उसके मर जाने के बाद १२ आना या सवा रुपया उस तरह का हो जाय तो वह नहीं होना चाहिए। उसमें भ्रष्टाचार पैदा होगा। उसके लिए सरकार हिम्मत सम्हाल कर काम करे जिससे किसानों पर बोझ नहीं बढ़े। तो विधेयक को लागू किया जाय। उसमें दिक्कत जैसी बात नहीं है।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के खेतों में पानी देने के लिए नालियां बनाई जांय और उन नालियों का खर्चा किसानों के जिम्मे लगाया जाय, इस पर सदन में चर्चा हो रही है। मेरा ध्यान जब अर्बन एरिया की ओर जाता है तो यह देखकर कुछ अफसोस होता है कि जब शहर के हर एक मोहल्ले में वाटर की पाइप लाइन भेजते हैं तो सिर्फ इसलिए कि उनके घरों में पानी की फैसिलिटी होती है वहां पर हमारी सरकार मोहल्ले और गलियों की बात नहीं करती है कि पहले इतना पैसा दोगे या यह वाटर की पाइप लाइन आप अपने मोहल्ले तक ले लोगे तो वाटर कनेक्शन देने को तैयार होंगे। इसी प्रकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि नहर की बात है। मैं इस बात को अच्छी प्रकार से जानता हूँ कि यह किसानों का मसला है। मैं इस बारे में पूर्ण तरीके को समझता हूं कि इस प्रकार का जो बिल बनाया गया है उसमें किसानों की भावना बिल्कुल नहीं है क्योंकि नहर के नज़दीक ही खेत हो, ऐसी बात नहीं है। नहर से एक, एक, दो-दो मील तक खेत होते हैं और नहर का पानी सारे खेतों में देना होगा क्योंकि जब तक पानी नहीं देंगे तो किसानों की आर्थिक स्थिति नहीं आंकेंगे और न ठीक कर सकते हैं।

दूसरा इसमें आपने रखा है कि किसान का अपना खर्चा और सरकार द्वारा लादा हुआ खर्चा उस पर पड़ता है तो बड़ी मुश्कि-

(श्री सूबेदारसिंह)

कलें आने वाली हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि जमीन जो नहर के नज़दीक है वहां का काश्तकार सबसे अधिक फायदे में रहेगा और साल के अन्दर कई बार पानी लगा सकता है और ज्यादा से ज्यादा पानी ले सकता है, लेकिन कुलावे से दूर जो रहने वाला किसान है वह अपने खर्चे से नाली निकाल कर पानी ले जायगा, लेकिन फिर भी उसको पानी कम मिलेगा। उसकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी है कि वह दिन रात सर्दियों में मारा मारा फिरता है कि पानी वह अपने खेत में लाये और किसी प्रकार अपने खेत की पैदावार को बढ़ाये। किसान टेल पर बसा हुआ है और कुलावे से दूर रहता है। दूसरे, उसको पानी नहीं मिलता है, पैदावार कम होती है। उस पर आप यह चार्ज लगाना चाहते हैं कि वह इस नाली को ले जाय, तो या तो अपने श्रम से बनावे या अपने खर्च से बनावे। दूसरा जो प्रोवीज़न रखा गया है उसको देख-कर हैरान होते हैं। यदि किसान अपने खर्च से नहीं बनाता है तो राज्य सरकार बनायेगी और राज्य सरकार बनाती है तो पी. डब्ल्यू. डी. के हिसाब से माप कर पैसा जोड़ा जायेगा और आये दिन किसानों को खराब होना पड़ेगा और बड़ी मुसीबत पेश आयेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप किसानों की समस्या को सोचें तो पता चलेगा, मैं मंत्रीजी का ध्यान आपकी मार्फत आकर्षित करना चाहता हूँ कि किसान अपने अपने तरीके से खेती करते हैं, इन्डस्ट्री के तरीके से फार्म चलाते हैं, किसी तरह से....

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, वे इसका सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध ? इसके पीछे पार्वती के नले की बात आती है उसके बारे में क्या राय है ?

श्री सूबेदारसिंह : पार्वती की ओर इसकी बात कर लूंगा। मैं सपोर्ट करता हूं।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : इसमें पार्वती की बात कहां है ?

श्री सूबेदारसिंह : नहर से पानी जाता है, वे चाहते हैं कि फार्म बनाने के लिये अपने तरीके से काम लें। मान लीजिये दो तीन खेत बीच में आयेंगे वे कूओं से पानी लेंगे तो वे अपने खेत में होकर नाली नहीं बनायेंगे और आगे के किसान के लिये सरकार जबर्दस्ती नाली बनायेगी और चार्ज उनसे वसूल किया जायेगा। मैंने यू. पी. में देखा है। वहां पर उसका नाम कुछ और है। वहां पर सरकार बनाती है और सारा मेन्टीनेन्स सरकार करती है, एक प्रकार की व्यवस्था है कि हम घर से ज्यादा से ज्यादा कितनी दूरी पर पानी दे सकते हैं, यदि इससे अधिक दूर पड़ता है तो थोड़ा बहुत चार्ज करेंगे। आये दिन किसानों के सिर फूटते है, लाठियां चलती हैं। यदि आपने यह व्यवस्था करदी कि किसान अपने खेत में नाली बना-येगा, तो किसान उसकी मर्जी आवेगी तब नाला खोलेगा और पानी आगे के लिये छोड़ेगा और आगे वाले की फसल को बर्बाद करेगा और आगे का किसान पीछे वाले किसान, जिसने अपनी मिलकियत समझ रखी है, के पास आकर झगड़ा करेगा। इस प्रकार से आये दिन झगड़े होंगे। इसलिये इसको जनमत के लिये भेजा जाय क्योंकि हमारे यहां ८० फीसदी किसान हैं हम शहरों में बिजली ले जाने के लिये घर के पास खंभे लगाते हैं

(श्री सूबेदारसिंह)

और घर के पास तक नल पानी देने के लिये ले जाते हैं लेकिन जब किसान की बात आती है तो ऐसी बात कही जाती है। टेलीफोन के खंभे तक घर के पास शहरों में लगाये जाते हैं तो फिर किसानों को क्यों कहा जाता है कि अपने श्रम से या खर्चे से नालियां बना दो। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसको जनमत के लिये भेजा जाय। यदि नहीं भेजेंगे तो सरकार की प्रेस्टिज अच्छी नहीं रहने वाली है। आज गांवों की जनता और किसान यह महसूस करते हैं कि हमारे लिये कोई प्रबन्ध नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, आये दिन लड़कों को पढ़ाने लिखाने का सवाल आता है तो चार्जेज़ बढ़ाते जाते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार का फैसला कर लें कि पानी खेत से कितनी दूर दे सकते हैं और इसको तय करते समय यह ख्याल रखें कि किसानों के खेतों के नज़दीक ही पानी मिल जाय, तो उससे किसानों का भला होगा और सरकार को भी सहूलियत होगी। किसी के कहने से किसान की मिल्कियत खराब होती है, तो जो प्रोडक्शन आप बढ़ाना चाहते हैं वह भी नहीं बढ़ेगा और आये दिन झगड़े मोल लेंगे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनमत का जो प्रस्ताव है उसका विरोध करता हूं और चाहता हूं कि यह बिल जल्दी से जल्दी पारित हो जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस बात को मानता हूं कि यह बिल कुछ देर से आया है, इसको और भी जल्दी सदन में लाना चाहिये था। अव्वल तो मैं इस बात को मानता हूं कि गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ इन्क्वायरी करनी चाहिये थी। आज इर्रिगेशन की पोटेन्शियलिटी क्या है और युटिलाइजेशन जो होता है वह इतना कम क्यों है, उसमें इतना डिफरेन्स क्यों है? आल इंडिया बेसिस पर इर्रिगेशन पोटेन्शियलिटी में डेवलपमेंट किया गया है उसका ५० पर्सेन्ट तक युटिलाइजेशन होता है। राजस्थान में तो इससे भी कम युटिलाइजेशन होता है। कुछ प्रोजेक्ट्स में ५० पर्सेन्ट तक होता है और कुछ में २५या२० पर्सेन्ट तक होता है। इसका कारण क्या है? काश्तकार वाटर कोर्सेज़ और चेनल्स क्यों नहीं बनाते है, इस बारे में सरकार को जांच करनी चाहिये थी। जांच करते तो मालूम होता कि वाटर कोर्सेज़ और चैनल्स नहीं बनाने का कारण था फंड्स का अभाव। पैसा नहीं होने से नहीं बनाया गया। इसको हम आज रेक्टिफाई करते हैं। सरकार की तरफ से बना देते हैं और रफ्ते रफ्ते वसूल किया जायगा। धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार बना दे और किसानों से पैसा वसूल नहीं करे। मैं समझता हूं सरकार ने प्रबन्ध किया है और किसानों से वसूल नहीं करती है यह, उनकी गलतफहमी है। आज भी सरकार अपने पैसों से नहीं बनाती है। जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाये जा रहे हैं क्या वे सरकार की तरफ से बनाये जाते हैं? वे काश्तकारों की तरफ से ही बनाये जाते हैं और काश्तकार एग्रीकल्चर बैटरमेंट लेवी के जरिये रि-पे करते हैं। क्या आपको यह अच्छा लगता है कि चैनल बनाते हैं तो बैटरमेंट लेवी के जरिये सरकार वसूल कर ले; तो शायद आपको अच्छा मालूम होगा....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Nagar will not talk across the table, please.

श्री पी. के. चौधरी : बैटरमेंट लेवी के जरिये वसूल किया जाता है तो उसमें उनको भी दिक्कत होगी क्योंकि जिस एरिया से नहर जायेगी उस सारे एरिया में इक्वीटेबल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे । लेकिन फील्ड में चैनल का जितना हिस्सा आया उतने हिस्से का खर्चा ही रिकवर किया जायेगा । शायद आप यह मानते हैं और यह सोचते हैं कि आपके यहां नहर बनाई गई वह सारी सरकार ने अपने पैसों से बना दी, लेकिन ऐसी बात नहीं है । उसकी कोस्ट सारी की सारी किसानों से वसूल की जायेगी, बैटरमेंट लेवी से । कैपिटल एक्सपेन्डिचर से कर्ज़ा लेकर जो नहरें वगैरह बनाई जाती हैं वह कर्ज़ा वापिस रिपे करना है । इसलिए सरकार की तरफ से अपने खर्चे से बना रहे हैं, यह बात नहीं है । किसानों के लिए बनाई जा रही है उसकी कॉस्ट किसान देंगे ! मेरे ख्याल से क्या फर्क पड़ता है, जितनी चैनल और वाटर कोर्स आवे उसी प्रपोर्शन से कलेक्ट करें वह ज्यादा अच्छा होगा या बैटरमेंट लेवी से वसूल करना अच्छा होगा ? मैं समझता हूं, यह बैटर है और इक्वीटेबल है ।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि यह बिल इतना जरूरी क्यों है ? हमारे यहां जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनका कमान्डेड एरिया ६१ हजार एकड़ है लेकिन युटिलाइजेशन १२ हजार है हमारे यहां नरहा प्रोजेक्ट की पोटेन्शियेलिटी ३० हजार एकड़ है लेकिन युटिलाइजेशन १२ हजार है । इसी तरह से मुरेल की पोटेन्शियेलिटी १६००० एकड है लेकिन युटिलाइजेशन ६ हजार है,

नाम १	पोटेन्शियेलिटी २	युटिलाइज़ेशन ३
गंभीरी	१३,००० एकड़	४,५००
सरेरी	१५,०००	,,
खारी	११,०००	६००
नामोन	१२,०००	३,०००

(१ मध्यान्ह पश्चात्)

हम देखते हैं कि हमने इतनी पोटेन्शियलिटी डेवलप कर दी, उसके बावजूद भी वाटर का युटीलाइजेशन नहीं होता है, युटीलाइजेशन नहीं होने से जो हमने पैसा इनवेस्ट किया है प्राजेक्ट्स बनाने में, उसका असर फूड प्रोडक्शन पर होता है । हमने पोटेन्शियेलिटी डेवलपकरके सोचा था कि हम फूड प्रोडक्शन बढ़ायेंगे क्योंकि फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा तो गांवों में, देहातों में जो किसान हैं, उनकी जो प्रौस्पेरिटी है, उनकी बहबूदी है वह directly connected with the productive capacity of the field है ।

हमारे फील्ड की प्रोडक्टिविटी, केपेसिटी के साथ किसान की प्रोस्पेरिटी डाइरेक्टली कनेक्टेड है, वह तब बढ़ सकती है जब प्रोडक्शन की केपेसिटी बढ़े और प्रोडक्शन की केपेसिटी तब बढ़ती है, जब फील्ड में वाटर सप्लाई हो । तो जो फील्ड चैनल है, वह कितनी इम्पोर्टेन्ट है और इस वजह से हमारे यहां जो पोटेन्शियल कैल्कुलेशन नहीं होता है, उसके लिए प्लानिंग कमीशन के जो वाइस चेयरमैन हैं, वी.टी. कृष्णमाचारी, उनका कहना क्या है, वह सुना देता हूं । उन्होंने १९५८ में कहा था कि फर्स्ट फाइव

(श्री पी. के. चौधरी)

ईयर प्लान में आठ लाख मिलियन पोटेन्शियलिटी हुई थी, उसमें से चार लाख मिलियन यूटिलाइज़ कर पाये हैं "Only 4 million acres were actually irrigated. This is largely because the field channels which are the obligation of the villagers were not completed though in some cases the canal system had been badly designed and carried out." फर्स्ट फाइव इयर प्लान में युटीलाइजेशन पोटेन्शियल का नहीं हुआ, उसका मुख्य कारण बताया कि फील्ड चैनल नहीं बने, वाटर कोर्सेज़, जिनको बनाने की गांव वालों की जिम्मेदारी थी, वे नहीं बनाये थे, उसके बाद सैकिंड प्लान को शुरूआत में माउन्ट आबू में काम्युनिटी डेवलपमेंट की एन्युअल कॉन्फ्रेन्स हुई जुलाई १९५९ में, उसमें वी. टी. कृष्णमाचारी ने क्या कहा, वह भी इस सम्बन्ध में मैं सुना देता हूं। २३ जुलाई को कान्फ्रेन्स में भाषण देते हुए उन्होंने कहा : "There is a large disproportion between the potential of irrigation facilities which have been created and the actual irrigation. In the remaining period of the second Plan and in the third Plan we should attach the highest priority to works needed for the completion of the projects already started so as to get the maximum utilisation of the facilities. Officers designing the drainage works of such irrigation projects of States should see that at the same time as new canal system is ready, excavation of field channels by the beneficiaries is completed." फील्ड चैनल की रेस्पोन्सिबिलिटी विलेजर्स की है, बेनीफीशियरीज़ की है। हमारे प्लानिंग कमीशन के वाइस चेअरमैन ने माउन्ट आबू में भाषण दिया, उसमें कहा है "You must see that simultaneously with the completion of canal system, field channels are completed by the beneficiaries." अब बेनीफीशियरीज़ उसे कम्प्लीट नहीं कर पाते हैं तो सरकार उनकी तरफ से खुद बना कर उनको फील्ड चैनल देती है और बाई इन्स्टालमेंट, जो इरिगेशन चार्जेज़ हैं, उसके द्वारा उनसे रियलाइज़ कर सकती है। मैं समझता हूं, इससे ज्यादा रियायत नहीं हो सकती है। पहले उसे बेनीफिशियरीज के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप बनाओ, तो पिछले छः साल में भी नहीं बनी, अब अगर छोड़ दें, तो १० साल में भी नहीं बन सकती। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इसकी जांच की जाय तो मालूम होगा कि जो बेनीफिशियरीज हैं, जो विलेजर्स हैं, काश्तकार हैं, उनके पास सफीसियेन्ट फन्ड्स नहीं हैं, कि वे इन्वेस्टमेंट करके चैनल बना लें। मैं समझता हूँ कि यह किसानों के हित में है, यह कानून किसानों के हित में है and it is a very urgent legislation overdue and it must be passed immediately without any hitch over it.

श्री जयसिंह राणावत (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, इरिगेशन एन्ड ड्रेनेज बिल के बारे में प्रस्ताव आया है कि इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इससे असहमति प्रकट करता हूं किन्तु इसके साथ ही साथ इतनी सावधानी और चाहता हूं कि राज्य सरकार की ओर से जो कार्य कराये जा रहे हैं, उनके हमें बहुत कटु अनुभव हैं और हम देखते हैं कि ऐसे काम बिल्कुल लापरवाही से किये

Page No.50

(श्री जयसिंह राणावत)

जाते हैं और सरकार अपने अधिकारियों के द्वारा उन कामों को ठेकेदारों से कराती है। ठेकेदारों का ८० प्रतिशत काम इतना खराब और दुर्दशापूर्ण होता है कि वह वर्णनातीत है। इसके बारे में कई प्रमाण मेरे पास हैं और मैं आपकी, सरकार की जानकारी के लिए निवेदन करूं कि आसीन्द तहसील के चतुर्मास में चारों ओर से रास्ते कट हो जाते हैं। ब्यावर के रास्ते में पाटन बांध बना, तो इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ने उस रास्ते पर एक पुलिया बनाने की योजना रखी। लेकिन वह बांध तो सम्पूर्ण हो गया और उसमें इतना पानी बढ़ा कि चारों ओर का आवागमन का रास्ता रुक गया लेकिन वह पुलिया आज तक नहीं बन पाई। जब हमने गवर्नमेंट को एप्रोच किया तो उसने क्या किया कि जो पानी बह रहा था, उसको रोक कर और ऊंचा कर दिया। इसी तरह अखंड बांध भीलवाड़ा जिले में दो बार टूटा है। उसके टूटते ही तत्कालीन एस. पी. और तत्कालीन कलेक्टर....

एक माननीय सदस्य : एस. पी. ने क्या किया ?

श्री उपाध्यक्ष : केजुअलिटी की सम्भावना थी।

श्री जयसिंह राणावत : उसके नोटिस में लाये कि किस कारण से टूटा है ? लेकिन उस पर कोई एक्शन गवर्नमेंट की ओर से नहीं लिया गया। इस बिल के अन्दर, कितनी धन-राशि की चीज़ गवर्नमेंट बनायेगी कितनी की नहीं, अमानी में बनायेगी या ठेकेदारी में बनायेगी, इसका ज़िक्र नहीं है। हमको बड़ी खुशी हुई उस वक्त जब हमारे केबिनेट के एक साथी इस पाट पर बैठे, और उन्होंने एक झटका सत्संगी साहब पर बोला....

श्री उपाध्यक्ष : झटका दिया या बोला ? आप सरदार हैं, आप जानते हैं, झटका दिया जाता है।

श्री जयसिंह राणावत : उपाध्यक्ष महोदय, नाम सत्संगी है, लेकिन काम कुसंगी का सा है। ऐसे ऑफ़िसर्स जब तक रहेंगे, मैं सबको बदनाम नहीं करता हूं, लेकिन अभी पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा भीलवाड़ा में क्वार्टर बने हैं, उनको बनते देर नहीं लगी, वे टपकने लगे और जो हजारों वर्ष से बने हुए हैं, वे खंडहर की हालत में भी वैसे के वैसे खड़े हैं ! आज टैक्नीशियन्स मकान बनाते हैं, आप देखें पाली में क्या हुआ है ! गाड़िया लुहार...

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): नये मकान दो साल तक चूते हैं।

श्री जयसिंह राणावत : जी नहीं। तो मेरा निवेदन है कि सरकार ठेकेदारी में काम नहीं कराये और अमानी में कराये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पतराज।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक पर जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने इसको जनमत के लिए प्रसारित करने के लिए प्रस्ताव रखा है, मैं इसका विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है, सरकार ने यह विधेयक पेश किया है, इसको तुरन्त पास करना चाहिये। मैं इसके साथ साथ निवेदन करूंगा कि जब सरकार सिंचाई की कई छोटी

(श्री सम्पतराज जैन)

और बड़ी योजनायें बना रही है और पानी की नहरें, पानी के तालाब, अन्य साधन खेतों के पास प्रस्तुत कर रहे हैं, किसानों के खेत के पास ले जा रहे हैं, फिर क्या वजह है, क्या कारण है कि किसान उस पानी का फायदा नहीं उठाते ? उससे आबपाशी नहीं करते और अपनी बारानी जमीन को तालाबी जमीन नहीं बनाते, उससे अधिक लाभ नहीं उठाते, इसका क्या कारण हो सकता है ? मैं समझता हूं कि अगर मंत्री महोदय ने इस ओर ध्यान दिया होता तो आज इस विधेयक को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि राजस्थान सरकार सिंचाई के साधन बढ़ा कर खेतों की पैदावार बढ़ाना चाहती है, किसानों की माली हालत ठीक करना चाहती है, मगर सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी हैं, वे कर्मचारी सरकार के उद्देश्य को बेकार करने पर तुले हुए हैं। उसका कारण यह है कि जहां स्टेट के साधन अब भी मौजूद हैं, वहां भी किसानों को पानी नहीं दिया जाता, उनसे पैसा मांगा जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनको वक्त पर पानी नहीं दिया जाता है तो किसान क्या करते हैं ? वे रिश्वत देने को मजबूर होते हैं और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सरकारी अधिकारियों के पीछे से तालाब से, या पानी के जो साधन हैं, उनसे पानी ले लेते हैं। इसके साथ साथ और क्या होता है कि सिंचाई की दर सरकार ने निर्धारित की है। वह ऊंची है और उसके साथ साथ जो बैटरमेंट लेवी होती है, उसकी दरें ऐसी हैं जिसको सब किसान देते हुये हिचकते हैं क्योंकि उनकी माली हालत ठीक नहीं रहती है। ऐसी सूरत में, यह कारण है कि सिंचाई के साधन होते हुए भी किसान उनका फायदा उठाना नहीं चाहते और किसान उनका फायदा उठाने में हिचकते रहे हैं। वे सोचते हैं कि जो नाली बनाई है, जो पानी लाये हैं, उस पानी को मिलने में दिक्कत आवेगी, उसके लिए कर्मचारी रिश्वत वसूल करेंगे, इसके साथ ही साथ बैटरमेंट लेवी वसूल करेंगे, उस पर इतना बोझ हो जाय जिसे वह अदा न कर सके और उसकी माली हालत और गिर जाय। मगर मैं समझता हूं सरकार की यह मंशा नहीं है, सरकारी कर्मचारी दिक्कत पैदा कर रहे हैं, इसको ठीक करना चाहिए। बैटरमेंट लेवी की दरें किसान जितनी दे सकता है उतनी ही रहनी चाहिए। नालियों के लिये किसी को आपत्ति नहीं, नालियां बनानी चाहियें और नालियां बनाई जायेंगी, इसमें आपत्ति नहीं होती पर सरकारी कर्मचारी, इरींगेशन वाले किसानों के खेतों के बीच में नालियां बना देते हैं, जिससे अधिकांश हिस्सा खेतों का बर्बाद हो जाता है। जो नालियां आवश्यक हैं वे बनाई जांय, उनसे किसानों की जमीनें बिगड़ने नहीं पावें। नालियां जो बनाई जायं वे केवल सरकार की ओर से बनाई जायें; यही बात नहीं, सामुदायिक खण्ड, सहकारी समितियां हैं उनकी मार्फत बनाई जाय, इससे किसानों को कम कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और इरींगेशन विभाग में खाना पीना और धंधे चलते हैं........

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): धंधे भी चलते हैं ?

श्री सम्पतराज जैन : चलता है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है।

(श्री सम्पतराज जैन)

साथ ही एक और दिक्कत है, किसान पानी लेने में हिचकिचाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पानी लेने से पैदावार बढ़ेगी, परंतु उस फसल की सुरक्षा के लिए कांटेदार तारों की जरूरत पड़ेगी। कांटेदार तार लगाने के लिये किसानों के पास पैसा नहीं है। इसके लिये ऋण देने की आवश्यकता है, सरकार किसानों को अपने खेतों के चारों ओर तार लगाने के लिए कांटेदार तार लगाने के लिये ऋण दे। मुझे यही निवेदन करना है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इसके बारे में है कि पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय, इसका मैं विरोध करता हूं। राजस्थान की द्वितीय पंच वर्षीय योजना को देखें तो १३ लाख एकड़ की सिंचाई की योजना थी पर केवल ६ लाख एकड़ के लिये ही पानी को यूटिलाइज़ कर सके हैं। करोड़ों रुपया राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से कर्ज लेकर खर्च किया पर राजस्थान की जनता इसको अच्छी तरह से युटिलाइज़ नहीं कर सकी। माननीय सिंचाई मंत्री इन सारे पहलुओं पर देखें, इसका केवल फील्ड चैनल ही एक मात्र कारण नहीं है जिससे कि किसान पानी नहीं लेते हैं, फील्ड चैनल के अलावा और भी कई कारण हैं, उन सारी ड्रा बैक्स को, किसानों की दिक्कत को सरकार गौर नहीं करेगी, सरकार दूर नहीं करेगी तो फील्ड चैनल बन जायेंगी तो भी किसान पानी नहीं लेंगे। पहले से दुगुना वाटर रेंट कर दिया, सात आठ रुपया बीघा वह लैंड रेवेन्यू देता है और १० रुपया प्रति एकड़ पिलाई का और देना पड़ता है, इससे किसान पर अधिक भार पड़ता है। इसी कारण बम्बई सरकार ने यह किया है कि नये कार्य होते हैं, उनकी आधी सिंचाई लेती है। इसी तरह यू. पी. सरकार भी इसके लिये सोच रही है कि वाटर युटिलाइजेशन की दो-तीन वर्ष तक आधी रेट लें।

इसके अलावा सीपेज का प्रश्न है। जहां नहरें कम हैं वहां सीपेज नहीं होता पर जहां नहरें हैं वहां उत्पादन में वृद्धि होना तो दूर जहां नहरें निकल गई हैं, वहां सीपेज हो रहा है, इसके साथ लैंड रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, सिंचाई की वजह से इरिगेशन विभाग के कर्मचारी काश्तकारों को तकलीफ देते हैं, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब बातों को ठीक किये बगैर फील्ड चैनल बना देंगे तो आप २५ पर्सेन्ट ही लाभ उठा सकेंगे। नोटिस दे देंगे, नोटिस के बाद भी नहीं बनेंगी तो यह बड़ा भारी राइडर रखा हुआ है। फील्ड चैनल बनाने का सवाल है, एक काश्तकार लाना चाहता है और दूसरा काश्तकार अपने खेत में से नहीं जाने देता। मैंने सुझाव रखा है कि फील्ड चैनल के साथ दूसरे जितने सवाल हैं, उनको कानून के द्वारा नहीं, जनरल ऑर्डर द्वारा ठीक किया जाय।

हर आदमी सेल्फिश होता है और अधिक पैसा प्राप्त करने के लिये, धन-वृद्धि करने के लिये वह हमेशा तत्पर रहता है तो हमें एनेलिसिस करना होगा कि सब सुविधाएं होते हुए भी काश्तकार पानी क्यों नहीं ले रहे हैं।

मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इन सब बातों पर सोचेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, the Hon'ble Minister.

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इरिगेशन एन्ड ड्रेनेज (अमेंडमेंट) बिल पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। इसके लिये मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे खुशी इस बात से हुई कि जिन जिन माननीय सदस्यों ने सदन में विचार व्यक्त किये, यह राय प्रकट की कि इस विधेयक की बड़ी आवश्यकता है। एक माननीय सदस्य ने तो यह कहा कि यह बहुत पहले से ओवरड्यू था, इसको पहले ही पास कर देना चाहिये था। जहां तक राजस्थान सरकार का सवाल है वह कई राज्य सरकारों से योजनाओं में आगे है, कुछ ही राज्य होंगे जिन्होंने इस प्रकार के विधेयक को पारित किया है।

यह सही है कि हिन्दुस्तान में जो सिंचाई योजनाएं प्लानिंग कमीशन द्वारा स्वीकृत हुईं, पहली और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, इनमें वाटर युटिलाइजेशन के प्रश्न को लेकर प्लानिंग कमीशन बहुत चिंतित है और प्लानिंग कमीशन ने समय समय पर राज्य सरकारों को सजेशन्स, डाइरेक्शन्स दिये हैं। राजस्थान के अलावा जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं नागार्जुन, दामोदर वेली, हीराकुंड, भाखरा नांगल, सबके लिये प्लानिंग कमीशन का संकेत है कि पानी का युटिलाइजेशन अनुचित ढंग से किया जाता है, वह राज्य सरकारों को इस प्रकार के डाइरेक्शन्स देता रहेगा।

अभी फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने उस भाषण का संकेत किया जिसको प्लानिंग कमीशन के वाइस चेअरमैन ने दिया था और कहा था कि मेग्ज़िमम वाटर यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है? आज अगर एक तरफ हम अपना काम करते जाते हैं, बड़ी योजनाओं को बनाते जाते हैं और उन योजनाओं को बना कर रह जावे और उनमें से नहरें तैयार नहीं हों तो आप कहते हैं कि लाखों रुपयों का कर्जा लेते हैं और वह योजना तैयार हो जाने पर भी उससे लोगों को लाभ नहीं होता। तो जिस भावना से इस योजना का निर्माण किया है वह भावना ही असफल हो जाती है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वह देश की मांग है, यह युग की और समय की मांग है कि जो निर्माण कार्य हों वे साथ के साथ हो।

हमारे एक मानीय सदस्य ने, उनियारा से आने वालों ने कहा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज वे उसी पुरानी और पुराने जमाने की बातों को याद करते हैं और कहते हैं कि हमारे राज्य में यह था और कहते हैं कि हम टैक्स वसूल करते हैं। मैं यह कहूंगा कि इसमें टैक्स का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। यह तो किसानों के फायदे की चीज़ है। जैसा रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया। यह प्रश्न ऐसा है कि जिसके पास साधन उपलब्ध नहीं हों तो वह काश्तकार सिंचाई के पानी का उपयोग नहीं कर सकता। इसलिये उसके फायदे के लिये यह जरूरी है कि सरकार की ओर से इस प्रकार की नालिकाओं का निर्माण करा दिया जावे और जब उनका निर्माण हो जावेगा तो उनको पानी मिल सकेगा और धीरे धीरे ईज़ी इन्सटालमेंटों में रुपया उनसे वसूल किया जा सकता है। यह प्रचार किया जाता है कि यह रेवेन्यू में

(श्री भीखाभाई)

मिलाया जावेगा और एक मुश्त रकम उनसे वसूल की जावेगी, यह उचित नहीं है । सरकार की इच्छा यह है कि किसी प्रकार काश्तकारों को, किसी तरह से किसानों को गतिशील बनाया जावे और जो उनके खेतों को पानी मिलने वाला है उसका सदुपयोग किया जावे ।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करना नहीं चाहता । मैं यह कहूंगा कि १८ ए में जहां किसी एरिया में इस बात की जरूरत होगी वहां लागू किया जावेगा । मान लें कि एक मेजर योजना है। माइनर्स तैयार हैं; डिस्ट्रीब्यूटरीज़ तैयार हैं; वाटर कोर्सेज़ तैयार न हों। कुछ ऊंचे रहते हैं और कुछ किसानों का झगड़ा हो । जैसे हाई रीचेज़ में पानी नीचे आता है तो नीचे वाले पानी लेने नहीं देते हैं; तो पानी लेने का प्रश्न मद्दा पड़ जाता है । तब प्रश्न यह उठता है कि सरकार उस वक्त में क्या करे ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेग्ज़िमम वाटर युटीलाइजेशन किया जावे; यह कहते हैं और दूसरी तरफ समय समय पर अपने भाषणों के जरिये से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं कि पानी का युटीलाइजेशन नहीं होता है , नहरें नहीं बनी हैं ।

एक तरफ तो यह कहा जाता है और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि सरकार की तरफ से टैक्स लगाया जा रहा है। सरकार कोई टैक्स नहीं लगा रही है, सरकार किसानों के हित के लिये कार्य कर रही है । इस प्रकार के कई और प्रश्न भी हमारे और राज्य सरकार के सामने हैं ।

माननीय सदस्या ने, जिन्होंने कहा कि इसको जनमत के लिये प्रसारित करना चाहिये ; उनको कभी इस पर सोचने का समय नहीं मिला । वे कहती हैं कि अभी चौमासे में इसकी क्या जरूरत है ? वे अभी चम्बल बांध देखने गयी थीं, वहां पर उन्होंने मुख्य अभियन्ता से बात की । डेम बन गया मगर बाकी का बहुत काम बाकी है । उन्होंने मुख्य अभियन्ता से बात की तो उन्होंने कहा कि दो-तीन महीने लगेंगे, नये मानसून से पानी....

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार,जयपुर): उन्होंने यह बताया कि बना देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं बनावेंगे तो क्या करेंगे ?

श्री भीखाभाई : जब मुख्य अभियन्ता से मिलीं तो कहा कि हम अक्टूबर के महीने में पानी छोड़ेंगे । आप हमसे पूछेंगे कि चम्बल से कितना पानी मिलने वाला है तो क्या कहेंगे ? कितनी भूमि उससे आबपाश होगी ? जब चम्बल में जो भूमि है उसके लिये हम कोई प्रबन्ध नहीं कर पावेंगे तो आप यही कहेंगे कि सरकार की लापरवाही है। आप यही कहेंगे ।

(करतल-ध्वनि)

मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इन सारी बातों के लिये सरकार जागरूक है

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order please !!

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो पानी अपने यहां चम्बल के लिये छोड़ा जाने वाला है वह अक्टूबर में आवेगा । स्थिति यह है कि जो भूमि ऐसी है जिसमें वाटर कोर्सेज़ नहीं बने हैं और जहां पर पानी की जरूरत होगी वहां पर ले जाया जाना संभव नहीं होगा, उनके लिये छूट होगी । पहले तो किसानों को मौका दिया जाता है कि किसान अपने आप वाटर कोर्सेज़ बना लें और अगर नहीं बनाते हैं तो सरकार बनायेगी और जहां जरूरत पड़ेगी तो कोऑपरेटिव और पंचायतों के द्वारा बनवायेगी । लेकिन सरकार....

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : On a point of information, Sir, आप ऐसा कोई उदाहरण बतावें कि पहले इस प्रकार हुआ हो । आप इसमें एमेंडमेंट लाकर मेन्टेन करने की बात लाये हैं । पहले कन्सट्रक्ट होगा फिर मेन्टेन की बात होगी ।

श्री भीखाभाई : मेरे दोस्त वकील हैं । जब तक कन्स्ट्रक्ट नहीं होगी तब तक मेन्टेन कैसे होगा ?

श्री दयाकृष्ण विजय : जब एक चीज़ ही नहीं है तो फिर उसका मेंटीनेन्स कैसे होगा, यह समझ में नहीं आता ।

श्री उपाध्यक्ष : Order! order please!!

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष, मैं यह अर्ज कर रहा था कि इसमें संशोधन किया है वह यह किया है कि जहां " not maintained at the expense of the Government " यह लिखा है, उसमें हमने मेन्टेन के बजाय कन्सट्रक्टटेड लिखा । उसको किसान बनाना चाहें, बनाए । पहले वह बनावे और उसके बाद में वह मेन्टेन करता है अपने खर्चे से । जब आपको कहने का मौका दिया गया था तब तो आप बोले नहीं और पीछे जब मैं बोलने लगा तो आप बीच में बोलने लगे । मेरी समझ में नहीं आता कि आप क्या दलील करते हैं ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार के द्वारा जो काम होता है वह ज्यादा महंगा पड़ता है और,खुद बनाते हैं वह तो सस्ता पड़ता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार ने जो संशोधन रखा है वाटर कोर्स बनाने हैं, तो वह अच्छी तरह बना सकता है । तो फिर क्यों प्रश्न उठता कि सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है ? अगर वह बनाना चाहता है तो उसको पहल होती है, उसको इसकी सूचना नोटिस के द्वारा दी जाती है । यह युग की मांग है कि आज जितना पानी सिंचाई योजना का है उसका सदुपयोग हो और वह तभी हो सकता है जब वाटर कोर्स वह बनावें ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि दूसरी कई कठिनाइयां हैं । मैं भी महसूस करता हूँ कि उनको कठिनाइयां हैं लेकिन उनका इलाज होगा ।

सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रथम और माध्यमिक योजनाओं के बारे में कहा । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वाटर कोर्स नहीं बनावेंगे तो पानी नहीं दे सकते । अगर चम्बल के बारे में सतर्कता नहीं बर्ती जाएगी तो हम जवाब देने में रह जावेंगे ।

(श्री भीखाभाई)

जो धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने पक्ष के बारे में इधर उधर की बातें कही। जब मैंने पार्वती डेम के बारे में पूछा कि उनकी क्या राय है और उनके क्या सुझाव होंगे? मगर अफसोस के साथ अर्ज करना पड़ता है कि वे बता नहीं सके और मैं समझता हूं कि इसलिये वे बताना नहीं चाहते।

मेरे पास पूरे फिगर्स नहीं हैं। लेकिन जब तक वाटर कोर्स बनाने का काम सरकार अपने हाथ में न ले यह पूरा नहीं हो सकता। माध्यमिक योजना के सामने और बड़ी योजनाएं जो होंगी उनके लिये यह बहुत जरूरी है कि वाटर कोर्स बनने चाहिये। निम्नलिखित आंकड़ों से साबित होगा कि वाटर कोर्स किस हद तक हैं :

भीलवाड़ा के मेजा बान्ध के बारे में	३१०००	१२०००
गुड़ा में	२००००	२,३४०
सवाई माधोपुर (कालीसिन्द)	८०००	१,७६६
मोरल के बारे में	१६०००	६०००
गम्भीरी	१३०००	४६००

ये आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि किसान किस कदर से वाटर कोर्स नहीं बना सका है और उसकी कठिनाई यह हो सकती है जैसा मैंने निवेदन किया कि आपस में एक काश्तकार और दूसरे काश्तकार का खेत आता है, एक काश्तकार दूसरे काश्तकार को अपने खेत में से नाली न ले जाने दे या दूसरा यह हो सकता है कि काश्तकार के पास साधन न हो, उसके पास पैसा न हो कि वह बना सके। आज किसानों को सरकार मदद करना चाहती है, सरकार काश्तकारों को उठाना चाहती है, किसान निर्माण के कामों में भाग लें। कल तो फिर आप यह भी कहने लग जावेंगे कि यह निर्माण योजना के अन्तर्गत सरकार जो लोगों को कुछ सब्सिडी देती है, लोन देती है, आपकी यह दलील होगी कि यह काम भी नहीं होना चाहिये।

अतः मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह एक प्रगतिशील विधेयक है और यह जनता के हित का है। इसकी आवश्यकता नहीं है कि इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जाय क्योंकि सदन में आये भी इसको काफी समय हो गया है और इसको तो सीधा ही पास कर दिया जाना चाहिये था।

(करतल-ध्वनि)।

इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र पास करें और अपने सारे अमेंडमेंट्स को माननीय सदस्य वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान इर्रिगेशन एन्ड ड्रेनेज (अमेन्डमेन्ट) बिल, १६६०-

Page No.57

(श्री उपाध्यक्ष)

को जनमत के लिए प्रसारित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

Motion for consideration may be moved.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): He has moved the motion for consideration.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान इर्रिगेशन एन्ड ड्रेनेज (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६० को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

क्लॉज़ २

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३

[इस क्लॉज़ ३ पर निम्न सदस्यों के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

(१) श्री दयाकृष्ण विजय प्रस्ताव करेंगे :-

2. Add the following Sub-clause (1 A) to the proposed section 18 A :-

"(1A) Before issuing such notice, it shall be the duty of the Divisional Irrigation Officer to lay out way of the proposed field channels and other water courses on every individuals field."

(२) श्री शंकरलाल प्रस्ताव करेंगे :-

3. To Sub-section (2) of the proposed now section 18A, the following proviso be added :—

"Provided that the date mentioned in such notice shall not expire earlier than fifteen days from the receipt of that notice by the person for whom such notice is issued."

(३) श्री सोहनलाल भटनागर प्रस्ताव करेंगे :-

4. Add the following proviso to Sub-section (3) of section 18 A sought to be inserted in the Principal Act :—

"Provided that no person shall be required to under take such work and no such cost shall be recovered if such water course irrigates more than fifty acres of land."

(४) श्री भीखाभाई प्रस्ताव करेंगे :-

5. In Sub-section (4) of the newly proposed section 18A: Substitute "Divisional Irrigation Officer" for "Divisional Panchayat Officer."]

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्लॉज़ ३ के अन्दर राज्य सरकार को इस प्रकार का अधिकार दिया गया है कि यदि काश्तकार अपने खेत पर पानी ले जाने के लिए नालियां नहीं खोदते हैं तो राज्य सरकार अपने खर्चे से करायेगी और उस खर्चे को सरकार काश्तकार से लगान के समय वसूल करेगी। इस बार सरकार ने ऐसा निश्चय किया है कि जैसा पहले उसको अधिकार था कि पहले मेन्टीनेन्स का खर्चा डालेंगे काश्तकारों पर, इस बार नालियां बनाने और मेन्टीनेन्स करने का खर्चा काश्तकारों पर डाला गया है। हालांकि मैं स्वयम् इस बात का विरोधी हूं, जब कभी सिंचाई योजना, इर्रिगेशन स्कीम, बनाई गई थी, कभी काश्तकारों को पाबन्द नहीं किया था कि मेन चैनल से फील्ड तक वाटर कोर्सेज़ का निर्माण करे। यह पहली दफा का रखा गया है। जिस तरह की स्कीम है, कोटा डिवीजन में इस प्रकार की स्कीम है जिससे काश्तकारों को अतिरिक्त बोझा उठाना पड़ेगा। उनको नालियां बनानी पड़ेंगी। मैं निवेदन करूंगा कि नालियां केवल खेतों पर ही नहीं बनानी हैं। यह इस बिल में साफ नहीं किया गया है। जहां मेन केनाल निकलती है, उसकी सब्सिडियेरी चैनल्स हैं उसके जमीन में यदि सरकारी जमीन पड़ी रहती है, दूसरे लोगों की जमीन पड़ती है तो वहां पर कौन केनाल कन्स्ट्रक्ट करेगा? हो सकता है कि वहां से पचास कदम काश्तकार का खेत दूर हो, बीच में वेस्ट लैंड पड़ी हुई है, अथवा सरकार की पड़ी है, अथवा किसी काश्तकार की पड़ी है तो उसमें कौन कन्स्ट्रक्ट करेगा?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : यह आपका संशोधन नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं उसी पर आ रहा हूं, जरा शान्ति रखिये। मैं समझता हूं कि जब तक मैं अपने संशोधन पर आऊं तब तक आपको गंभीरता रखनी पड़ेगी।

केवल आज काश्तकार के सामने यह प्रश्न नहीं है कि अपने खर्चे से अपने खेत में नालियां ले जानी पड़ेंगी किन्तु दूर से ले जानी पड़ेंगी। काश्तकार के पास न औजार हैं, न उसके पास वैज्ञानिक इन्जीनियरिंग दृष्टि है। कहीं जमीन ऊंची है, कहीं पर जमीन नीची है, कहीं पर जमीन समतल हो सकती है उसको कहां से होकर वाटर कोर्स ले जाना पड़ेगा? जिससे उसको कम कष्ट उठाना पड़े। कहीं पर नीची जमीन आगई, कहीं पर ऊंची जमीन आ गई, कहीं पर अधिक गहराई आ गई, इसके साथ फिर दूसरे के खेत पर ऊंचाई आ गई तो बीच में गहराई होने से वाटर जमा हो सकता है और यह खतरा रहता ही है। इसकी वैज्ञानिक दृष्टि तो इन्जीनियर के पास रहती है आखिर वे पढ़ने में पैसा खर्च करते हैं और ज्ञान अर्जन करके यह भलीभांति जान सकते हैं कि कौनसा लिन्क समानान्तर हो सकता है, हर काश्तकार को पानी मिल सकेगा। आप खर्चा काश्तकार पर डालना चाहते हैं कि वह अपने स्वयम् के पैसे से खोदे। सरकार को अपने ऊपर यह भार अवश्य लेना चाहिये कि उन काश्तकारों को जो इन्जीनीयरिंग की सहायता हो सकती है वह उनको प्रदान करे। वह यह हो सकती है कि सब्सिडियरी केनाल से लेकर फील्ड तक पेरेलल लाइन, ऊंचाई, नीचाई, गहराई हो तो उसको देखकर, कहीं एक जगह पर पानी इकट्ठा न हो जाय, इस दृष्टि से देख कर, काश्तकारों को वह सहायता प्रदान करे। आप

(श्री दयाकृष्ण विजय)

यदि चाहते हैं कि आसानी से काश्तकार अपने खेतों पर पानी ले जा सकें इन नालियों के द्वारा तो आप उनको इन्जीनियरिंग की सहायता दीजिये । जहां तक मुझे मालूम है कोटा डिवीज़न में नालियां खुदवाने के लिए तीन इन्जीनियर रखे हैं और पांच छः ओवर-सीयर डेपूट किये गये हैं । मैं पूछना चाहता हूं, आप इस बात को जानते हैं कि काश्तकार खुद नालियां नहीं खोदेंगे, यह क्यों रखा है फिर ? आप कहेंगे कि काश्तकार नहीं खोदेंगे उनके स्थान पर इन्जीनियर यह काम कर-वायेंगे । मैं पूछना चाहूंगा कि आज क्या काश्तकार में यह इन्जीनियरिंग बुद्धि है कि जहां तक वह पानी ले जावेगा, नाली बनायेगा तो उसके बीच में कोई रुकावटें नहीं आवेंगी ? यदि आप काश्तकारों को सुविधा नहीं देना चाहते हैं, उन पर ही नालियां खोदने का अतिरिक्त भार डालना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार का यह काश्तकारों के साथ न्याय नहीं है । हो सकता है कि आप उनको सुनहरे मन्सूबे दिखाते रहे हैं, उनको स्वर्णिम काल दिखा रहे हैं कि आपके यहां यह पानी आ रहा है, देखिये बहुत जल्दी बेराज भर जावेगा और यदि आपने पानी का उपयोग नहीं किया तो हमने जो करोड़ों रुपया खर्च किया है; कुछ इन्जीनियर खा गये, कुछ जनता ने इधर-उधर कर दिया, हमारा सारा खर्चा बेकार चला जावेगा, आपके खून-पसीने की कमाई का पैसा । आप उस पैसे का उपयोग करने के लिए किसानों को लाला-यित करते हैं कि जल्दी से जल्दी पानी लीजिये । कानून में प्रावधान नहीं था कि काश्तकार खेत तक खुद नालियां बनायेगा, सरकार ने हर बार बनाई हैं लेकिन अब यह भार सरकार काश्तकारों पर डालना चाहती है और चाहे वहां पर वेस्ट लैंड पड़ी हो । काश्तकार जमीन खोदता है तो उस खुदाई का मुआवजा कौन देगा ? सरकार उससे बचने के लिए काश्तकारों पर बर्डन डाल रही है । आपने एक ओर तो खुदाई का पैसा बचा लिया, लाइनिंग का पैसा बचा लिया दूसरी ओर जितनी बेकार पड़ी है जमीन, पानी नहीं दिया जाता मेड़, खोदते हैं तो उसके मुआवजे का पैसा बचाने के लिए इस प्रकार की चाल चली है और काश्तकारों को प्रतिबन्धित कर रहे हैं । आप सारा भार काश्तकारों पर डालिये । आप उनको केवल पानी देने के नाम पर नालियां खुदवाते हैं और उसके लिये सरकारी इन्जीनियरों की सेवायें भी न दें, यह ठीक नहीं है । तीन इन्जीनियर और चार ओवरसियर आपके कोटा में बैठे हुए हैं, आप जल्दी से जल्दी पानी देना चाहते हैं और पानी का सदुपयोग चाहते हैं तो समानान्तर स्तर पर एक way out कर दीजिये चूने, की लकीर डाल दीजिये ताकि किसानों को यह पता पड़ सके कि उनको यहां से यहां तक लाइनें ले जानी हैं । इसी भावना को लेकर मैंने यह संशोधन रखा है । जहां आप काश्तकारों को जबरदस्ती से खुदवायेंगे वहां इस प्रकार का प्रावधान चाहते हैं " Before issuing such notice, it shall be the duty of the Divisional Irrigation officer to lay out the way of the proposed field channels and other water courses, on every individual field. " हर एक काश्तकार के खेतों में तय कर दीजिये यहां से नालियां आपको खोदनी होंगी । कम से कम चूने की लाइन तो डलवा दीजिये फिर काश्तकारों को नोटिस दें और नोटिस के अनुसार कार्य न होने

(श्री शंकरलाल)

महोदय के पास आयेंगे उनकी, शिकायतें करेंगे और कहेंगे कि हमें तो नोटिस तारीख निकलने के बाद मिला, ये सारी बातें ऐसी हैं जिनको हमें दूर करना होगा और इसीलिये कि शिकायतें इस प्रकार की न हों, किसानों को सुविधा हो, इसलिये इसके अन्दर यह प्रावधान जोड़ा जाय कि कम से कम १५ दिन का नोटिस होना चाहिये ताकि किसान अपनी सुविधानुसार कार्य करवा सके । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : सभापति महोदय, मेरा संशोधन है कि यह प्रोवि जो जोड़ दिया जाय "Provided that no person shall be required to undertake such work and no such cost shall be recovered, if such water course irrigates more than fifty acres of land." सभापति महोदय, नहरों का जो वर्गीकरण है वह तीन प्रकार का है, एक तो मेन केनाल, दूसरा डिस्ट्रिब्युटरी केनाल, माइनर और वाटर कोर्स । वाटर कोर्स की डेफिनिशन को देखें "'Watercourse' means any channel, not maintained at the cost of Government which is supplied with water from a canal, channel, pipe or reservoir and includes any subsidiary work belonging to such channel." इस डेफिनिशन को देखते हैं तो विदित होता है कि कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। ऐसी हालत में क्या क्राइटेरिया रह जाता है it will depend upon the मर्जी; चाहेगा जिसको वाटर कोर्स कह देगा । मरजी चाहेगा जिसे माइनर कह देगा । मैं मानता हूं कि एक चैनल से डिस्ट्रिब्यूट होकर अलग अलग खेतों के अन्दर जाता है वहां ले जाने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिये । इसमें प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि एक्चुअल फील्ड के अन्दर जहां ५०० एकड़ तक की पिलाई होती है और वह बड़ी केनाल से सटा हुआ खेत है और दूसरी तरफ एक खेत है एक हजार या पांच सौ एकड़ की पिलाई करते हैं और क्योंकि डिवीज़नल इर्रिगेशन ऑफिसर है वह उसके लिये कह सकता है कि यह तो वाटर कोर्स है । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसके लिये कुछ न कुछ सीमा तो निर्धारित होनी चाहिये कि किसको वाटर कोर्स माना जाय । पचास एकड़ से ऊपर वाली जमीन है वह डिस्ट्रिब्यूटरी की परिभाषा में आनी चाहिये यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस बारे में निर्णय करे । मैंने इसी भावना से संशोधन रखा है माननीय सदस्य भावना को समझेंगे और इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री सभापति : श्री भीखाभाई ।

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : सभापति महोदय, छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी अपने ...

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : आपको तो अपना अमेन्डमेन्ट मूव करना है ।

श्री भीखाभाई : सोरी, सभापति महोदय, I move my amendment "In sub-section (4) of the newly proposed section 18 A, substitute 'Divisional Irrigation Officer' for 'Divisional Panchayat Officer."

This is a printing error. Therefore

(श्री भीखाभाई)

this amendment has been moved.

श्री रामचन्द्र (डग.सु०) : सभापति महोदय, सलूम्बर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ और मेरा समर्थन करना कुछ माने भी रखता है, माने यों रखता है

(हंसी)

अभी निवेदन किये देता हूं ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : आप बुजुर्ग हैं, इसलिये काफी माने रखता है।

(हंसी)

श्री रामचन्द्र : सरकार ने ऐसा प्रावधान रखा है कि चैनल से खेत तक पानी ले जाने के लिये किसान नाली नहीं बनाते हैं तो सरकार उसे अपने खर्चे पर बनवा कर खर्चा किसान से वसूल कर लेगी । अब यहां पर शब्द वाटर कोर्स रखा है, वाटर माने जल और कोर्स माने रास्ता । अब पानी ले जाने का रास्ता तंग तथा चौड़ा भी हो सकता है । तो, निवेदन यह है कि अगर वाटर कोर्स बनाने के बाद ज्यादा कोर्स बनाना पड़े तो यह किसान के लिये भारी पड़ेगा । इसलिये अगर थोड़ी ही जमीन सींचने के लिये नाली बनानी पड़े तो उसके लिये तो किसान से अवश्य खर्चा लेना चाहिये पर अगर बड़े एरिया को इर्रिगेट करने के लिये नाली बनानी पड़े तो सरकार को चाहिये कि उसका खर्चा वह न ले ।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार का खर्चा भी अगर किसान को भारी पड़े तो सरकार को चाहिये कि वह खर्चा दे और ऐसे खर्चे को वह ईज़ी इन्स्टालमेन्ट में उससे वसूल कर ले ।

श्री जयसिंह राणावत (आसीन्द) : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ । नोटिस हम दें तो उसकी मयाद भी होनी चाहिये, नहीं तो किसान को हैरेसमेन्ट होगा । डिवीज़नल अधिकारी मनमानी करेगा और किसान परेशान होगा । इसलिये माननीय सदस्य का यह संशोधन बहुत जरूरी है और मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ कि इसमें १५ दिन की अवधि अवश्य होनी चाहिये ।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : क्लॉज़ तीन में १८ ए बढ़ा दिया है । इसमें संशोधन भी पेश हुए हैं । लेकिन मेरे ख्याल से यह अंश एक प्रकार से वेग है और निरर्थक इसे यहां जोड़ा गया है । इससे काश्तकार कदम कदम पर परेशान होगा और सरकारी कर्मचारी जो मनमानी करने के लिये मशहूर हैं, किसान के लिये हमेशा इसके कारण से सिरदर्द बने रहेंगे । इससे किसानों के सामने कई तरह की आपत्तियां आ सकती हैं । इसमें बताया गया है कि मुख्य नहर से खेत तक नाली ले जाने के लिये काश्तकार को हिदायत की जावेगी । काश्तकार यदि तैयार न करेगा तो सरकार अपने खर्चे से बनाकर खर्चा उससे वसूल कर लेगी ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि एक किसान है, उसका खेत है वह सबसे आगे है और उसके पीछे पचास किसानों के खेत और हैं । अब यह जो वजन डाला है सरकार

(श्री शिवचरणदास)

ने नालियां बनाने का, यह होना तो चाहिये खुद सरकार पर। फिर भी यह रख लिया तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अब पहला जिस काश्तकार का खेत पड़ता है वहां तक तो सब सामूहिक रूप से लाकर डालेंगे और इसके आगे जो सबके आखिर में जिस काश्तकार का खेत पड़ता है तो उसके यहां तक तो सामूहिक रूप से लाकर छोड़ते हैं नाली और इसके बाद उसे अपने अकेले को ले जाना पड़ेगा आगे। तो यह उस काश्तकार पर वजन पड़ेगा। तो इसका भी हल होना चाहिये। सामूहिक रूप से वहां तक भी ले जाना चाहिये। उस आखिरी किसान को नाली बनाने का भार भी सामूहिक रूप से सब पर पड़ना चाहिये।

इसी प्रकार एक का खेत ऊंचा है एक का नीचा है और तीन खेत समतल हैं, तो इसमें पानी ले जाने में कुछ काश्तकारों पर वजन ज्यादा पड़ता है और कुछ पर कम। अब मौके पर कर्मचारियों के हाथ में इस तरह की चीज रहेगी तो काश्तकार को वह कई तरह से तंग करेंगे। इसलिये अच्छा तो यह होता कि यह क्लॉज़ यहां से बिलकुल हटा दिया जावे और इसके बाद खेतों के समूह तक तो सरकार खुद पानी पहुँचावे और वहां से काश्तकार को इस प्रकार से आदेश दे तो यह उचित होगा। पर इस तरह से उन काश्तकारों पर यह वजन डाल दिया तो काश्तकारों की कठिनाइयां बढ़ जावेंगी। आज हम सब सदस्य यह जानते हैं कि वे कर्मचारी किस तरह से किसान को हैरान करते हैं और अजीब अजीब बातें उनकी हमारे सामने रात-दिन आती रहती हैं। उसमें यह नया रास्ता खोलकर आप उनको अगर और अधिकार देने जाओगे तो वे किसान को और अधिक हैरान करेंगे। नयी चीज़ हैरान करने की उनको और मिलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस क्लॉज़ को हटा दिया जावे। अगर सरकार रखना ही चाहे तो जमीन बीच में मुख्य नहर से खेतों के बीच वाली जमीन तक पहुँचाने के लिए सरकार खुद जिम्मेदारी ले और इसके बाद सामूहिक जिम्मेदारी डाले, तो यह किसानों के लिये हितकर होगा।

श्री सभापति : डॉ० चन्द्रकला।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of information, Sir, in clause 3, sub-clause (4), the word 'Divisional Panchayat Officer' has been used.

श्री सभापति : उनका अमेंडमेंट है, आपको मालूम नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, विधेयक के क्लॉज़ ३ के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्ताव श्री शंकरलाल ने रखा है उसका मैं समर्थन करती हूं। इसमें नोटिस देने के समय की कोई सीमा नहीं है, समय नहीं है। ऐसी हालत में अगर नोटिस देने के पहले पीछे एक दिन, दो दिन की देर हो जावे और किसान को वह मिला नहीं तो इस तरह सरकार तो अपनी कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र हो जाती है और किसान को नाहक में हैरान होना पड़ेगा।

इस धारा का अधिकतर सम्बन्ध किसानों

Page No.63

(डॉ० चन्द्रकला)

से है जो दूर देहातों में रहते हैं। नोटिस समय पर पहुंचने में भी दिक्कतें आ सकती हैं वहां तो, इसलिए कम से कम १५ दिन की अवधि जरूर रखी जानी चाहिये। इसमें किसान और सरकार, दोनों को भी सुविधा होगी। मैं आशा करती हूं यह काफी रीज़नेबल है और इसको मन्त्री महोदय स्वीकार कर लेंगे।

(२ मध्यान्त पश्चात्)

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा उस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारी की जिम्मेदारी पहले ही उस एक्ट के अन्दर है कि वह अपने लिए जब कभी किसी वाटर कोर्स का निर्माण करना चाहें तो सिर्फ वहां के डिवीज़नल इर्रिगेशन ऑफिसर को अपनी दख्वास्त पेश करें और दख्वास्त पेश करने के साथ में डिवीज़नल ऑफिसर इर्रिगेशन जो है, वह एलाइनमेंट कर देगा और मार्क कर देगा और उससे वह अब तक अपना वाटर कोर्स बनाते रहे हैं। आज तक वाटर कोर्स के निमार्ण के सम्बन्ध में कोई शिकायतें नहीं आईं इसलिए अभी जो माननीय सदस्य कह रहे हैं आगे के लिए ऐसी कठिनाई आने वाली है मैं कहता हूं कि ऐसी कोई कठिनाई आने वाली नहीं है और वह इसलिये नहीं आने वाली है कि जहां कहीं भी वाटर कोर्स बनने के होते हैं उनके लिये विलेज मैप पर बता दिया जाता है कि वहां पर काश्तकार को फील्ड चैनल बनानी पड़ती है और आउटलैट से बनानी होती है तो मार्किंग करनी पड़ती है इसलिए मैं समझता हूं कि इनके संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह संशोधन तो पहले से ही माना हुआ समझा जाना चाहिये क्योंकि पहले ही जो एक्ट बनाया हुआ है उसमें यह इन्कॉर्पोरेटेड है। उसी में यह प्रोवीज़न शामिल है इसलिए मैं इसको अनावश्यक समझता हूं।

दूसरा संशोधन माननीय सदस्य, जो सलूम्बर से आये हैं, उनका आया है। मैं उनकी भावना की वास्तव में बड़ी कद्र करता हूं........

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : On a point of ciarification, Sir, आप वह धारा बता दें जिसमें कि फील्ड चैनल को डिवीज़नल इर्रिगेशन इन्जीनियर मार्क करेंगे। ऐसी कोई धारा पुराने एक्ट में है तो बता दीजिये। आपने कहा है कि ऐसा प्रोवीज़न पुराने एक्ट में है, तो वह धारा बता दीजिए !

श्री भीखाभाई : सभापति महोदय....

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर सु०) : धारा बताने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैंने माननीय मन्त्री महोदय से प्रश्न पूछा था कि एक हजार फीट का धोरा किसान खोदेगा तो क्या उससे रेट कम ली जायेगी। सिंचाई की दरें वही रह गईं....

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री दयाकृष्ण विजय : मेरा यह निवेदन है कि आपके एक्ट में ऐसा कौन सा प्रावधान है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।)

बाजार, जयपुर) : धारा की बात नहीं, तो धोरे की बात बता दो।

(हंसी)

श्री दयाकृष्ण विजय : आपके एक्ट में ऐसा प्रावधान है तो आप वह धारा बता दें जिसके अन्दर यह प्रावधान है। माननीय मन्त्री महोदय इसको जरा क्लियर कर दें।

श्री भीखाभाई : मैं यह अर्ज कर रहा था कि जब कभी वाटर कोर्स बनाने का काम होता है तो अपने यहां १६,१७,१८ धाराएं हैं उनको देखने से बखूबी मालूम होता है कि जब कभी डिवीज़नल इर्रिगेशन ऑफिसर के पास में ऐसी दर्ख्वास्तें पेश होती हैं तो तमाम फार्मेलिटीज़ भर दी जाती हैं और कलेक्टर भी पिक्चर में आता है और उसके पश्चात् उसको अलाइनमेन्ट के लिए दिया जाता है और इस तरह वाटरकोर्स बन सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है और आप कह रहे हैं कि कोई अलग से धारा बतायें। क्योंकि यह इसमें ही कवर हो जाता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बहुत ही अनावश्यक है और सरकार के द्वारा कोई धोरा बनाया जायेगा तो निश्चित है कि नोटिस के अन्दर भी विवरण दिया जायेगा जिसके अन्दर यह बताया जायेगा कि यहां से यहां धोरा या वाटरकोर्स बनता है। वाटर-कोर्स के सवाल में जो सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने कहा कि मैं उनकी भावना की कद्र करता हूँ। वे चाहते हैं कि जो कठिनाइयां हैं वे कम हों। मैं भी उनसे सहमत हूं। लेकिन जो उनका संशोधन है उसको इस समय स्वीकार करना बहुत ही कठिन है और इसलिए कठिन है कि माननीय सदस्य अभी चम्बल होकर आये हैं और उनको बखूबी मालूम है कि जहां जहां हम गये और जहां जहां हमने देखा बराबर सब जगह यह लिखा हुआ है कि यह मेन कैनाल है, ब्रान्च है या डिस्ट्रि-ब्यूटरी है। उसके नाम लिखे हुए हैं। जो भी माननीय सदस्य वहां गये उन्होंने देखा होगा ध्यानपूर्वक तो उसको मालूम हो जायेगा कि डिस्ट्रिब्यूटरी क्या है, माइनर क्या है? इसलिए उनको मालूम हो सकता है कि माइनर को किसी भी वाटरकोर्स के साथ में कन्फ्यूज़ नहीं किया जा सकता। वाटरकोर्स बिल्कुल सेपरेट है। माननीय सदस्य स्वयं देखकर आये हैं अगर उनके ध्यान में फिर भी नहीं बैठता है तो मुझे बहुत अफसोस होता है....

श्री सोहनलाल भटनागर : It must be in the law.

श्री भीखाभाई : Is on the spot and in the field, also...

तो यह मैं अर्ज कर रहा था कि अगर वह कहते हैं और उनके संशोधन को मान लिया जाता है तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वह दरअसल में किसान के लिए हानिकारक होगा और हानिकारक इसलिए होगा कि अगर किसी जगह पर धोरा बनाते हैं और वह किसी पहाड़ी जमीन पर है तो वह वाटरकोर्स की जो स्पेसीफिकेशन या सीमा बान्ध देंगे वह सीमा उसके लिए हानिकारक होगी। कहने का मतलब यह है कि फ्लैट जमीन है तो एक वाटरकोर्स के द्वारा २०० एकड़ जमीन की सिंचाई होती है और उसकी

(श्री भीखाभाई)

लम्बाई एक मील के करीब होती है। जब कि एक पहाड़ी जमीन है उसमें मुश्किल से पाव मील हो सकती है और ५० एकड़ ही जमीन की सिंचाई हो सकती है। तो इस तरह की सीमा बांध दी जायेगी तो वह बहुत ही हानिकारक होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि वे अपना संशोधन वापिस ले लें। जहां तक रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधन का प्रश्न है मैं उनके संशोधन को मान लेता हूँ और मान लेना चाहिए। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस विधेयक को पारित किया जाये।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): आप यह स्पष्ट कर दीजिए कि जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उसी पर लागू होगा। मीडियम पर नहीं होगा, माइनर में नहीं होगा।

श्री भीखाभाई : जहां कहीं आवश्यकता होगी वहीं लगेगा, नहीं होगी तो नहीं लगेगा। जवाई है उसके अन्दर कैसे लागू करेंगे ?

श्री सभापति : उनका समाधान हो गया।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं समझता हूं कि मेरी भावना यह थी कि काश्तकारों का फील्ड है कि कहां उनको कैनाल ले जानी चाहिए और कहां इन्जीनियर को मिलना चाहिए, यह नहीं कि वह वेस्ट लैण्ड के ऊपर या सरकारी लैण्ड के ऊपर ही करें और किसान अपने खेत के ऊपर असिस्टेन्स मिले। ऐसा मेरा प्रस्ताव था। मैं इसको विथड्रा नही करना चाहता।

श्री सभापति : आप वापस नहीं ले रहे हैं !

श्री दयाकृष्ण विजय : जी हां !

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सोहनलाल भटनागर ने रखा है उसको वापिस लिए जाने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेन की आज्ञा प्रदान की गई

श्री सोहनलाल भटनागर : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री शंकरलाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय मन्त्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ ४ व ५,

(विराम)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ४ और ५ विधेयक के अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ४ और ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल टाइटल, इत्यादि ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय ।

श्री दयाकृष्ण विजय(छबड़ा): सभापति महोदय, मैं इसका विरोध करता हूँ ।....

एक माननीय सदस्य : श्री हरिप्रसाद यादव ।

श्री दयाकृष्ण विजय : अगर श्री हरिप्रसादजी को बोलने का अवसर देते हैं तो मैं बैठ जाता हूं ।

श्री सभापति : श्री दयाकृष्ण विजय ।

श्री दयाकृष्ण विजय : सभापति महोदय, जो राजस्थान इर्रिगेशन एण्ड ड्रेनेज (एमेंडमेंट) बिल, १९६० जो हमारे सामने विचारार्थ है और इसको पास करने के लिए जो प्रस्ताव आया है मैं इसका विरोध करता हूं । मैं विरोध इसलिये करना चाहता हूं, हालांकि अभी माननीय मन्त्री जी ने बहुत ज्यादा क्लेरिफिकेशन इसका दिया, लेकिन एक बात का क्लेरिफिकेशन नहीं हो पाया है जो कि हमारे संविधान में दी हुई बात है । हमारे संविधान में इस तरह से दिया गया है कि यदि हम किसी भी व्यक्ति की भूमि का, सम्पत्ति का किसी प्रकार से उपयोग करते हैं तो उसका मुआवजा उसको मिलेगा । यदि हम आज वाटरकोर्सेज़ या सब्सिडियरीज़ बनाते हैं और उसके खेत तक वाटर कोर्सेज़ ले जाते हैं तो हो सकता है कि उस एक व्यक्ति ने तो वाटर

(श्री दयाकृष्ण विजय)

कोर्स या सब्सिडियरी अपने खेत तक ले लिया, लेकिन उसके खेत से आगे जो काश्तकार वाटरकोर्स या जल मार्ग बनायेगा दूसरे खेत वाला तो उसकी तमाम मेढ़ को खोदते हुए ले जायेगा क्योंकि दरवाजा पानी के निकास का एक है, उससे पानी एक खेत में आयेगा तो पहले व्यक्ति की तमाम मेढ़ को खुद जाने के बाद दूसरे खेत में पहुंचेगा। बल्कि उसका दरवाजा खुलेगा वह एक होगा। उससे अलग अलग खेतों में पानी जायेगा। जब एक खेत वाला एक कोने से पानी ले लेगा तो दूसरा खेत वाला पानी ले जायेगा; तो वह तमाम जमीन को खोदकर वाटर कोर्स ले जायेगा। वह जो जमीन खोदता है तो जमीन उसकी जाती है तो उसका मुआवजा कौन देगा? उसकी मेढ़ व तमाम घास को खोद देता है। खेत के बीच में से ले जायेगा तो उसकी मेढ़ होती है तो उसके ऊपर से नाली जायगी वह दूसरे के खेत में से जायेगी तो वह उसकी इतनी जमीन खोदेगा तो उसका मुआवजा कौन देगा? एक तो प्रश्न यह आकर खड़ा होता है।

दूसरी बात मैं निवेदन कर रहा था, एक काश्तकार का एक खेत यहां है और दूसरा खेत नीचे है और फिर तीसरा खेत कुछ ऊंचाई पर आ गया तो किस प्रकार से काश्तकार ऊंचाई और नीचाई पर पानी इधर उधर पहुँचायेगा, उसके लिए उसको इन्जीनियरिंग सहायता की जरूरत होगी ताकि उसको मालूम हो सके कि किस तरह से वह नालियां बनाये कि संपूर्ण खेत में किस प्रकार आसानी से पानी पहुँच जायेगा, यह असिस्टेन्स इजीनियर के द्वारा नहीं दिलाते हैं, क्योंकि यह बात कहीं नहीं लिखी है, केवल खेत तक जाने वाले चैनल्स हैं उनको कर देंगे; जैसा कि १६,१७ और १८ में जाकर आता है, वह मेरे पास नहीं। मैं मान लेता हूँ। लेकिन संपूर्ण खेत में जो कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है वहां पर किस प्रकार से पानी रोकने के लिए दीवार खड़ी करनी चाहिए इस प्रकार की इन्जीनियरिंग असिस्टेन्स की आवश्यकता है उसका काश्तकार पर भार डाल देते हैं जो कि पहले नहीं था। पहले केवल 'मेन्टीनेन्स' शब्द था। 'मेन्टीनेन्स' शब्द का अर्थ करते हैं तो उसका मतलब है कि कोई चीज़ खराब हो जाय तो उसका सुधार करने का नाम मेन्टीनेन्स है। खराब नहीं हो इसलिए उनकी निगरानी करते जाना मेन्टीनेन्स है, लेकिन कन्स्ट्रक्शन और मेन्टीनेन्स दोनों अलग अलग चीजें हैं....

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : सभापति महोदय, एक शब्द पूछना चाहता हूं कि पहले मेन्टेन करते थे तब क्या थी पोज़ीशन, वहां पर कन्स्ट्रक्शन कर लिया तो क्या हुआ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : पोजीशन सेम है तो इसको लाने की जरूरत क्या है। ऑलरेडी जो एग्ज़िस्टिंग है तो यह क्लॉज़ लाने की जरूरत क्या है?

श्री भीखाभाई : मेन्टेन क्या करते थे और किस को बांधते थे?

श्री दयाकृष्ण विजय : मेन्टीनेन्स का अर्थ यदि किसी से भी पूछा जाय तो आपकी समझ में आ जायेगा। जो भी समझदार व्यक्ति बैठे हुए हैं वे बतला सकेंगे कि मेन्टीनेन्स का अर्थ कन्स्ट्रक्शन है क्या? अगर कह

(श्री दयाकृष्ण विजय)

दें कि मेन्टीनेन्स इन्क्लूड्स कन्स्ट्रक्शन, तो तमाम बातों को वापिस ले लूंगा और फौरन बैठ जाऊंगा। लेकिन कोई कहे भी!....

श्री भीखाभाई : I want to know from you before passing of this Bill, who constructed these watercourses? Were they constructed by the cultivators or by the Government? What is the position now? That is I wanted to know from you.

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं बता रहा हूं कि पहले खेत का आपने वाटर कोर्स अपनी तरफ से खुदवाया ....

श्री भीखाभाई : That is a wrong position, that you are assuming here.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : हिन्दी में बोलिये।

श्री भीखाभाई : It is the cultivators alone who constucted the water courses and they were looking after.

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं मान लेता हूं कि सब काश्तकार वहां तक खोद लें, लेकिन इन्जीनियरिंग स्किल देने में क्यों हिचकिचाहट है? वह अपने खेत के अन्दर पानी ले जायेगा तो खेत में भी एक खेत नीचा है तो दूसरा उसके बाद में ऊंचा, तो उसको कहां होकर नाली ले जानी चाहिये और कैसे कैसे, कितनी कितनी दूर पर ले जानी चाहिये उसको यह असिस्टेन्स क्यों नहीं दिलाते हैं? मैं इन दो बातों को लेकर कि काश्तकारों को इन्जीनियरिंग स्किल की असिस्टेन्स देना स्वीकार नहीं किया है और दूसरे काश्तकारों की जमीन खुदेगी उसके मुआवजे से बचाने के लिए यहां पर 'कन्स्ट्रक्शन' शब्द उन काश्तकारों पर बर्डन डालना चाहता है। मैं चाहता हूं कि कम से कम जहां मुआवज़ा देने का प्रश्न है वहां पर कॉन्स्टीट्यूशनल क्वेश्चन आकर खड़ा होता है। उस पर आप गम्भीरता से विचार करें और जब एक काश्तकार दूसरे के खेत में से नाली ले जायेगा तो उसकी जमीन खोदेगा तो उसको मुआवजा देना चाहिये, इसको तय करना चाहिये।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०) : माननीय सभापति महोदय, जो चीज़ चल रही है जिसमें पानी के धोरे बनाने का जो सरकार ने अधिकार किसानों को दिया है तो यह हमारे सामने एक नया अड़ंगा आ गया है।

(हंसी)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जहां जहां बड़े २ टैंक बने हुए हैं, पुराने जमाने से जो तालाब बड़े बड़े और छोटे छोटे बने हुए हैं उनकी जो नहरें हैं उनको आज तक कृषक लोग सामुहिक ढंग से मिल कर साफ करते आये हैं। हम किसानों का डेपुटेशन लेकर सिंचाई मंत्रीजी से मिले और किसानों की कैसी समस्या है, यह उनको बताया। हर साल पानी के बहाव से गढ़े ढह जाते हैं और किसानों को पानी लाने में दिक्कत आती है और वे महीने में करीब १० दिन तक फावड़ा-टोकरी लेकर धोरों को साफ करते हैं। उसके बाद सिंचाई की दर बढ़ा दी जाती है तो एक तरफ तो राज्य सरकार कहती है कि देश का उत्पादन बढ़ाया

(श्री हरिप्रसाद यादव) :

जाय और किसानों को सहूलियतें दी जायं, खाद और बीज दिये जायं और दूसरी ओर इंजीनियरों और अफसरों का काम यह है कि तालाब और पुरानी नहरें हैं उनको जाकर वे देखते हैं और दूसरी समस्या हमारे सामने यह आ जाती है कि यहां धोरा निकालना है। सदन में अमेंडमेंट पेश कर रहे हैं और जो संशोधन मंत्रीजी ने रखा है उसको पास कर देते हैं तो जनता को असुविधा होगी। जो असुविधा होनेवाली है वह आपके सामने निवेदन करूं। एक मामूली किसान के पास १० बीघा जमीन होती है और जो पुराने जंगलात के हाकिम हैं उनके पास ५०० बीघा जमीन है, तो उस जमीन में सरकार धोरा निकालती है क्योंकि आज हम धोरों के लिये अमेंडमेंट कर रहे हैं। राज्य सरकार ने सिंचाई की दर डेढ़ गुना बढ़ा दी है। आप कह सकते हैं कि पहले से उत्पादन बढ़ने लगा है। जो किसान पहले १ रु० कमाता था वह आज २ रु० कमाने लगा है तो किसान की तरफ देखने लग गये हैं। १,००० एकड़ जमीन हो तो उसके लिये कानून बनाने जा रहे हैं। श्री सोहनलालजी ने कहा था कि ५० एकड़ की सिंचाई रखी जाय, लेकिन मंत्रीजी ने उसे स्वीकार नहीं किया। मंत्रीजी ने बताया कि अभी गांधी सागर आदि जगहों पर जाकर आये हैं....

श्री सभापति (श्री अमृतलाल यादव) : आप भी तो जाकर आये हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : (जारी) वहां पर उनको देखने को मिला। मैं जहां से चुन कर आता हूं वहां पर एक बड़ा तालाब है, जिसमें से पांच नहरें निकली हैं। सिंचाई के मामले में मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये। एक व्यक्ति जो अच्छा सुझाव दे उसको दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : सभापति महोदय, यह आप पर आक्षेप है।

श्री सभापति : कोई नहीं दबा रहा है, आप बोलिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं सिंचाई पर प्रकाश डालना चाहता हूं....

श्री सभापति : अवश्य-अवश्य।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं निवेदन करूंगा कि आपने बहुत से तालाब और नालियें देखी हैं और अपने अभिभाषण में भी फरमाया कि जहां पहाड़ के ऊपर तालाब हैं वहां पानी अपने आप बह जायगा....

श्री सभापति : पहाड़ के ऊपर तालाब कहां हैं ?

श्री हरिप्रसाद यादव : मंत्रीजी ने फरमाया था।

श्री सभापति : टू दि पोइन्ट बोलिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : बड़ी बड़ी नहरें बनाई जा रही हैं, तालाब और नहरें पैसा खर्च करके बनाई जा रही हैं लेकिन दूसरी तरफ किसानों के लिये समस्या खड़ी कर देते हैं। तालाब या नहर से पानी लेना है तो धोरा खोदना पड़ेगा। अगर नहीं खोदते हैं तो इंजीनियर पानी नहीं देंगे और पानी

Page No.70

(श्री हरिप्रसाद यादव)

नहीं देंगे तो फसल बर्बाद होगी। एक तरफ उत्पादन डबल करना चाहते हैं, राज्य सरकार चाहती है कि एक सालिया जमीन भी दो सालिया बन जाय, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे ऐसे अमेंडमेंट लाकर लोगों को तंग करते हैं। ओवरसियर तंग करेंगे, सिंचाई विभाग के चौकीदार तंग करेंगे; फिर असिस्टेन्ट इंजीनियर साहब आयेंगे वे कहेंगे धोरा नहीं हो सकता। वह आकर किसान के खेत के बीच में झंडा लगा देगा तो मुआवजा देकर जमीन उससे ले ली जायगी। अब जहां नहर का सवाल है, जहां नहर पहले से बनी हुई है, अब तक पुराने तालाब से सिंचाई हो रही है उसके लिये समस्या खड़ी हो जायगी। किसान कहेंगे कि मेरा पानी सीधा आना चाहिये, पहले नहर टेढी थी, पहले धोरा किनारे पर बना हुआ था। अब समस्या यह आयेगी कि बीच खेत में धोरा निकालेंगे। इंजीनियर कहेगा कि मैं सही हूं क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग की बुक में यही लिखा है। उधर किसान कहेगा कि मेरी दो एकड़ भूमि चली जायगी। तो हमारे सामने इस प्रकार की समस्या है; इसलिये मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि मैंने जो सुझाव दिये हैं उनको स्वीकार करें; उससे राजस्थान के किसानों को फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ) : सभापति महोदय, जहां तक इस बिल के सम्बन्ध में पहले मैं समझ रहा था कि यह काश्तकारों के लिये बहुत उपयोगी चीज है। लेकिन मन्त्री महोदय के क्लेरिफिकेशन से डाउट खड़ा हो गया है या तो मेरे समझने में कमी रही है, इसलिये मैं पहले यह जानना चाहता हूं कि यह ड्रेनेज सिस्टम है इसमें ड्रेनेज से मतलब यह लिया गया है क्या कि अंडर ग्राउन्ड होकर आयेंगे नीचे नाला बना कर, इससे मतलब है या ऊपर होकर आने से है; यह पहले मन्त्रीजी साफ करदें....

श्री सभापति : पहले आप अपनी बात पूरी कह दें फिर मन्त्रीजी पूरे का जबाब दे देंगे।

श्री मदनसिंह : यदि ऊपर से धोरा हो तो खास बात नहीं है, लेकिन यदि नीचे की चीज़ हो तो पूरा नकशा ही बदल जाता है।

श्री सभापति : आप खाली इसी प्रश्न का उत्तर चाहते हैं क्या ?

श्री मदनसिंह : यदि अंडर-ग्राउन्ड सिस्टम है, नीचे से होकर ऊपर खींचा जाता है तो बात दूसरी हो जाती है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): इसका जबाब अभी देने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रश्न पूछ लीजिये, जबाब मिल जायगा। इसके अलावा कुछ बोलना हो तो फरमाइये।

श्री मदनसिंह : इसके अलावा कुछ नहीं कहना है।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा): राजस्थान सिंचाई बिल के तृतीय वाचन के सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। राजस्थान ने सिंचाई के सम्बन्ध में काफी तरक्की की है और कई बड़े बड़े बांध बने हैं जिससे सिंचाई का साधन बढ़ा है और उत्पादन भी बढ़ा है। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि वे अन्दाजा लगाते हैं उन

(श्री तेजमल बापना)

आंकड़ों से जो सिंचाई विभाग से उनके सामने प्रस्तुत किये जाते हैं। अभी मंत्रीजी ने पढ़ कर सुनाया था कि भीलवाड़ा के पास जो मेजा डेम बना उसमें ३१ हजार एकड़ की योजना प्रारम्भ में बनाई गई थी लेकिन अभी केवल १२ हजार एकड़ में सिंचाई की जाती है। इसका दोष उन्होंने किसानों पर लगाया कि वे दरअसल में पानी का उपयोग ठीक ढंग से नहीं करते। लेकिन सभापति महोदय, वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है, इसके विपरीत है। अभी कुछ अर्से पहले कई मीटिंग्ज़ डिवीजनल कमिश्नर और जिला कलेक्टर के सामने हुई थीं, स्वयं सिंचाई विभाग के स्थानीय अधिकारी हैं उनकी मीटिंग हुई थी और जो सिंचाई विभाग के कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं उन्होंने माना था कि दरअसल में योजना की रूपरेखा बताई गई है और जो आंकड़े बताये गये हैं वे वास्तव में गलत हैं। १६,१७ हजार एकड़ तो एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर स्वयं मानते हैं। नहर की जो योजना बनाई है, खुदाई हुई है और पानी जो किसानों को दिया जा रहा है उसकी मिकदार को देखते हुए और लगान को देखते हुए १६,१७ हजार एकड़ से ज्यादा दिया जाता है। जब कि आज ३१,००० एकड भूमि को पानी दिया जाने वाला है और १२,००० एकड़ को दिया जाता है तो ये आंकड़े गलत हैं। इसमें उन्होंने तरमीम नहीं की। पानी ऊपर पहुँच गया है लेकिन धोरे किसान नहीं बना रहे हैं जिसकी वजह से पानी का उपयोग कम हो रहा है, तो सरकार को अधिकार दिया है; मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां सिंचाई का साधन बढ़ा है वहां किसानों की कुछ दिक्कतें बढ़ी हैं, उनकी तरफ भी मंत्री महोदय को ध्यान देना जरूरी है। यह बड़ी खुशी की बात है कि आपने जो भाव अभी बतलाये अपने भाषण में वे काफी जोशीले हैं और काफी आप में काम करने की लगन है, इस डिपार्टमेंट के काम में सुधार करने की भी आपकी कोशिश है। मैं इस बात की ओर आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करूंगा कि आज बहुत सी जगह नहरें पहुँचनी चाहियें वहां नहीं पहुँच पा रही हैं। मेजा डेम की लेफ्ट केनाल है, उसकी खुदाई इतनी गलत तरीके से हुई है कि पूरी सिंचाई नहीं हो सकती। आप स्वयं ने मौका देखा है, उस नहर की खुदाई इस ढंग से की जाय, जिससे जहां चार हजार, पांच हजार की सिंचाई लेफ्ट केनाल से होती है वह १० हजार तक पहुंच सके। इसमें देखने की बात यह है कि इस समय जो नहर खोदी हुई है वह वास्तव में इस अन्दाज से खोदी हुई है, इस रीति से खोदी हुई है जिससे पानी का पूरी उपयोग नहीं होता है। मैं यह बात कहने के लिए तैयार हूं, बताने के लिए तैयार हूँ. उसके सम्बन्ध में मैं कुछ मुद्दे रखता हूं कि जो सिंचाई कम हो रही है वह किसानों की गल्ती की वजह से नहीं है, उसकी जिम्मेदारी किसानों पर नहीं है, सरकार पर भी नहीं है, जो टेक्निकल ऑफिसर कहलानेवाले लोग हैं उनके ऊपर है, जिन्होंने ठीक ढंग से नहर की खुदाई में पूरा ध्यान नहीं दिया है क्योंकि एक नहर का पानी, केनाल शुरू होने पर तीन फीट, चार फीट रह सकता है मगर १० मील पर एक फीट, डेढ फीट या पौन फीट से ज्यादा रह नहीं सकता। तो, फिर पानी उचित मात्रा में कैसे दे सकते हैं? इसलिए नहरों को ठीक किया जाना भी बहुत जरूरी है।

श्री शिवचरणदास (मांडल): सभापति

(श्री शिवचरणदास)

महोदय........

श्री सभापति : आप तो बोल चुके हैं।

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): थर्ड रीडिंग पर बोल रहे हैं।

श्री शिवचरणदास : सभापति महोदय, अभी पहली बार जब इस संशोधन पर मैंने अपने विचार प्रगट किये और माननीय मंत्री-जी ने उनका उत्तर भी दिया है लेकिन मेरे जो विचार थे उनका संतोषजनक उत्तर उन्होंने नहीं दिया। इससे मेरे सामने फिर विचारधारा यूं की यूं बनी हुई है। मैंने सदन से निवेदन किया था कि यदि हम संशोधन को यूं ही पास करते हैं तो यह किसानों के ऊपर एक भार-स्वरूप होगा, इससे वजन बढ़ेगा। यह हम मानने के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि जहां एक तरफ हमने बड़ी बड़ी योजनायें बांध की बनाईं और सिंचाई की योजनायें बनाईं, साधन बनाये, वहां दूसरी तरफ हमने उन योजनाओं से कितना लाभ उठाया है। यद्यपि सरकार की ओर से समय समय पर इस प्रकार के आंकड़े बताये जाते हैं, दिये जाते हैं और उनमें काफी तादाद में नाज की पैदावार भी बताई जाती है कि काफी पैदावार बढ़ी है लेकिन जिस प्रकार अब तक हमारी सरकार ने खर्चा किया है उसके अनुसार हमारी सरकार इसके उत्पादन में, मैं समझता हूं कामयाब नहीं हुई। इसका स्पष्ट प्रमाण हमारे सामने है कि आज लाखों–करोड़ों टन अनाज बाहर से मंगाना पड़ता है। मैं समझता हूं कि आंकड़े देना दूसरी बात है और प्रेक्टीकली जो बात हमारे सामने आती है वह स्पष्ट है। इसलिए मैं समझता हूं कि भावावेश में किसी की बात पर पूरा ध्यान न देकर किसी की बात को टालते हुए जवाब दे दें तो आगे जाकर नतीजा विपरीत पहुँचेगा। मैं समझता हूं कि उससे अच्छा है कि कोई माननीय सदस्य कुछ कहें तो माननीय मंत्रीजी को ध्यान देकर उसका उत्तर देकर संतुष्ट करना चाहिए।

मैं आपके सामने निवेदन करूं, मेरा पहला सुझाव था कि आज मुख्य नहर निकालते हैं उससे किसानों के खेतों को धोरे निकालना चाहते हैं, उससे पानी को ले जाना चाहते है, और उसका खर्चा किसानों से वसूल करना चाहते हैं। उसमें कई प्रकार के दृष्टिकोण हैं। वे दृष्टिकोण पहले भी बताये, फिर मैं आपके द्वारा निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आप ध्यान देकर, काफी ध्यान देकर इसको सुनें ताकि हमें जो किसानों को योग देना है, किसानों की उन्नति करनी है, किसानों को आगे बढ़ाना है और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उनकी उन्नति के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा सकें। अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ कि खाली भाषणों से, वादविवाद से काम चलने का नहीं है। इसलिए इसको कार्य रूप में परिणत करना है। और यदि इसी प्रकार इसे पास कर दिया तो आगे जाकर विपरीत असर पड़ने वाला है। मैंने आपके सामने तीन बातें रखी थीं। पहली बात थी, वह मुख्य नहर की है। इसमें जिन किसानों की जमीन है उनसे खर्चा लेकर नहर बनाना चाहते हैं। उसमें किसानों को कई प्रकार की तकलीफें होंगी। क्योंकि एक किसान का खेत नज़दीक पड़ता है और कई किसानों का खेत दूर पड़ता है, जिस किसान के खेत नज़दीक पड़ते है। वहां मुख्य नहर से जो धोरा पहुंचेगा उसका समस्त खर्चा किसान से लेते हैं। लेकिन जिस

(श्री शिवचरणदास)

खेत में पहले पहल नहर आती है उससे आगे धोरा जाने वाला है, उसका खर्चा वह देगा नहीं। तो जब एक देता है और दूसरा नहीं देता है, जब आप एक से खर्च कम लेते हैं और एक से ज्यादा लेते हैं, एक की पिलाई कम होती है और एक की पिलाई अधिक होती है, तो कम खर्च में अधिक पिलाई करनेवाला इस स्थिति से फायदा उठाता है और कम पिलाई करनेवाला बर्बाद होता है। दूसरे, जैसा मेरे साथी ने बोलते हुए कहा था कि प्रत्येक खेत के बीच में होकर धोरा ले जाना चाहते हैं, उसमें किसान की जमीन आती है, ऐसी स्थिति में संविधान में दिये अधिकार के अनुसार उस भूमि को, उस स्थान को उपयोग में आने से वंचित करते हैं तो उसका मुआवजा देना जरूरी है। उसके लिए यहां प्रोविज़न नहीं रखा है। तीसरी बात मैंने बताई थी कि यदि कुछ खेत ऊंचे आ गये हैं और जहां से नहर के धोरे को ले जाना चाहते हैं उसका लेवल नीचे आये, तो जहां तक बराबर लेवल करते हैं, वहां तक तो ठीक होगा। लेकिन जहां खेत ऊंचे आ गये हैं, तो जो नीचे खेत हैं वे ऊंचे खेत को पानी देने के लिए खर्चा नहीं करेंगे और उस खर्चे के लिए उसे मजबूर होना पड़ेगा। इस प्रकार सारी घटा–बढ़ी होगी। मैं समझता हूं, माननीय मन्त्रीजी पहाड़ी इलाके के हैं, उनको अनुभव होना चाहिए, उनको यह सोचना चाहिए कि पहाड़ी इलाके में बांध बनाते हैं, तो मुख्य नहर से धोरा ऐसी जगह ले जाना चाहते हैं जो पहाड़ी के बीच में हो, जैसे छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में गहराई होती है वहां काश्तकार यह धोरा ले जायेंगे, तो उसमें कितना खर्चा होगा, उसका अनुमान लगायें। आप खाली समतल जमीन के लिए विचारधारा बना कर इसको पारित कर दें, उससे काम नहीं चलने का। हमें सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि किसानों के सामने कितनी ही दिक्कतें आयेंगी। अगर जितना फायदा कुंआ बना कर किसान उठा सकता है उससे कई गुना ज्यादा खर्चा उस पर करता है तो किसान कभी धोरा ले जायगा नहीं। अब आप कहें कि हमने बांध बनाया है, इसलिए मजबूरन उसको पिलाना पड़ेगा, अगर नहीं पिलाता है, तो उसको पानी लेने के लिए मजबूर करेंगे, चाहे कुंए का पानी उसको सस्ता पड़ता हो, लेकिन चूंकि आपने बांध बनाया है इसलिए उसको पिलाना पड़ेगा, इस तरह विवश करते हैं और दूसरी तरफ आप किसान के ऊपर बोझा डालते हैं। तो आंख मींच कर जो किसान को परेशान करने का धारा प्रवाह में बतीरा बनाया है उसका शोषण करके उसको दबा रखा है, मैं समझता हूं कि इस प्रकार अन्याय किसी युग में नहीं हुआ है। इस प्रकार सरकार आंख मींच कर बेधड़क कदम बढ़ाना चाहती है उसका क्या नतीजा होगा ? आखिर वह किसान, जो पढ़ा–लिखा नहीं है, जिसमें अपने भाव प्रकट करने की शक्ति नहीं है, जिस किसान के लिए आपने नारा लगाया था, लेकिन जब आजादी आई तो किसान को आप नीचे ले जाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आपके यहां जो उसकी बर्बादी हुई है वह आपके मुंह की तरफ ताका करे, जितना वह विवश हुआ है इतना किसी युग में नहीं हुआ है। किसी प्रकार आप किसी तरह सही उत्तर नहीं देना चाहते हैं, उसकी बात को आप हंस कर टाल देना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि यह प्रवृत्ति

Page No.74

(श्री शिवचरणदास)

उचित नहीं है। किसान के लिए यह भार स्वरूप होगी और जो लाभ उसे उठाना चाहिए उससे बिल्कुल विपरीत स्थिति होगी। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वैसे तो मैं सारे संशोधनों का विरोध करता हूं लेकिन यह जो क्लॉज़ १८ ए जोड़ना चाहते हैं, यह किसानों के लिए बिल्कुल घातक होगी, इसलिए मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि इसको वापिस हटा लें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री सभापति : डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, सभापति महोदय, बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार हमें आज ६ बिल पास करने हैं। इस बिल पर ३ घंटे बहुत ज्यादा समय लग गया है, बाकी के दूसरे बिल्स भी पास करने हैं और हाउस भी बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी के प्रतिवेदन को स्वीकार करके बंधा है कि छहों बिल आज पास करें।

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, ऐसी कोई बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने नहीं है और न सदन ने उसे स्वीकार किया है।

श्री सभापति : आप बोल लीजिये।

डॉ० चन्द्रकला : ऐसी रिपोर्ट आई ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह : कृपया हाउस में अटेन्टिव रहें और जानकारी रखें कि सदन में किस समय कौनसी चीज पेश हुई है और पास हुई है।

श्री सभापति : कल ५ बजे सदन में पास हो गई थी।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट बिल है, सरकार को सबके विचार जरूर सुनने चाहिये।

श्री सभापति : काफी विचार सदस्यों के आ चुके हैं। डॉ० चन्द्रकला बोलना चाहती हैं, बोल लें; पर बहुत थोड़े समय में समाप्त कर दें।

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, राजस्थान सिंचन व जल निकास (संशोधन) विधेयक, १९६० पारित होने के लिये सदन में प्रस्तुत है और इस तृतीय वाचन के सिलसिले में मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं। मैं सरकार की इस भावना की तो कद्र करती हूँ कि अपनी बहुत सी योजनाओं द्वारा पानी उपलब्ध है उसका पूरा पूरा उपयोग करा सके। पर सरकार जब जानती थी कि किसान खेतों में नालियां नहीं बना सकते तो जहां सरकार ने इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई है, करोड़ों रुपया खर्च किया है तो नालियों को भी सरकार बना देती। चम्बल योजना पर पहली स्टेज पर ८२ करोड़, दूसरी स्टेज पर १२ करोड़ और तीसरी स्टेज पर १० करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं तो यह यों ही वेस्ट तो करते नहीं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं; वहां करोड़, दो करोड़ ज्यादा हो जाता और योजनाबद्ध तरीके से सरकार अपने हाथ में ले लेती तो अच्छा होता और यह नया विधान, यह योजना

(डॉ० चन्द्रकला)

लाकर काम नहीं करना पड़ता।

दूसरी बात है कि हम कानून के सहारे काम करना चाहते हैं। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि पानी का उपयोग नहीं होता है इसलिये किसानों को नालियां बना कर दे देंगे, पर नालियां बनाने के बाद भी यदि काश्तकार पानी का उपयोग नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो हर चीज़ कानून के जरिये करने के स्थान पर उनमें भावना जाग्रत की जाय।

श्री सभापति : यहां तो कानून का सवाल है।

डॉ० चन्द्रकला : यही तो कह रही हूं कि कानून ही सब कुछ नहीं है। वह तो सहारा लगनेवाला है। किसी योजना को क्रियान्वित करने के लिये जहां तक कानून का सवाल है वह थोड़ी देर में सदन पास कर देगा पर जिस मन्शा से कानून बना रहे हैं वह उस दिशा में सफल होता है कि नहीं, जिस उद्देश्य से बनाते हैं उस तरफ सहायक होता है कि नहीं, यह हमें देखना पड़ेगा।

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द) : सभापति महोदय, इस बिल का तृतीय वाचन चल रहा है। मैं सरकार का ध्यान थोड़ा इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि आप इतनी बारीकी में उतर कर देश की, किसानों की भलाई सोच रहे हैं पर विभागीय खामियां ऐसी हैं कि 'शक्कर सूनी है और नमक के पहरा' लगा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Once more.

श्री जयसिंह राणावत : आप किसानों की भलाई के लिये पास कीजिये पर कुछ गहराइयां ऐसी हैं जिनकी ओर सरकार ने ध्यान दिया है कि नहीं, उनकी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भीलवाड़ा जिले में गोवटा बांध बना, विशेषज्ञों की छाप जिन पर लगी रहती है उनकी निगरानी में बना। वह कई वर्ष बाद तक भरा रहा, मेन केनाल ऐसी ऊबड़-खाबड़ ढंग से बना दी गई कि कई वर्षों तक पानी भरा रहा। यह स्थिति रही तो ये छोटी-मोटी बातें इसकी आड़ में बिल्कुल छिप जाती हैं। अब मैं खारी बांध के बारे में कहना चाहता हूं। खारी बांध पर लाखों रुपया लगाया गया, सिंचाई रूल्स-रेगुलेशन्स के माफिक नजदीक से नजदीक भूमि उपलब्ध होती हो, पहले उनकी सिंचाई की जाय और उसके बाद दूसरी जगह नहर पहुँचाई जाय ताकि सिंचाई में खर्चा कम पड़े और सुविधा हो पर उन कारिन्दों को यह ख्याति प्राप्त करनी थी कि इतनी दूर नहर ले गये। आसपास के २०–२५ गांव ऐसे रह गये कि जिनको सबसे पहले उस पानी का लाभ मिलना चाहिये था वहां नहर नहीं ले जाई गई। हम इसके लिये लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपके प्रिडीसेसर हैं उनको मौका दिखाया सक्सेसर हैं उनको भी मौका दिखाया कि अमुक जगह नहर निकालने से २५–३० गांव वंचित नहीं रहेंगे और खर्चा भी ज्यादा नहीं पड़ेगा। जो लोग बंध के अन्दर आये उनको यह कहा कि ऐसी जगह बसा देंगे कि पानी का लाभ पहले आपको मिलेगा। ऐसे गांव

(श्री जयसिंह राणावत)

भी इससे वंचित कर दिये गये हैं। तो ऐसी बड़ी बातें हैं, उनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री भीखाभाई (सिंचाई मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने ....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मैंने पूछा था वह पॉइन्ट क्लेरिफाई कर देते तो मैं भी ५ मिनट बोलना पसन्द करता।

श्री सभापति : आपको बोलने दीजिये।

श्री भीखा भाई : जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और साथ ही विश्वास दिलाता हूँ कि खास खास मुद्दे रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिये, उनका खास तौर से ख्याल रखेंगे। कोटड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि किसान ही कारण हैं कि सिंचाई कम हुई, यह कारण नहीं है कि किसानों की सुस्ती के कारण सिंचाई में कमी रही पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, केनाल्स हैं, ब्रिजेज़ हैं, डिस्ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ये हो गये हैं पर इनके सम्बन्ध में अभियान के तौर पर आन्दोलन करने की जरूरत रहती है। लाखों एकड़ का उत्पादन का नुकसान हो जाता है इसलिये जहां जहां जरूरी है वहां इसको लागू किया जाय, इससे कोई बेजा बात नहीं होने वाली है।

ऐसा कहा गया कि जहां नालियां बनाई जाती हैं बहुत दूर से लाई जाती हैं। नालियां मेन नाली से ली जाती हैं। सरकारी जमीन है तो वहां किसान से पैसा नहीं लेंगे। इस प्रकार की शंका की इसमें कोई बात नहीं है।

एक बात कम्पेन्सेशन की कही गई। कोलोनाइज़ेशन का सवाल है पास पास धोरे जा रहे हैं। माइनर से किसान ने धोरे में लिया और छोटी छोटी नालियों से अपने खेत में फैलाया, उसको चलाया। उसके बाद में फिर इस नाली को दूसरे किसानों के पास के खेत में चली जावे तो मैं नहीं समझता कि कौनसा कारण कम्पेन्सेशन का बनता है। इसलिये मैं महसूस करता हूं कि जहां तक कम्पेन्सेशन का प्रश्न है, वह तो पैदा नहीं होता। जहां पर अनओकुपाइड लैन्ड का प्रश्न है, किसान ले जाता है। सरकार ध्यान रखती है। किसान तो अपने नियरेस्ट पॉइन्ट से ले जावेगा। इसलिये उसको खर्चा कम लगेगा। इस प्रकार की सहूलियतें दी हैं और जो खर्चा होगा वह उससे वसूल होगा, जिसको जमीन एलॉट करेंगे। इस सम्बन्ध में सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है और चम्बल कमेटी बनी है उसकी भी राय है, उसमें इसका भी समावेश है।

श्री मदनसिंह : मैंने जो आपको निवेदन किया उसका क्या है?

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): कच्चे धोरे होंगे। सीमेन्ट की....

श्री सभापति : वह तो लॉ में प्रेस्क्राइब्ड है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : सीमेन्ट की नहीं है।

श्री भीखाभाई : इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको पारित किया जावे ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को संशोधित रूप से पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक, संशोधित रूप में , पारित किया गया ।

(करतल-ध्वनि)

राजस्थान भू-धारण (संशोधन) विधेयक, १६५६

(पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार-विमर्श)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान टीनेन्सी एमेंडमेंट बिल, १६५६ को विचारार्थ लिया जावे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान टीनेन्सी (सेकिन्ड एमेंडमेंट) बिल जिस प्रकार से प्रवर समिति ने इस पर विचार करने के बाद सदन में प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में मेरा एक प्रस्ताव है कि इसको पुनः प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे और वह प्रस्ताव इस आधार पर है सभापति महोदय, कि जब यह विधेयक सदन के सामने पहली बार प्रस्तुत हुआ और सदन ने जब प्रवर समिति को सुपुर्द किया तो इसमें कुछ इस प्रकार के महत्वपूर्ण मसले रह गये जिनको देखने से ऐसा लगता है कि प्रवर समिति ने इस पर ठीक ढंग से विचार नहीं किया ।

सभापति महोदय, प्रवर समिति की केवल एक ही बैठक हुई और इस एक बैठक में जैसे मानों शकुन को पूरा करने के लिये वह बैठक बुलाई गई । यह फॉर्मेलिटी थी । यह कहने के लिये कह दिया जावे कि हमने टीनेन्सी एमेंडमेंट बिल पर प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया और उसकी रिपोर्ट आने के बाद पुनः कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि जिससे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द इसको कर दिया जावे । यह आर्गुमेंट किया जा सकता है । इसलिये एक दिन का अवसर रख कर सारी रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत की गई । सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार का प्रावधान इस कानून में है वह बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है । इसके द्वारा राजस्थान के टीनेन्सी कानून में बहुत बड़ा भारी परिवर्तन करने जा रहे हैं । मैं समझता हूं कि इस पर बड़ा भारी परिवर्तन करने के पूर्व सिलेक्ट कमेटी इस पर पुनः विचार करती । क्योंकि जो प्रवर समिति के सामने प्रावधान था और उसको देखने से जाहिर होता है कि इसमें बहुत हेर-फेर की आवश्यकता है । जहां तक इसकी धारा ४ का सम्बन्ध है, मैं इस सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । इसके बारे में प्रावधान किया है कि जो आर्मी फोर्सेज़ हैं, जो फौज के सिपाही हैं उनके लिये है । हिन्दुस्तान के फौजी लोगों और सिपाहियों के काश्त की जमीन पर अगर कोई काश्त करता होगा उसको बेदखल कर दिया जावे । सभापति महोदय, जहां तक बेदखली का सम्बन्ध है और फौजी सिपाहियों का सम्बन्ध है अनेक माननीय सदस्यों को सहानुभूति है और उनके साथ मेरी भी भावना है और मैं चाहता हूं कि जहां तक फौजी सिपाहियों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि आज की परिस्थिति में कोई भी माननीय सदस्य इससे इन्कार नहीं कर सकते कि आज हिन्दुस्तान के सामने एक बहुत ही क्रिटिकल समय है। आज देश पर संकट के बादल छाये हुए हैं, आज देश की सुरक्षा का प्रश्न है। आज हिन्दुस्तान की सीमाओं और सुरक्षा का प्रश्न है। आज हिन्दुस्तान के उस मस्तिष्क को ऊंचा रखने का प्रश्न है, आज ३५ करोड़ आबादी और भारत भूमि पर जिस प्रकार से और चारों तरफ से दुश्मनों के और संकट के बादल मंडरा रहे हैं इतना ही नहीं सदन को इस बात की जानकारी है और हिन्दुस्तान का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है और सब जगह देश-विदेशों में हिन्दुस्तान की चर्चा है और मैं आर्म्ड फोर्सेज़ की बात नहीं कहता लेकिन हिन्दुस्तान के छोटे से लेकर बड़े तक, नर और नारी कोई भी हों, उन्होंने खून के हस्ताक्षर करके आश्वासन दिया है कि देश की रक्षा, आजादी की, सीमा की रक्षा, जनतन्त्र की रक्षा के लिये जरूरत पड़ेगी तो वे अपनी जान की बाजी लगावेंगे। अगर जरूरत होगी तो हिन्दुस्तान का कोई भी आदमी पीछे नहीं रहनेवाला है। तो आज की विकट परिस्थितियों में देश गुजर रहा है। उसके मुकाबला करने की बात है, इसलिये इस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता है कि आज देश की रक्षा जिन फौजी सिपाहियों पर है उनके हृदय में देश-प्रेम की लगन है, और जो अपनी मातृ भूमि के लिये मर-मिटने वाले हैं। सभापति महोदय, व्यक्ति को कभी कमजोरी आ जाती है। ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे यहां जिस प्रकार की कल्पनाओं में जाते हैं और जिस प्रकार का भय आज मुझे और हजारों भूमिहीन लोगों को है और हम चाहते हैं कि हमारी सीमाओं पर किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हो। हमारा देश चाहता है कि शांति बनी रहे। हम चाहते हैं कि किसी प्रकार का युद्ध न हो और हिन्दुस्तान को युद्ध की भूमि न बनाया जावे। लेकिन यह सब कुछ होते हुए विधि के विधान ने क्या लिखा है, यह नहीं कह सकते। हमारे यहां के रक्षा मन्त्री ने इस बात का आश्वासन दिया है और विश्वास दिलाया है कि हिन्दुस्तान की इस भूमि पर से उन लोगों को हटा दिया जाएगा। लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी सभापति महोदय, प्रश्न यह खड़ा होता है....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Is this speech on'defence '. Sir ?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): We would like to know whether the Hon'ble Member is speaking on the Defence Bill or what ?

श्री सभापति : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य भी इस सम्बन्धित विषय पर ही सीमित रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस भाव और भावना को लेकर मैं आर्म्ड फोर्सेज़ के कॉज़ को प्लीड कर रहा था उसमें आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उनके लिये व्यवस्था करें कि उनकी जो लैन्ड है, जो लोग फोर्स में काम करनेवाले हैं और हिन्दुस्तान के मोर्चे पर लड़ रहे हैं उनकी भूमि पर कोई काश्त करता है तो उसको बेदखल कर दें। मैं अगर इस प्रकार की भूमिका नहीं बनाऊंगा और सदन के समने नहीं रखूंगा तो कई हरिजन सदस्य हैं, शिड्यूल्ड कास्ट के हैं वे ऑब्जेक्शन उठा-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

देंगे और कहेंगे कि काश्तकारों को भूमि से बेदखल किया जा रहा है । अगर कोई काश्तकार दस साल तक फ्रंट पर रहे मिलिट्री पर्सोनल की जमीन पर काश्त करता है तो उसको बेदखल कर सकता है ! इसके बारे में...

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर !! मैं समझता हूं कि आप यह पसन्द करेंगे कि इसमें इस सम्बन्ध का क्लॉज है उस पर आपको मौका मिलेगा, उस समय बोलें । अभी आपके सामने जो प्रश्न है उसी पर बोलें । क्योंकि इस विधेयक को कम समय में खत्म करना है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : आर्म्ड फोर्सेज़ पर क्लॉज़ है ।

श्री सभापति :अगर आप इस विषय पर टू दी पॉइन्ट हो जावें तो बहुत अच्छा होगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, जहां तक क्लॉज़ पर, धारा का विचार करते समय विचार प्रकट किया गया....

सभापति : मैं उससे नहीं रोकता, आप बोल सकते हैं । मैं तो केवल नोटिस में लाया था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हर एक धारा सदन में आती है । किस पर विचार प्रकट किया जाय ? इस कानून में कुछ नहीं है । सिलेक्ट कमेटी ने इस पर विचार नहीं किया, सिलेक्ट कमेटी ने कोई विचार इस धारा के सम्बन्ध में नहीं रखे, मैं समझता हूं कि बजाय १७६ माननीय सदस्य यहां पर बैठ कर इस पर विचार करें सिलेक्ट कमेटी ही इसके बारे में विचार प्रकट कर दे कि आर्म्ड फोर्सेज़ के बारे में जो इजेक्टमेंट का प्रावधान रखा है, जो बेदखली का प्रावधान रखा है अथवा रखना चाहते हैं वह कब से लागू करना चाहते है, आर्म्ड फोर्सेज़ के किन मेम्बर्स के लिए लागू करना चाहते हैं, कब से लागू करना चाहते हैं, रिटायर्ड पेन्शन होल्डर्स के लिए रखना चाहते हैं, आज भी जो आर्म्ड फोर्सेज़ में काम कर रहे हैं उनके लिए रखना चाहते हैं या आगे आनेवाले रिक्रूटमें के लिए रखना चाहते हैं, किन के लिए रखना चाहते हैं । आखिर कोई बात तो हो । प्रवर समिति यदि इस पर पहले से ही विचार प्रकट कर देते कि आर्म्ड फोर्सेज़ के बारे में यह है तो सदन में शायद यह कभी प्रस्तुत नहीं करता और प्रवर समिति द्वारा जो विचार प्रकट किया गया है उन सारे संशोधनों पर विचार करता । लेकिन केवल एक शकुन पूरा किया गया । जैसा शकुन होता है कमेटी की एक दिन की बैठक हुई और बस रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । सिलेक्ट कमेटी में इस बारे में कोई विचार प्रकट नहीं किया गया । सिलेक्ट कमेटी में कोई इसको इन्कॉर्पोरेट नहीं किया गया और यह जो सवाल खड़ा हुआ है वह एक बहुत बड़ा मसला है । जहां तक मैंने निवेदन किया कि फौजी सिपाहियों का ताल्लुक है, कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता है कि उनकी जमीन की रक्षा होनी चाहिये । सरकार की भावना है, कितनी है इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं की गई । जो धारायें हैं उससे बढ़ कर हिन्दुस्तान के फौजी सिपाहियों को कहने के लिए तैयार हैं और तैयार रहना चाहिये, हिन्दुस्तान के फौजियों को, आर्म्ड पर्सोनल्स

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को यह विश्वास दिलाना चाहिये कि तुम भारत भूमि की रक्षा करो, हम तुम्हारी भूमि की रक्षा करेंगे। हम नहीं चाहते कि उनके मन में कोई सस्पेन्स रहे। आर्म्ड फौज के कौन से लोगों पर यह लागू होता है? क्या आज जो पेन्शन पर रिटायर होकर आ गये हैं उन पर लागू होता है, जो आज काम करते है उन पर लागू होता है या नया रिक्रूटमेंट हो रहा है सिपाहियों का उन पर लागू होता है? सरकार के सामने दिक्कत आई हो कि लोग आज फौज में भर्ती नहीं होना चाहते, क्योंकि लोगों के सामने सवाल खड़ा होता है कि हमारी जमीनों को दूसरे लोग काश्त करेंगे और जब हम सेना से लौट कर आवेंगे जब हम लड़ाई से लौट कर ? तो हमको हमारी जमीन नहीं मिलेगी और इस कमजोरी के कारण से आज लोगों में रिक्रूटमेंट के लिए उत्साह नहीं है, फौज में भर्ती होने के लिए उत्साह नहीं है, लोगों में भर्ती होने के लिए उत्कंठा नहीं हुई है और इसलिए हमारे डिफेन्स मिनिस्टर ने शायद कोई राज्य सरकार को संकेत दिया हो कि रिक्रूटमेंट जितना होना चाहिये उतना नहीं हुआ है इसलिए उनकी लैंड के बारे में, उनकी जमीनों के बारे में कानून में संशोधन होना चाहिये कि जब वे फौज से लौट कर आवेंगे तो उन काश्तकारों को बेदखल कर सकते हैं, कार्यवाही कर सकते हैं बेदखली की।

सभापति महोदय, मैं, जिस प्रकार का प्रोविज़न इस कानून में रखा है, राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने जवाब में इसको साफ करें। लेकिन मैं जहां तक समझ पाया हूं अगर मंशा सदन की यह है और राज्य सरकार केवल इस बात का संकेत करना चाहती है कि आगे रिक्रूटमेंट ज्यादा हो, फौज में भर्ती ज्यादा हो तो कानून को प्रोस्पेक्टिव बनाना पड़ेगा कि जो सिपाही आगे मोर्चे पर जावेंगे, सेना में भर्ती होंगे, फौज में भर्ती होंगे उन लोगों की जमीनों पर किसी के भी खातेदारी राइट्स एक्रू नहीं होंगे, चाहे वह काश्तकार उसकी काश्त करता हो। इस प्रकार का प्रावधान हमने विडोज़ के लिए किया है, इस प्रकार का प्रावधान हमने माइनर्स के लिए किया है, इस प्रकार का प्रावधान हमने स्टूडेन्ट्स के लिए किया है, इस प्रकार का प्रोविज़न हमने टिनेन्सी एक्ट में इन्फेन्ट और सिक के बारे में किया है। इन केसेज में सबलैट जमीन नहीं मानी जावेगी, इसी प्रकार के प्रोविज़न आर्म्ड फोर्सेज़ के मेम्बर्स के लिए रखना चाहते हैं। जो प्रोविज़न्स रखे गये हैं इससे क्या कोन्सिक्वेन्सेज होंगे, क्या जबर्दस्त उथलपुथल होगी, क्या जबर्दस्त उथलपुथल कृषि के महकमे में, कृषि की इन्डस्ट्री में हो जावेगी, यह समझ में नहीं आता है। जो प्रोविज़न आपके सामने है, उसमें लिखा है:

"Where an estate-holder who has been a member of the Armed Forces of the Union seeks the ejectment of his tenant of Khudkasht or ghair khatedar tenant, or where a khatedar tenant having been such a member seeks the ejectment of his sub-tenant, under clause (a) or clause (d) of sub section (1) of section 180, then not with standing anything contained in the provisos to those clauses or in section 19 the Court may direct by such decree or order that the tenant

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

of khudkasht or ghair-khatedar tenant or, as the case may be, the subtenant shall be ejected from the whole of his holding or, as the case may be from a portion thereof, if it doesnot exceed the ceiling area applicable to such estate holder or such khatedar tenant." इसमें शब्दों का उपयोग किया गया है, 'हैज़ बीन' ! तो क्या 'हैज़ बीन' का मतलब यह समझा जाय कि जो आज फौज में हैं, जो फौज में एक बार रह लिया, जिसने चार-पांच साल के लिए फौज़ में नौकरी कर ली और फिर आ गया, अथवा फौज़ से रिटायर होकर पेन्शन लेकर आ गया, या किसी कारण से जिनको फौज़ से भेज दिया गया, मैं समझ नहीं पाया, शायद मंशा यह होगी कि अगले रिक्रूटमेंट के लिए या सर्व करते हैं उनके बारे में, जो फौज से लौट कर आये, उनके द्वारा अदालतों में इजेक्टमेन्ट्स, बेदखली के दावे अदालतों में पेश किये गये, उन जमीन पर काश्त करने-वाले काश्तकारों को खातेदारी का हक प्राप्त हो गया टिनेन्सी एक्ट के अनुसार शिकमी काश्तकार खातेदार काश्तकार स्वीकार कर लिया गया, बन चुका, जो पांच, दस साल से खेती कर रहा है उस पर, उन सारे सिपाहियों के दावे खारिज कर दिये गये, या इसका मतलब यह होगा कि आर्म्ड फोर्सेज़ के मेम्बर्स को अधिकार देना चाहते हैं कि रिटायर होकर आ गये, पेन्शन लेकर आ गये, घर लौट कर आ गये किसी तरह से, वे वापिस दावे कर सकते हैं उनके लिये यह सैक्शन एप्लाई होगा। कुछ साफ नहीं लिखा है। एस्टेट होल्डर का शब्द लिखा गया। आज कोई एस्टेट होल्डर नहीं है। न तो जमींदार एस्टेट होल्डर है न जागीरदार एस्टेट होल्डर है। ऐसी स्थिति में आपका एस्टेट होल्डर से क्या मतलब है? ज्यादा एप्रोप्रियेट वर्ड तो 'लैंड प्रोप्राइटर' होना चाहिये था। कानून में इस प्रकार के शब्द का उपयोग किया गया है तो इससे कॉम्प्लीकेशन्स एराइज़ हो सकते हैं। पूर्व फैसलों के बारे में क्या होगा? रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा कि अदालतों में जो फैसले हो चुके हैं क्या उनको फिर से खोला जावेगा, क्या फिर से सुनवाई होगी, अथवा नये सिरे से दावे पेश किये जावेंगे, रेस-जुडिकेटा का प्रोविजन एप्लाई नहीं होगा। यह कानूनी स्थिति पैदा होती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि फौज़ के बारे में जैसा मैंने निवेदन किया स्पष्ट प्रोविज़न हो। फौजी सिपाहियों के बारे में हमारी दृढ़ भावना हो, उसमें आत्म विश्वास प्राप्त हो। उस दृढ़ भावना के सम्बन्ध में मेरी भावना भी उनके साथ होगी और मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा कि हिन्दुस्तान की आज की परिस्थितियों में, फौज में अधिक से अधिक भर्ती हों, लोगों में फौज में भर्ती होने के लिए अधिक से अधिक उत्साह पैदा हो, उनकी दृढ़ भावना हो देश की रक्षा की और उसकी इस दृढ़ भावना की दृष्टि से जो भी उसके बारे में कदम उठाया जायगा हर कदम का मैं सहयोग करूंगा। लेकिन जो परिणाम उसके बाद में निकलने वाला है कि कहीं आप अच्छी बात करने जावें और कहीं बुरी बात न हो जाय। रिक्रूटमेन्ट को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, जो हिन्दुस्तान में रहने वाले नागरिक हैं, छोटे २ शिकमी काश्तकार हैं उनमें ऐसी भावना पैदा न हो जाय, देश की सीमा सुरक्षा का ध्यान रखना है, देश की सीमा की सुरक्षा करने वाली फौज़ में शान्ति रखनी है। और हमारे देश की सुरक्षा के लिए

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आज हमें एक बलवान सेना की आवश्यकता है, बलवती सेना की आवश्यकता है, उसमें सुदृढ़ता रखने की आवश्यकता है, उनमें शान्ति रखने की आवश्यकता है और किसानों में भी उथल-पुथल न हो, इन सारी बातों को इस समस्त दृष्टिकोण को देखते हुए सरकार को स्पष्ट दृष्टिकोण सदन के सामने रखना चाहिये ।

श्री सोहनलाल भटनागर : You are blowing both hot and cold.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त कुछ संशोधन माननीय मंत्री महोदय ने इसमें और करने की चेष्टा की है और वे संशोधन इससे पूर्व के हैं सिलेक्ट कमेटी के सम्बन्ध में भी, मैं समझता हूं, टिनेन्सी एक्ट में रीइंस्टेटमेन्ट के बारे में समेरी प्रोसीजर प्रोवाइड की है। धारा १८७ में कुछ कुछ धारायें जोड़ी गई हैं । एक तो मेरी समझ में नहीं आता, सरकार को एक नीति निर्धारित करनी चाहिये । यह कौन सा कानून बनाने का तरीका है और संशोधन लाने का तरीका है ? कानून में एक प्रोविज़न है समेरी प्रोसिजर का, समेरी नेचर का आपने तब्दील कर दिया है । दूसरा कानून बनाया । दूसरे संशोधन लाये, दूसरी धारा रखी और संशोधन रूप में सदन के सामने फिर आये । उससे कोई टिनेन्ट कोर्ट में दावा कर सकता है और उस केस में सभापति महोदय, कोई अपील नहीं होगी ।

जो नीचे की अदालतों में फैसला हो जायगा और जो फैसले काश्तकारों के हक में हो जायेंगे अथवा नहीं होंगे तो इसके लाने में आखिर आपकी क्या मंशा है ? चाहे किसी नेचर के मामले, सिविल हों, क्रिमीनल हों-आप चाहते हैं कि कम से कम मुकदमेंबाजी हो कम से कम लिटीगेशन हो। पहले आपने रीविज़न का प्रोविज़न रखा है । एक काश्तकार दावा करता है १८७ ए०बी० के तहत । मैं समझ नहीं पाया इस प्रकार का जो प्रावधान रखा है उसका उद्देश्य क्या है ? इसमें लिख दिया है कि टाइटल के बारे में डिसीज़न नहीं होगा । जब आप काश्तकार शब्द लिखते हैं और कहते हैं कि टाइटल का डिसीजन नहीं होगा और दूसरी तरफ मुकदमेंबाजी घटाना चाहते हैं । इससे तो मुकदमेंबाजी घटेगी नहीं उल्टी बढ़ेगी। धारा १८७ का जो प्रावधान रखा है एक बार ऐसा कर सकते हैं कि अपील नहीं होगी तो वह फाइनल नहीं होगी और अगर वह अपील में कामयाब नहीं होगा तो रेगुलर सूट लायगा । दुबारा प्रोसीडिंग होगी इससे ज्यादा लिटीगेशन होगा । नतीजा यह होगा कि जो गरीब किसान है जो रेगुलर सूट द्वारा मुकदमा लड़ सकता है उसको और ज्यादा प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा । उसके बाद डिसीज़न कौन देगा ? असिस्टेन्ट कलेक्टर महोदय उसका निर्णय देंगे और उसका निर्णय फाइनल होगा । असिस्टेन्ट कलेक्टर महोदय किस प्रकार का फैसला देते हैं, इसके बारे में श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने एक उदाहरण रखा था, बीकानेर के असिस्टेन्ट कलेक्टर का; जिन्होंने दो फैसले लिख लिख कर फाड़ दिये, जिन पर उनकी मोहर लगी हुई थी, जिनकी फोटोस्टेट कॉपी भी मंत्री महोदय को पेश करदी थी और फिर तीसरा फैसला लिख कर दिया गया । जो ऐसे हमारे असिस्टेन्ट कलेक्टर होते हैं, जब उनके पैसे तय हो जाते हैं और उनको मिल जाते

Page No.83

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं तब उनको अन्तिम फैसला मिल जाता है। फैसला पैसे के आधार पर होता है। जब देखते हैं, फैसला लिख दिया गया और पैसा नहीं पहुँचा वैसी हालत में फैसले को फाड़ना पड़ जाता है। जब रकम पूरी आ जाती है या आधी रकम आ जाती है तब आधा फैसला लिख दिया जाता है। जब पूरा पैसा आ जाता है तब पूरा फैसला लिख दिया जाता है।

श्री मदनसिंह (दाता रामगढ़): तो यह क्या प्रवर समिति में जाने से रुक जायेंगे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हो सकता है। प्रवर समिति में जाने के बाद शायद इस बात पर विचार किया जा सकता है कि अपील का राइट रखें या नहीं, डबल प्रोसेस रखें या न रखें। यह सब सिलेक्ट कमेटी तय कर सकती है।

सभापति महोदय, इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन भी किया गया धारा १८३ में। इनका विचार है कि ट्रेसपासर्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाय। राजस्थान के अन्दर जो गरीब किसान हैं वे मुकदमा लड़ नहीं सकते। ताकतवर जो लोग हैं वे किसानों की उपज पर मुकदमा लड़ते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की ताकत रहती है। वे लोग बेचारे मुकदमा लड़ते हैं, दस साल हो जाते हैं, उसके बाद रेवेन्यू बोर्ड से जीत कर आ जाते हैं। आखिर वे लड़ते इसलिये हैं कि पचास बीघा जमीन है जो उसकी दबा रखी हैं उसकी पैदावार होती है, उसके दसवें हिस्से से मुकदमा लड़ते हैं। जब मुकदमा जीतने के बाद कब्जे का सवाल आता है तो उसको ६ गुना लगान पेनल्टी के रूप में दिला दिया जायगा। यह बहुत कम है। आज जिन परिस्थितियों में बेदखलियां हो रही हैं इन परिस्थितियों में आवश्यक है कि पेनल्टी १०, १२ गुना रख दें। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। हमें अधिक से अधिक पेनल्टी रखनी चाहिये। इस प्रकार की कुछ खामियां हैं जिन पर सिलेक्ट कमेटी ने कोई विचार नहीं किया। इसलिये इन सब बातों पर सदन विचार करे इससे पहले प्रवर समिति के पास जाय। उसको रेफर किया जाय और उसके विचार करने के बाद वह अपनी रिपोर्ट सदन में विचारार्थ रखे। उसके बाद सदन इस बिल पर विचार करे। बस इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय। आशा है, सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय, राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १६५६ को दुबारा प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, यह मेरा प्रस्ताव है....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : ओन दी पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब कि यह बिल प्रवर समिति से पास होकर आया है फिर प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव किस प्रकार आ सकता है ?

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्ताव रखा है; उस पर बोल रहे हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : मेरा प्रस्ताव है कि दुबारा उसी सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाय।

Page No.84

श्री श्रीभानसिंह : सभापति महोदय, मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह था कि जब यह बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर हुआ था उस समय इस बिल के प्रिन्सिपल्स पर बहस हो चुकी थी और हमने उन प्रिन्सिपल्स को एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया। जब सिलेक्ट कमेटी से रेफर होकर सदन में आया, उसके बाद फिर उसको देना कोई मान्यता नहीं रखता। प्रोसीजर यह एडॉप्ट करना चाहिये, प्रिन्सिपल्स को इन्कॉर्पोरेट कर लेते हैं, सिलेक्ट कमेटी से रिपोर्ट हो करके हाउस के सामने आती है then the House must immediately proceed clause by clause consideration and not on the general principles of the Bill. यह प्रोसीज़र होना चाहिये।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : वास्तव में उनका प्रस्ताव है कि नई प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री सभापति : बात तो यही है।

श्री शंकरलाल : यह लिखा है कि जिसके नाम बाद में प्रस्तुत कर दिये जायेंगे, not to the same Select Committee...

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): कर तो सकते हैं; मानना, न मानना उनके हाथ में है।

श्री सभापति : श्री दयाकृष्ण विजय जारी रखें! मैं पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के बारे में अभी बतलाता हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय : इस बिल में दो तीन बातें ऐसी गम्भीर हैं कि उन पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको फिर सिलेक्ट कमेटी के सामने रखा जावे। जिस तरह मेरे से पूर्व वक्ता ने निवेदन किया कि जहां तक उन व्यक्तियों का सवाल है जो आज फौज में हैं और उनके परिवार यहां पर हैं या उनकी भूमि है उनके पास और उनकी उस जमीन पर कोई दूसरा व्यक्ति काबिज हो गया है नाजायज़ तरीके से तो सरकार का यह फर्ज है कि कम से कम उनकी जमीन की रक्षा करे और अगर वह व्यक्ति, वहां नहीं भी है तो भी उसकी अनुपस्थिति में भी उस जमीन को मुक्त करवा कर उसके परिवारवालों को दे दी जावे; या अगर वह फौज में रहने वाला व्यक्ति अपनी जमीन की काश्त किसी सब-टीनेन्ट से या किसी और से करवा रहा है तो उसे उस पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार न हो। क्लॉज़ यह इस प्रकार का है कि इसमें सारी बातें स्पष्ट नहीं हैं। एम्बिगुइटी है कि यह क्लॉज़ उन पर भी अप्लाई करेगा या नहीं कि जो फौज से लौट कर आ चुके हैं, या उन्हीं पर एप्लाई करेगा जो अभी फौज में हैं या उन पर भी एप्लाई करेगा जो लौट भी आये हैं और फौज में भी हैं। जब तक इन तीन बातों को स्वीकार नहीं करते तब तक दिक्कत है क्योंकि इसका बड़ा नतीजा होने की सम्भावना है।

मैं इस बिल की अहमियत को स्वीकार करता हूँ। हमारे देश की सीमा की सुरक्षा का एक अहम मसला इसके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे देश पर बाहरी हमले के खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और ऐसी स्थिति में हमारे यहां सैनिकों की सेवा की अत्यन्त आवश्यकता है। अब जो सैनिक बन कर गये हैं अपने घर-बार को पीछे छोड़ कर गये हैं, अपनी जमीन

Page No.85

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जायदाद को छोड़ कर गये हैं तो यह हमारा और सरकार का पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उनकी जमीन की रक्षा करें, उस पर किसी का नाजायज़ कब्जा नहीं होने दें। ऐसी स्थिति में इस क्लॉज़ को रखना चाहिये और इसको स्पष्ट कर देना चाहिये। इस तरह से सब क्लॉज़ जो यहां से हटाया गया है, इस क्लॉज़ के सब क्लॉज़ १८३ के अन्तर्गत जो है, हालांकि वह दो तरह की ध्वनियां देता है; आज हम उन लोगों के हाथ मजबूत करना चाहते हैं जो देश के रक्षार्थ, हमारी सीमा के रक्षार्थ अपनी जान हथेली पर रख कर लड़ने चले गये हैं। इसमें वैसे तो साफ मालूम पड़ता है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कम्पेन्सेशन दिया गया है ६ गुना वह थोड़ा है, हालांकि ऐसा संशोधन भी है कि इसे बढ़ाया जावे।

इसी तरह धारा १८७ भी है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): On a Point of Order, Sir, according to Rules of Procedure, Rule no. 59, it is only the Member-in-charge of the Bill who can move that the Bill may be recommitted to the same or the new Select Committee. Section 2 says-

"If the member in-charge moves that the Bill as reported by the Select Committee of the House be taken into consideration any member may move as an amendment that the Bill be-recommitted or be circulated or re-circulated for the purpose of eliciting opinion or further opinion thereon."

Here the motion is to recommit the Bill to a new Select Committee. So the motion is not in order. Any member can refer to the same committee and only the member-in-charge can refer to a new Select Committee.

श्री सभापति: यस प्लीज़। बात यह है कि स्पीकर साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है और सक्यूंलेट हो चुका है और बोल भी चुके हैं और अब समाप्ति पर ही हैं....

श्री पी० के० चौधरी: Even when so many amendments are circulated and they are not allowed, when there is a controversial view or a constitutional objection. When Shri D. K. Vijay is the mover, it should be disallowed.

श्री सभापति: But I think he is supporting and just to finish.

श्री पी० के० चौधरी: Shri Daya Krishna Vijai is moving the same motion.

श्री पुरूषोतमलाल शर्मा (किशनगढ़): But it is too late now...

श्री पी० के० चौधरी: Any time objection can be raised.

श्री सभापति: यह उन्होंने, सतीशचन्द्र जीने मूव किया है और उसके सपोर्ट में श्री दयाकृष्ण बोल रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी: He is moving his own motion.

श्री सभापति: It comes to the same.

श्री पी० के० चौधरी : He is not speaking in support. His name has been called to move the motion.

श्री सभापति : That motion is already moved.

श्री पी० के० चौधरी : He is speaking to move the motion.

श्री सभापति : आप देर से आये हैं, सतीशचन्द्रजी मूव कर चुके हैं और इसके बाद में वे बोल रहे हैं और उनका बोलना खत्म होने वाला है।

श्री पी० के० चौधरी : The Chair has called his name as a mover of the motion. His name was called out by the chair to move his motion.

श्री सभापति : यह ठीक है। यहां पर प्रस्ताव करने में दोनों का नाम है। पर उन्होंने कहा भी है कि सपोर्ट में मैं बोल रहा हूं और जब सपोर्ट में बोल रहे हैं और बोलना खत्म कर रहे हैं....

श्री पी० के० चौधरी : But his name was called out not as a supporter but as a co-mover of the motion.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): Because he caght the eyes of the Chair immediately.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): एक आपत्ति और है, और वह यह है कि सिलेक्ट कमेटी जो कॉन्स्टीट्यूट होती है तो हाउस की जितनी भी पार्टीज़ होती हैं उनके सदस्यों से और इस तरह सब पार्टीज़ को वह रिप्रेज़ेन्ट करती है। अब जहां तक माननीय सदस्य का सम्बन्ध है जनसंघ के, वे भी उस कमेटी में मौजूद थे। All the Parties were represented on the Select Committee.

श्री पी. के. चौधरी : And Shri Daya Krishna Vijay was himself a Member of the Select Committee.

श्री भैरोंसिंह : The Hon'ble Minister-in-charge was also a member of the Select Committee and he has moved his amendment.

(व्यवधान)

श्री सभापति : Order ! Order please !!

श्री श्रीभानसिंह : सब पार्टीज़ के रिप्रेजेन्टेटिव इस कमेटी में हैं और वे सब यूनानिमस हैं। अब जो यूनानिमस हैं और किसी ने कोई नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं दिया तो उसी को वापिस री-कमिट करना, इसका सवाल उठता ही नहीं। माननीय सदस्य को पूरी ओपोरचुनिटी थी वहां बोलने की और डिसेन्ट नोट देने की; पर सब यूनानिमस थे।

श्री पी. के. चौधरी : The Member-in-charge of the Bill could move for its recommittal to the same or to a new Select Committee.

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने को खड़े होने पर)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़ ! जब सतीशचन्द्रजी मूव कर चुके उस वक्त ऑब्जेक्शन यह करते तो वहां उस बात को कन्सीडर करने की बात थी। पर अब यह इतना, टू लेट

(श्री सभापति)

है कि वे बोलना खतम ही कर रहे हैं तो इस वक्त आपत्ति को उठाना मुनासिब नहीं होगा।

श्री पी. के. चौधरी : But on another point of Order, Sir. Shri Daya Krishna Vijay, the Hon'ble Member from Chhabra, is a member of the Select Committee and he has not appended a Note of Dissent and the convention is that a person who is a member of Select Committee and who has not appended a Note of Dissent, cannot be allowed to oppose the Bill as a whole.

श्री दयाकृष्ण विजय : यह टू लेट कैसे है ? मूव कैसे कर सकते हैं ? Why can I not speak ?

श्री श्रीभानसिंह : यह कन्वेन्शन है कि जिस किसी माननीय सदस्य को फिर ऑब्जेक्शन करना है और सिलेक्ट कमेटी में रेफर करना है तो इसके लिये नोट ऑफ डिसेन्ट देना जरूरी है। जब आपने नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं दिया तो हाउस में ऑब्जेक्शन रेज करें या कमिट करें या रीकमिट करने की बात करें तो यह कन्वेन्शन के अनुसार नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, अभी जो ऐतराज उठाया गया, इसके कारण से ऐसी स्थिति बनती है कि जिसको मैं भी स्वीकार करता हूं। कोई भी सदस्य किसी सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर है और नोट ऑफ डिस्सेन्ट नहीं देता है तो परिपाटी और अच्छी, स्वस्थ परम्परा के नाते उस रिपोर्ट के विपरीत बातें नहीं कहनी चाहिये। पर प्रश्न पैदा होता है कि ये स्वस्थ परम्पराएं तोड़ी किस तरह से जा रही हैं ? माननीय राजस्व मन्त्रीजी बिल के नेता हैं। उन्होंने भी अमेंडमेंट मूव किया है इस पर और उसको सर्क्युलेट करने के कारण ऐसा लगता है कि जब माननीय सदस्य को जो उसके चैयरमेन थे उनको भी जब अमेन्डमेन्ट मूव करने की परमिशन दे दी गई तो दूसरा सदस्य फिर उस मौके का फायदा क्यों नहीं उठावे ? आप कह सकते हैं : बाद में ध्यान में आया, तो फिर उनको क्यों नहीं रोका गया ?

श्री पी. के. चौधरी : He has not appended a Note of Dissent. And there is a difference in what the Hon'ble Member has taken it.

श्री दयाकृष्ण विजय : कई सदस्य....

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर ! प्लीज़ ! आर्डर !!

श्री पी० के० चौधरी : You hear me, Sir. I want to clarify...

श्री सभापति : Order ! Order please !! जो कुछ आपत्ति उठाई गई है....

३. २६ म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : I think some observation is needed.

Page No.88

श्री पी. के. चौधरी : A point of Order is pending disposal. The Point of Order was that Hon'ble Shri Daya Krishna Vijya was a Member of the Select Committee and he has not appended a Note of Dissent and as such he should not be allowed to speak against the whole Bill, as such, while the Hon'ble Member from Shri Madhopur says that there is a precedent that Member-in-charge has moved the amendment. It is different. Moving of au amendment here is different from opposing the Report of the Select Committee in toto. The Hon'ble Member should, therefore, not be allowed to speak against this Report as submitted to the House.

श्री उपाध्यक्ष : Has Mr. Daya Krishna Vijay explained his position?

श्री दयाकृष्ण विजय : When the Chairman of the Committee can move an amendment, why can I not be allowed to move?

श्री पी० के० चौधरी : But he is opposing the whole Bill as reported by the Select Committee.

श्री उपाध्यक्ष : My observations on general principles and on precendents are that there exists no right to oppose it. I accept the Point of Order that has been raised by Shri P. K. Chaudhary.

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : But he has been allowed.

श्री पी० के० चौधरी : No. As soon as he stood up, the point of order was raised, and the Chairman said that he will look into it.

श्री उपाध्यक्ष : I will request Mr. Vijay to speak in favour with little adjustments of references.

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं बातों को क्लियर कर रहा था और मैं केवल स्पष्टीकरण के नाते बोल रहा था कि इस बिल में कई बातें अच्छी हैं तो उसमें कई खामियां भी हैं....

श्री पी० के० चौधरी : I want to know whether he is speaking in support of the motion or what?

श्री उपाध्यक्ष : In support of course, with little adjustments. I will allow some passing reference if at all necessary.

श्री दयाकृष्ण विजय : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस टिनेन्सी अमेंडमेंट बिल के अन्दर यह बातें अच्छी रखी गई हैं कि फौजी सिपाहियों को जो आज फौज में हैं हालांकि यह बहुत ही गड़बड़ है कि जो रिटर्न होकर आ चुके हैं उनके लिए है या जो अभी फौज में कार्य कर रहे हैं उनके लिए है ; यह स्पष्ट करना चाहिए था । आज जो देश की वर्तमान अवस्था है वह आज मांग करती है कि इसको गंभीरता के साथ देखना चाहिए । हमारे भाई जो हमारी ही रक्षा के लिए कश्मीर पर अपनी जान हथेली पर लगाये हैं उनकी जमीन पर यदि दूसरा अधिकार कर लेता है तो उनकी जमीन

(श्री दयाकृष्ण विजय)

के खातेदारी राइट्स दूसरों को नहीं देना चाहिए। इस क्लॉज के अन्दर एक एम्बीगुइटी है, एक कनफ्यूज़न है उसके लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो फौज में हैं और जो आज सीमा पर लड़ रहे हैं उन लोगों के लिए लागू होना चाहिए और उन लोगों के लिए नहीं कि जो दस-पन्द्रह साल पहले के आये हुए हैं। वह केवल इसलिए कि 'हैज़ बीन इन दी आर्मी', यह बात मैं निवेदन करना चाहता था। यह ठीक है कि आपने सम्मरी ट्रायल दी है। मैं कहता हूं कि जो लोग इजेक्ट हो गए हैं, जिन लोगों का स्वामित्व हटा दिया गया है वह उनको जल्दी मिलना चाहिए। यह भावना बहुत अच्छी है और इसका हर सदस्य समर्थन करेगा और मैं समझता हूँ कि सदन भी इसी राय का होगा। लेकिन हो सकता है सम्मरी ट्रायल के अन्दर एक पक्ष के साथ में न्याय होता है और हो सकता है दूसरे पक्ष के साथ न्याय नहीं हो रहा हो! ऐसी हालत में अपील का प्रावधान रखना चाहिए था। यह मेरा सजेशन है। इसके बाद मेरा दूसरा सुझाव यह है कि धारा १८३ में जहां कम्पेन्सेशन का प्रावधान रखा है वह बहुत थोड़ा है और उसको इन्क्रीज़ करना चाहिए। इन तीनों संशोधनों के साथ जो संशोधन प्रवर समिति ने किया है वह बहुत अच्छा है और इसको इसी प्रकार स्वीकार करना चाहिए पर इन तीनों मसलों पर भी विचार जरूर करना चाहिए।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस बिल को वापिस सलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं। उन्होंने थोड़ा कानूनी मसला यह बताया है कि १८७ (बी) जो इस बिल में धारा रखी गई है और उसकी अपील नहीं रखी गई यह दुनिया के किसी भी कानून में ऐसी धारा नहीं है। पहले टिनेन्सी एक्ट में ऐसा था और अब यह बिल्कुल अन्याय किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे वकील हैं और कानून के ज्ञाता हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा ९ की तरफ अगर वे देखें तो मालूम होगा कि जो व्यक्ति इजेक्ट कर दिया जाये तो उसे ६ महीने के अन्दर ऐसा दावा लाने का राइट दिया है। उसमें समेरी ट्रायल ही होती है, अपील नहीं होती है और उसके बाद रेग्युलर सूट करने के लिए भी अलग कानून में धारा है। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि हम कानून की अवहेलना कर रहे हैं या कोई नया प्रोविज़न ला रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। १८६ धारा जो पहले थी और उसकी अपील रखी गई थी उससे क्या हो रहा है कि काश्तकार जो इजेक्ट हो गया है उसको अपील में ही दो दो वर्ष हो गये और वह बहुत परेशान है। उनको कब्जा वापिस नहीं मिला और इजेक्ट करने वाले ऑर्डर ले आते हैं, रीविज़न के अन्दर स्टे ऑर्डर ले आते हैं और काश्तकार मारा मारा फिर रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन काश्तकारों की भलाई के लिए कानून बनाया गया था उनकी भलाई नहीं बल्कि उनकी बुराई हो रही है। इसलिए १८७ (बी) धारा इस बिल में रखी गई है वह बिल्कुल ठीक है। सम्मरी ट्रायल की जाकर ही तय कर दिया जाये और अगर उस आज्ञा के लिए किसी को उज्र है तो रेग्युलर सूट

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

दायर कर दें रिलीफ एक्ट की धारा ६ में है कि वह ऐसा दावा ला सकते हैं। तो जिस प्रकार से उसमें है, इसमें कानून की कोई खामियां नहीं हैं। मेरे लायक मित्र समझते हैं लेकिन फिर भी उनका इस प्रकार कहना उपयुक्त नहीं था और यह कानून के खिलाफ बात थी। इसमें कुल तीन धारायें हैं जिनको देखना चाहिये। यह बिल एक बार सलेक्ट कमेटी में हो आया है और जो कहा गया है कि इसको फिर भेजा जाये तो मेरी समझ में नहीं आता है कि जब कि यह वहां होकर आया है और उसकी मीटिंग एक दिन हुई हो या दो दिन हुई हो उसमें ४-५ क्लॉजिज ही हैं और उनका एक बार रिवीज़न सिलेक्ट कमेटी ने कर लिया और देख लिया तो उसको वापिस वहां भेज दिया जाये तो यह कहना कि वहां बैठक नहीं हुई, वहां बैठक हुई है इसलिए सिलेक्ट कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट भेजी है उसके ऊपर यहां हमें विचार करना है और जब धारावाहिक विचार होगा उसमें अमेंडमेंट आ सकते हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा जाये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पास कर देना चाहिये था और सिलेक्ट कमेटी में नहीं भेजना चाहिये। जिन माननीय सदस्यों ने इसको वापिस सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए फरमाया है तो या तो उन्होंने बिल की स्टेडी नहीं की या उसके ऊपर विचार थोड़ा बहुत नहीं किया या राजस्थान की परिस्थिति से वे वाकिफ नहीं हैं कि आज कौन सी परिस्थिति में क्या क्या चीजें आ रही हैं। वे सिपाही जो आज कश्मीर में हैं वे किसके लड़के हैं, उनके घर वालों की क्या हालत हो रही है? साथ ही यह कह दिया गया है कि जो कश्मीर में लड़ेंगे उनके लिए तो कुछ तो चाइना की लड़ाई में जायेंगे और किस सिपाही के कितने बूंड हुए तो इतनी वकालात होगी, तो यह कानून बनेगा। मैं कहता हूं कि हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा किया कि जल्दी से जल्दी इस बिल को यहां लाये। क्योंकि नहीं तो पहले यह हमारी तरफ से मूव हुआ था कि फौजियों के पास जमीनें नहीं हैं और मैं समझता हूं कि जिन फौजियों को विश्वास दिलाया गया था कि आप कश्मीर में लड़ो और अगर आपकी जमीन को दूसरा काश्त भी करता है तो भी आपको मिलेगी। इसलिए अब यह केवल चाइना की लड़ाई के लिए एक कानून हो, मैं समझता हूं कि कोई प्रेक्टिकल चीज नहीं है। यह कोई उपाय नहीं है कि वापिस सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए। बिल्कुल साफ है इसके अन्दर कि जो फौज में रहे हैं जो काश्मीर की लड़ाई में मर कर आये हैं, बेचारे उधर लड़ते हैं और इधर जबरदस्ती जिनको गरीब टिनेन्ट कहते हैं, उन्होंने काश्त पर कब्जा कर लिया, लेकिन जब वह वापिस आता है तो काश्त के लिए जमीन नहीं है। अगर वह मुकदमा लड़ता है तो वकील लोग पीछे पड़कर जितनी पेन्शन होती है या इनाम मिलता है वह सब वकीलों के पॉकेट में चला जाता है या कानून बनानेवालों की पॉकेट में चला जाता है। यहां खड़े होकर भाषण में तारीफ कर दी। उससे काम नहीं चलता है। कम से कम सब

(श्री मदनसिंह)

फौजियों के लिए जो कि अपनी जान देता है और अपने विश्वास पर वह जमीन देकर जाता है लेकिन आप गांवों में जायं तो आपको मिलेगा कि जो फौजी लड़ाई में जाता है और उसके पीछे लिखावट होती है काश्त-कारों की, आप अगर आयेंगे तो हम आपको जमीन दे देंगे। लेकिन आपके कानून ऐसे बन गये कि ४-५ साल काश्त करने पर वापिस आता है तो कानूनन जमीन उनसे छुड़ा नहीं सकता है। इसलिए जो कानून इस वक्त बना है वह वाजिब बना है। यह फौजियों के हित में ज्यादा अच्छी होगा कि जल्दी से जल्दी यह कानून बना कर उनको रिलीफ मिले, और काश्त का काम शुरू करें।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर जो सिपाही हैं पहले वे काश्तकार थे। आगे जाकर काम उन्होंने किया। इसलिए वापिस आकर काश्त का काम नहीं करते हैं तो आखिर क्या उपाय है ? उनके पास दूसरा क्या साधन है ? क्योंकि जितने जितने साधन राजस्थान में थे वे सारे साधन वकीलों के हाथ में चले गये। चुनाव में देखें तो वकील, मुकदमों में वकील देखिये, पंचायतों में देखिये तो वकील पहुँचता है। फौजियों के मामले में जोरों से कह दिया कि सिविलियन्स भी लड़ाई लड़ लेंगे। मैं समझता हूँ कि वह दिन नहीं बताये भारतवर्ष को, लेकिन अगर वह दिन आया तो मैं समझता हूँ कि भाषण देने वाले कितने अपने नाम नोट करायेंगे कि हम आगे जायेंगे ? पुराने सिपाही जो कि सेकिन्ड वर्ल्ड वार से रिटायर हुए हैं या काश्मीर की लड़ाई पर गये हैं या किसी वजह से रिटायर हुए हैं या रिलीज़ हुए बैठे हैं, उनके लिए कम्पल्सरी है उनको पहले जाना होगा। केवल चाऊ एन लाई से लड़कर आते हैं उन्हीं को जमीन वापिस दी जा सकती है, यह कोई कानून नहीं होगा। मैं समझता हूं कि दूसरों की बात है उसका क्ले-रिफिकेशन हो, मैं समझता हूँ कि यह गलत बात है। मैं समझता हूँ कि फौजियों की तारीफ में किसी ने पूरा भाषण दे दिया, लेकिन अगर उनके साथ डिस्टिन्क्शन किया तो मैं समझता हूं कि प्रैक्टिकल रूप में उनके साथ में बड़ा अन्याय होगा। मैंने अभी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को बताया कि गांव के लोगों को तैयार किया। जब फौजी जाकर मरते हैं तो उनको जमीन नहीं मिलती है। ऑर्डर है, फिर भी लॉ क्लियर नहीं है। जब तक लॉ क्लियर नहीं हो तब तक उनको जब लड़ने को कहा जाता है तो कहते हैं कि हमारे पीछे भी घर-बार है। एक कॉम्युनिटी का सवाल नहीं है। किसान फौजी जो लोग हैं वे गरीब हैं। उनकी हालत भी ऐसी है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि रईस लोग हैं। पैसा देकर चले जायेंगे। ऐसे कितने रईस हैं ? कौन से राजा मानसिंह को जमीन मिल रही है जो एक्स सोल्जर है। आज हरिजन भी हैं, जाट भी हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। जो गांव के अधिक से अधिक तादाद में गये हुए सिपाही थे उनके ऊपर आपने लगाया तो जो फौजी हैं उनके साथ बड़ा अन्याय होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि सदन को जल्दी से जल्दी इसको पास करना चाहिए। अगर इसमें डिले होती है तो उनकी काश्त का नुकसान होता है। जो मुकदमे अभी फैसल हो रहे हैं फौजियों के खिलाफ, अगर यह कानून जल्दी पास हो जाय तो जिन मुकदमों का फैसला होने वाला

(श्री मदनसिंह)

है वह रुक सकता है। इसलिए उन्हें कुछ रिलीफ मिल सकती है। जहां तक कानून की मन्शा है, मैं समझता हूं कि कानून की यह मन्शा है कि फौजियों को राहत मिले। कहा जाता है कि अंग्रेजी शासन के हैं, तो अंग्रेजी या हिन्दी शासन की उनके दिमाग में बात नहीं थी। वे हिन्दुस्तान के फौजी थे। हिन्दुस्तान के लिए मरने के लिए गये थे। इस लिए मैं समझता हूं कि यह फिक्शन करना कि अमुक अमुक फौजी के लिए, अमुक अमुक तारीख को जो फौज में भर्ती हुआ है उसी काश्तकार के लिए यह कानून हुआ है, इस तरह से करना, मैं समझता हूं बहुत गलत चीज होगी। और जल्दी से जल्दी सिलेक्ट कमेटी ने इसको किया है तो सिलेक्ट कमेटी में सब पार्टियों के मेम्बर जाते हैं और वे पार्टी के आधार पर भेजे गये हैं तो वहां पर कोई विरोध नहीं, कोई चीज नहीं, लेकिन जब यहां हाउस में आता है तो डिलेइंग टेकटिक्स अपनाते हैं तो उससे मिसअन्डर-स्टेंडिंग फौजियों और सिविलियन्स के बीच में होगी। फौजवाले यह समझते हैं कि जब असेम्बली में उनके बारे में चीज आती है तो सिविलियन्स फौज के लिए डिलेइंग टेकटिक्स अपनाते हैं। यह सीलिंग बिल नहीं है जिसको डिले कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा कानून आ रहा है। फौजियों को इससे रिलीफ मिलती है। उनके घरवालों को रिलीफ मिलती है। जिनके पास हजारों रुपये हैं, जो एक एक पेशी में २००)रु०, ४००)रु० वसूल कर लेते हैं वे इसको डिले करवाना चाहते हैं। वे यह बात नहीं सोच सकते हैं कि फौजियों की क्या जिन्दगी है, फौजियों का क्या जीवन है। वे लड़ाई में मर गये तो औरतों की क्या हालत होती है ? राजस्थान में भी बड़ी दिक्कत है। पेन्शन के लिए वकील रुपया खाता है। मामूली सी चीज होती है, पेन्शन के लिए ५) रु० वकील ले लेता है। यह काम पड़ेगा तो मालूम पड़ेगा कि सिविलियन्स देश के लिए क्या काम कर सकते हैं। आज वे इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। विरोध करके ऐसे कानून को डिले करना देश के प्रति एक बड़ी गलत बात होगी आगे जाकर।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने ज्यादा जोर नहीं दिया था। उनका मतलब केवल यह था कि इस कानून का स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए; तो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इसका स्पष्टीकरण कर देंगे। सिलेक्ट कमेटी में जाने की कौन सी चीज़ है ? उसका स्पष्टीकरण रेवेन्यू मिनिस्टर साहब कर सकते हैं। कौन से सिपाही को लें या न लें, इसलिए सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए, मैं समझता हूं कि गलत बात होगी। पोलिटिकली भी गलत है, सोशियली भी गलत है। उन लोगों पर क्या असर होगा?

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं। मुझे खुशी है कि जनसंघ के माननीय सदस्यों में भी विचार स्वातन्त्र्य है। दांता से आने वाले माननीय सदस्य ने पुरजोर तरीके से इसका समर्थन किया है। माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो बिल है वह हमारे भूमि सुधारों की ओर एक और प्रगतिशील कदम है। मेरे ख्याल से जब सारे प्रावधानों को हम देखें तो विदित होगा कि धारा २ के अन्दर जो रखा था कि टिनेन्सी एक्ट के अन्दर काश्तकारों को अपने होल्डिंग में सुधार करने के अधिकार दिये

Page No.93

(श्री सोहनलाल भटनागर)

थे। एक बिल के द्वारा उनको रेस्ट्रिक्ट करना चाहते थे और गवर्नमेंट यह करना चाहती थी कि बिना तहसील की स्वीकृति के कोई भी मकान या इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता है। इसके बारे में सिलेक्ट कमेटी में विचार हुआ। मुझे खुशी हुई कि माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने काफी प्रगतिशील कदम लिया।

यह बात सही है कि म्युनिसिपैलिटीज़ की हद में काफी भूमि है, उनमें धड़ाके के साथ बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, और जो कि एक काश्तकार है या एक टिनेन्ट हैं उसको होल्डिंग केवल काश्त के लिए दी हुई है तो यह मतलब नहीं होता है कि वह उस भूमि पर बड़े बड़े मकान या बड़ी बड़ी दूकानें बना सकें और उससे नाजायज़ फायदा उठायें। इस दृष्टिकोण से जो इजाज़त की बात है उसको काफी रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जयपुर म्युनिसिपैलिटी के दायरे में १० मील तक और दूसरी म्युनिसिपैलिटीज़ के दायरे में ५ मील तक और जो दूसरी छोटी छोटी म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनके दो मील के दायरे में स्वीकृति की जरूरत होगी, सेन्क्शन की जरूरत होगी और गांव के अन्दर जरूरत नहीं होगी। इससे किसानों को बड़ी सुविधा होगी और इम्प्रूवमेंट के लिए जो रोक थी वह नहीं होगी। इसमें सिलेक्ट कमेटी ने सोच-विचार कर संशोधन किया है।

दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज इसमें है वह है मेरे ख्याल से आर्म्ड फोर्सेज़ को जमीन देने के बारे में, जिसके बारे में काफी डिस्कशन हो चुका है। यह सत्य है कि एक तरफ टिनेन्सी एक्ट में भूमि सुधार की नीति है लेकिन जब आर्म्ड फोर्सेज़ का प्रश्न आता है तो जरूरी हो जाता है कि जो लोग देश के लिये अपना जीवन बलिदान करते हैं उनको प्रिफरेन्स दिया जाय न कि सब-टिनेन्ट्स को इस दृष्टि से उनके ऊपर बैठाया जाय। भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने भी इस ओर ध्यान दिया और इसमें संशोधन आया। जो लोग देश के लिये मरने जाते हैं उनके लिये स्थायित्व होना चाहिये, उनको विश्वास होना चाहिये कि उनकी जमीन भूमि सुधार के नाम पर या काश्तकारों को राहत देने के लिये छिननेवाली नहीं है। इसी दृष्टि से आर्म्ड फोर्सेज़ में जो लोग गये हैं उनके लिये संशोधन आया है। दफा १९ में सब-टिनेन्ट्स को राइट्स एक्रू नहीं हो सकते। जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि पहलेवालों के लिये प्रावधान कर दिया लेकिन अभी जो है उनके लिये नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वे टिनेन्सी एक्ट की दफा ४७ को देखे जिसमें जिस तरह से ल्युनेटिक्स और माइनर्स के लिये प्रावधान है उसी तरह से आर्म्ड फोर्सेज़ के लिये भी दिया है, सब-टिनेन्टस का प्रावधान उनके लिये लागू नहीं होगा।

दूसरा जो इसमें मुख्य प्रावधान है वह है दफा १८७ ए.। उसमें लिखा है कि जो काश्तकार बेदखल हो गया है चाहे वह टिनेन्सी एक्ट, सन् ५५ में लागू हुआ उसके बाद हो उसको वापिस मौका दिया है कि वे अदालत में जावे और जबर्दस्ती छीन कर जिन्होंने कब्जा कर लिया है उनके खिलाफ केस लड़े और वापिस पजेशन प्राप्त करे। दफा १८६ से रास्ता बंद हो गया था, उसमें व्यवस्था थी कि ३ महीनों तक वे दावा कर सकते हैं लेकिन देखा गया कि कई काश्तकार गरीब थे वे मौका प्राप्त नहीं कर सके इसलिये उनको

(श्री सोहनलाल भटनागर)

जो और मौका दिया गया है वह बिल्कुल ठीक है।

दूसरी व्यवस्था यह की है कि टाइटल और पजेशन पर दावा है उसमें फर्क मिला है। पहले टिनेन्सी एक्ट में इस प्रावधान में फर्क नहीं था; कानून की जो जनरल व्यवस्था है उसके बारे में हरेक जानते हैं कि एक टाइटल सूट होता हैं और दूसरा पजेशन सूट होता है। पजेशन के सम्बन्ध में सम्मरी डिस्पोज़ल किया जाता है, किसी का अधिकार है तो टाइटल पर नहीं जाते हैं। जिस तरह से दफा ६ में अधिकार है वह ज्यों का त्यों रखा जाता है तो काफी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है इसलिये इसमें जो प्रावधान किया गया है वह ठीक है। असिस्टेन्ट कलेक्टर को पॉवर्स दिये गये थे लेकिन जनरल पॉवर्स रेवेन्यू बोर्ड के छिन नहीं जाते, उनके अधिकार ज्यों के त्यों रहते हैं। इस दृष्टि से हम देखते हैं तो बेदखल होनेवालों को और मौका दिया है और दफा ६ में स्पीडी करने के लिये रेमेडी दी जाती है, जो लेकुना था उसको फुलफिल किया जा रहा है।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी अमेंडमेंट बिल पर जो विचार सदन के सामने प्रस्तुत है उसके बारे में जो अमेंडमेंट जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भूमि सुधार का और काश्तकारी कानून बना है उससे काफी प्रगतिशील कदम ऊपर उठाया गया है। माननीय राजस्व मंत्रीजी ने अपनी पुरजोर कोशिश करके और पूरी शक्ति लगाकर इसमें काफी सुधार किया है। मैं आज जो सदन के सामने टिनेन्सी अमेंडमेंट बिल है उसमें जो प्रावधान विशेष तौर पर क्लॉज़ ४ नें किया गया है उसकी भावना से कतई सहमत नहीं हो सकता। आज यह कहा जाता है कि दरअसल में जो लोग फौज में काम करनेवाले हैं उनकी जमीन को सुरक्षित रखना चाहिये। इसमें उपाध्यक्ष महोदय, दो राय नहीं हो सकती कि फौज के सिपाहियों के साथ इन्साफ होना चाहिये। उनको काश्त के लिये जमीन मिलनी चाहिये, उनको वापिस एस्टेब्लिश होने या रीहेबिलिटेट होने के साधन मिलने चाहिये। लेकिन सवाल साथ में उन गरीब किसानों का आपके सामने है जो आज से नहीं बल्कि पीढ़ियों से जमीन को आबाद करते आ रहे हैं, पीढ़ियों से जिनके पास पांच-पांच, सात-सात या दस-दस बीघा जमीन है जिस पर वे अपने बाल-बच्चों को पालते आ रहे हैं। भीलवाड़ा जिले में बहुत सी ऐसी तहसीलें हैं, जहाजपुर, आसिन्द, कोटड़ी आदि, जहां के हजारों आदमी फौज में भर्ती हैं और उनकी जमीन आज से नहीं बल्कि पीढ़ियों से ऐसे किसानों के हाथ में हैं जिनमें से हरिजन हो सकते हैं, दूसरे साधारण श्रेणी के लोग हो सकते हैं, किसी के पास ५ बीघा है तो किसी के पास ७ या १० बीघा है और उस पर वे अपना गुजर कर रहे हैं। हमने टिनेन्सी एक्ट जो सन् ५५ में पास किया है उसमें उनको अधिकार दिया है कि जो इतने अर्से से काश्त करता होगा बतौर काश्तकार उसको खातेदारी अधिकार होगा। क्या आप एक पोज़ीशन पर पहुँचे हैं उससे वापिस जाना चाहते हैं? जो अधिकार मिल चुका है उससे वंचित

(श्री तेजमल आपना)

रखना चाहते हैं ? यह उपयुक्त नहीं हो सकता । यह समझ में आ सकता है कि जो फौज में भर्ती हो चुके हैं दफा ४६ में उनके लिये प्रोविज़न यह रखा है, सभी स्टेजेज़ पर रोक लगाई है वह लागू नहीं होता तो मेरे ख्याल से बहुत उनको इस प्रोविज़न से मिल जाती है तो फिर जो किसान ऐसे फौजी लोगों की जमीन काश्त कर रहे हैं उनको बेदखल करने जा रहे हैं, यह आज प्रगतिशील कदम के विपरीत जा रहे हैं। फौजी लोगों को जमीन दी जाय, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है । आज हजारों बीघा जमीन हमारे पास है। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने और दूसरों ने भी कहा है कि हजारों बीघा जमीन हमारे पास है । राजस्थान केनाल आ रही है वहां पर हजारों बीघा जमीन है ।उसमें से कुछ उनके लिये रख दीजिये । लेकिन इस भावना से मैं सहमत नहीं हो सकता कि जो लोग पीढ़ियों से जिस जमीन पर गुजर कर रहे हैं, जो दूसरी जमीन ऐसे किसानों के लिए नहीं है क्योंकि आज काफी जमीन एलॉट हो चुकी है,उनको बेदखल नहीं किया जाय । जहां आप १० फेमिलीज को बसाना चाहते हैं वहां १०० फेमिलीज को बेदखल करना चाहते हैं, यह ठीक नहीं । इसके अलावा फौज के सिपाही पैसा बचा कर ला सकते हैं एस्टेब्लिश हो सकते हैं. लेकिन गरीब किसान जो पीढ़ियों से बसे हुए है उनके बारे में या तो यह समझा जाय कि वे दूसरों की जमीन पर ही खेती करते रहें और अपने पैरों पर खडे न हों, या तो इस स्थिति को लाना चाहते हैं या उनको बिल्कुल ही जमीन से बेदखल करना चाहते हैं या यह चाहते हैं कि वे टिकें नहीं जमीन पर। फिर से इस स्थिति को आने की स्थिति में वे लोग नहीं रहेंगे क्योंकि राजस्थान केनाल या जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहां जाने की स्थिति में यों लोग नहीं हैं ।

हमारे सामने दो भावनाएं हैं । एक तो हम कृषकों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और दूसरी हमारी भावना यह है कि फौजी लोगों के साथ रियायत होनी चाहिये । तो उनको दफा ४६ में काफी रियायत है । इसलिए जो कदम हम उठाने जा रहे है उससे हम बहुत पीछे जा रहे हैं ।

इसके साथ साथ दूसरा प्रोविज़न इसमें रखा है, उसमें आपत्ति जैसी बात मैं नहीं मानता हूँ । जो समेरी रिलीफ का प्रोविज़न है वह सराहनीय है । दूसरा कदम भी सराहनीय है, लेकिन चौथी क्लॉज आपत्तिजनक है । दूसरी बात, मैं यह ध्यान में लाना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि सिलेक्ट कमेटी ने इस पर विचार किया है लेकिन इतना टाइम का मसला होने पर क्लॉज़ ४ पर कतई विचार नहीं किया गया है ।

(४ म. प.)

खैर, सिलेक्ट कमेटी ने केवल एक सिटिंग की । उस सिटिंग के अन्दर, इतना महत्वपूर्ण यह बिल है, इसको पास कर दिया है । मेरा ख्याल है कि उस सिटिंग में बहुत से मेम्बर्स नहीं होंगे और जो कोरम का प्रावधान है, उसकी पूर्ति करके इसे पास करके प्रस्तुत कर दिया है । इसलिए जो सिलेक्ट कमेटी ने कर दिया है, यह खुदा की लकीर हो गई, इसे मैं सही नहीं मानता और चाहता हूं कि इस पर पुन: विचार करना चाहिये और इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि जो पूरा

Page No.96

(श्री तेजमल बापना)

अधिकार मिल चुका है, एक परिवार को, एक किसान को, एक काश्तकार को, उससे वापिस लेने की स्थिति में हैं या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मेजर श्री फतहसिंह ।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विरोधी दल में बैठने का अवसर मिला है लेकिन सच्चाई और ज्ञान का तकाजा है कि मैं, जिस प्रकार का यह विधेयक सदन के सामने आया है उसका स्वागत करूं। जहां तक इस विधेयक के क्लॉज़ चार का प्रश्न है, मैं इसको राष्ट्रीय महत्व का समझता हूं।

(करतल ध्वनि)

मैं भी भारतीय सेना में एक अधिकारी के पद पर रह चुका हूं इसलिए मैं सैनिक जीवन को अच्छा समझता हूं। इस विधेयक के क्लॉज़ चार के द्वारा राज्य सरकार ने जिस ढंग से सैनिक के हितों की रक्षा करने की चेष्टा की है, वह बधाई के योग्य है। मैं तो यह समझता था कि विधेयक बिना किसी विरोध के, निर्विरोध पास हो जायगा। मुझे खास आपत्ति और दुःख उस वक्त हुआ जब कि मेरे से पहले बोलनेवाले माननीय सदस्य ने इस विधेयक के क्लॉज़ चार का विरोध किया। श्रीमान्, हम लोग सैनिक जीवन को समझने की कोशिश करें। एक सैनिक बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करता है। ठंडे मौसम में वह काश्मीर की पहाड़ियों पर खड़ा होकर भारत की सीमा की रक्षा करता है, बरसात के मौसम में इम्फाल के इलाके में खड़ा होकर, नेफा के इलाके में खड़ा होकर हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहा है। यही नहीं; कड़ी धूप में पाकिस्तान और मारवाड़ की सीमा पर खड़ा हुआ सन्तरी भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, जब कि विरोध करने वाले हम लोग, जिनको सैनिक जीवन का ज्ञान नहीं है, केवल बंगले में बैठे हुए, पंखे के नीचे बैठे हुए, उनके सैनिक जीवन को नहीं समझते हुए, उनके हितों की रक्षा की जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। यह राष्ट्र के लिए, सैनिक के लिए कोई न्यायसंगत बात नहीं है; हम उनका अपमान कर रहे हैं। वह तो देश के लिए त्याग कर रहा है, बलिदान कर रहा है, उसको अच्छी तरह नहीं समझ रहे हैं। यदि ऐसी बात नहीं होती तो किसी ढंग से, किसी तरीके से इस विधेयक के प्रति, विशेषकर क्लॉज चार के प्रति कतई विरोध उत्पन्न नहीं होता, कोई इसका विरोध नहीं करता। श्रीमान्, हमारा यह स्लोगन होना चाहिए कि जो भारतीय सेनाओं में सेवा कर रहे हैं, चाहे आर्मी में सेवा कर रहे हैं, चाहे एअर में सेवा कर रहे हैं, चाहे नेवल फोर्स में सेवा कर रहे हैं, उनको हम कहे "You protect the frontiers of our country and we protect the lands at our home." That should be the slogan. और मुझे खुशी है कि इस बात को मान करके हमारी राज्य सरकार इस विधेयक में इस रूप में, क्लॉज चार को हमारे सामने लाई है। इसलिए अब, श्रीमान् जैसा कि हमारे मित्र, जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने, मेरे दल के सदस्य ने बताया कि किन मुसीबत की परिस्थितियों में से हमारा राष्ट्र इस वक्त गुजर रहा है, हमें इस वक्त हमारे सैनिक के चरित्र को ऊंचा रखना है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें सैनिक के अन्दर अधिक मोरल उत्पन्न करना है लेकिन एक सैनिक

(मेजर श्री फतहसिंह)

को, चाहे वह एअर फोर्स में सर्विस कर रहा हो, चाहे नेवल फोर्स में सर्विस कर रहा हो, चाहे आर्मी में सर्विस कर रहा हो, उसको यह मालूम होगा कि जब मैं वापिस जाऊंगा तो मेरे खेत पर टिनेन्ट या सब टिनेन्ट मुझको मिलेगा, उसको खातेदारी का या और दूसरा अधिकार मिल गया होगा, जिसको मैं इजेक्ट नहीं कर पाऊंगा और अपनी भूमि से वंचित रहूंगा, तो उसका मारल, जहां वह सर्विस कर रहा है, ऊंचा नहीं रहेगा। इसलिए इस दृष्टि से इसमें सैनिक को जिस ढंग से संरक्षण दिया जा रहा है, वह उचित है। अब प्रश्न उठता है, यह संरक्षण किन लोगों को दिया जाय? क्या अब से जो भर्ती होने वाले हैं उनको दिया जाय या जो आज सेवा कर रहे हैं, उनको दिया जाय? मैं तो कहना चाहता हूं कि अब जो भर्ती होनेवाले हैं उनको भी दिया जाय और जो आज सेवा कर रहे हैं उनको भी दिया जाय। यही नहीं; श्रीमान्, माननीय मदनसिंहजी ने जैसा बताया कि आखिरकार जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनका सामाजिक जीवन और देश की रक्षा में कुछ हाथ रहा है। आज समझ लें, राष्ट्र में इमरजेन्सी की स्थिति आ जाती है, राष्ट्र खतरे में पड़ जाता है, किसी विदेशी राष्ट्र से संघर्ष छिड़ जाता है, हम उसके साथ युद्ध छेड़ लेते हैं तो उस वक्त सबसे बड़ी कुर्बानी करेगी, सैनिक, जो आज सेना में सेवा कर रहा है, वह करेगा। उसके बाद जो भूतपूर्व सैनिक है, वह सेकिंड लाइन ऑफ डिफेन्स बनेगा। उनको वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको अनुभव है, उन्होंने सैनिक शिक्षा प्राप्त कर रखी है। इसलिए यह संरक्षण जो आज सर्विस कर रहा है उसको मिले, जो कल भर्ती होने वाला है उसको भी मिले और जो सेवा कर चुका है, जो भूतपूर्व सैनिक है उसको भी यह संरक्षण मिलना चाहिए। इस क्लॉज के लिए मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी को दुबारा धन्यवाद देता हूँ और मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को, इस क्लॉज को, जिस ढंग से यह आया है पारित करें, ताकि हमारे नवयुवक जो सेनाओं में जाना चाहते हैं और राष्ट्र के प्रति अपना कुछ कर्त्तव्य निभाना चाहते हैं उनका उत्साह बढ़े और जो इस वक्त सर्विस कर रहे हैं उनका मोरल ऊंचा रहे; क्योंकि कहीं भी सर्विस करनेवाले का मोरल ऊंचा रखना चाहिए, इसको सबसे प्रथम कर्त्तव्य माना जाय। क्योंकि हमारे माननीय महान् प्रधान मन्त्री नेहरूजी ने अमूमन कहा है कि हमारी सेनाओं में सर्विस करनेवालों का मोरल ऊंचा हो, चरित्र ऊंचा हो। मैं समझता हूं, इस विधेयक को पास करने के बाद, खास तौर से राजस्थान से जानेवाले सैनिकों में उत्साह और बढ़ेगा और दूसरे राज्य हैं वे भी हमारे इस विधेयक का जो क्लॉज चार है उसका अनुकरण करेंगे। जिस तरह डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाईजेशन के मामले में राजस्थान ने पहल की है, हमें खुशी है कि हमारा राजस्थान इस मामले में भी पहल कर रहा है और हिन्दुस्तान के अन्दर हमारा राजस्थान पहला राज्य होगा जो सैनिकों का संरक्षण कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल विचारार्थ है, उस सम्बन्ध में जो अमेंडमेंट है, यह प्रस्ताव है कि पुनः सिलेक्ट कमेटी बनाई जाय, मैं भी

(श्री मोतीलाल)

इस विचार का हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, इस बिल को मैंने पढ़ा है और जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है उससे स्पष्ट है कि सिलेक्ट कमेटी की एक दिन बैठक हुई थी और उसमें क्लॉज दो के ऊपर विचार किया और उसके बाद इसमें एक सब क्लॉज एड किया गया है, जो ओरिजिनल बिल में नहीं था। इसलिए यह बिल ऐसा है, जैसा ओरिजिनल एक्ट होता है, उस रूप में यह आया हुआ है और इसके अन्दर हम यह करने जा रहे हैं कि टिनेन्सी एक्ट में कुछ राइट्स दिये गये थे उन लोगों को, अब प्रगतिशील दृष्टिकोण को सामने रखते हुए हमने जो अधिकार दिये थे उनको छीनने जा रहा हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, सबसे पहले मैं सब क्लॉज दो को लेता हूं। हमने जो पहले अधिकार दिये थे, जिन के लोगों खातेदारी राइट हैं, जो खातेदार हैं, वे खेत में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सेक्शन पांच के अनुसार। इसके अन्दर हम उसको हटाने जा रहे हैं और हटाने क्यों जा रहे हैं, वह बिल के ऑब्जेक्ट में दिया है, जयपुर म्युनिसिपैलिटी की सीमा में रहने वाले लोग हैं उनको नहरी जमीन की जरूरत है, इसलिए जयपुर म्युनिसिपैलिटी से १० मील, दूसरे शहर की म्यूनिसिपैलिटी से ५ मील और बाकी म्युनिसिपैलिटी से २ मील। माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रिन्सिपली इसका विरोध करता हूं। क्योंकि देश के प्रोडक्शन, खास तौर से खाद्य प्रोडक्शन की दृष्टि से देखते हैं तो हम उस स्थिति में से निकल रहे हैं जबकि देश में खाद्याभाव है, हमें खाद्य बाहर से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, वो भी कमती मात्रा में नहीं मेग्ज़िमम मात्रा में इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। इसलिये जितनी ज्यादा से ज्यादा शक्ति खाद्य के प्रोडक्शन में हम लगा सकें उतनी लगानी चाहिये। खाद्य प्रोडक्शन में केवल अन्न ही नहीं बल्कि मक्खन, दूध, फल, फूल, वेजिटेबल सभी हैं। जितने शहर से नजदीक इन लोगों के डेअरी फार्म्स, फार्म्स और मकान, स्टाल्स होंगे उतना ही इनका भाव ऊंचा नहीं बढेगा और लोग खाद्य का प्रोडक्शन बढ़ायेंगे। १० मील के रेडियस में ये कार्य करने पर रोक रखेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा और इनके भाव तेज होंगे। मैं सी स्कीम का उदाहरण आपके सामने रखूं। यहां पहले कुए थे। एक एक कुए पर लोग साल में तीन, तीन फसल ले लेते थे, गेहूं पैदा होता था। सी स्कीम होने के बाद लोगों ने कुए खुदवाये हैं, वेजीटेबल पैदा करते हैं। दस, बारह रुपया एक एक कुए में लोगों ने इन्वेस्ट किया है। किसी ने फ्रूट्स गार्डन लगाये हैं, किसी ने वेजिटेबल का प्रोडक्शन करना शुरू किया है पर वे लोग स्टाल बना नहीं सकते, मकान बनाना चाहते हैं तो बना नहीं सकते। इस क्लॉज को देख कर दुख होता है कि म्युनिसिपल एरिया में रहने वाले लोग १० माइल के रेडियस में पक्का मकान नहीं बना सकते। १० माइल माप कर इसका हिसाब लगायें तो इस एरिया में लोग प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जिससे जयपुर की डिमान्ड पूरी करने के बाद बाहर भी वेजिटेबल आदि भेज सकते हैं। जयपुर शहर के आसपास जितनी वेजिटेबल पैदा होती है वह जयपुर के डिमान्ड को पूरी करके बीकानेर, जोधपुर और दिल्ली भेजी जाती है। अमानीशाह का नला है। उसके आसपास १० फीट नीचे पानी है। उस जमीन में एक साल में तीन तीन, फसल ले सकते हैं। दस मील के रेडियस की जमीन में इतनी

Page No.99

(श्री मोतीलाल)

पैदा हो रही है कि जयपुर की डिमान्ड को पूरा करने के बाद जोधपुर, बीकानेर और दिल्ली तक भेजते हैं। जनसंख्या बढ़ने की समस्या है। उसको खाने के लिये क्या देंगे, यह समस्या है। कोटा का नहरी इलाका है। उसके आस-पास ४, ५ मील के रेडियस का प्रावधान रख देंगे, वहां दो, तीन मील के आसपास के एरिया में पानी नजदीक मिलता है। इस प्रकार की पाबन्दी लगाने से लोग खेतों में प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे। डेरी फार्म के लिये और स्टोर के लिये वहां किसी तरह की जमीन टोटल लैंड की १।१० से ज्यादा काम में नहीं ले सकते। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पानी का सीपेज न हो, इसलिये नाले बनायें, लैंड सोइल कन्जर्वेशन के लिये आसपास रिजर्वायर्स बनायें, ट्यूब वैल लगाते हैं ? आज कल साइन्टिफिक मैथड वर्ल्ड में सबसे ऊंचा है स्प्रे इर्रिगेशन है। स्प्रे इर्रिगेशन के लिए लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है, इसके लिये किसके पास पैसा है कि इतना इन्वेस्टमेंट करे। सीलिंग के बाद २५बीघा जमीन किसी काश्तकार के पास रहती है। उसका इन्वेस्टमेंट करने से रोकने का मतलब क्या होता है ? जयपुर की जनसंख्या बढ़ रही है। विदेशों की, जापान, टोकियो की बात लें। टोकियो संसार का सबसे बड़ा शहर है....

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द) : संसार का सबसे बड़ा शहर है ?

श्री मोतीलाल : मेरा मतलब है वन ऑफ दी बिग सिटीज़ है । उनके रहने के मकान देखें तो वे छोटे छोटे होते हैं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : वे खुद भी इसी साइज़ के हैं।

श्री मोतीलाल : उन्होंने सोचा है कि जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतनी ही देश की स्थिति अच्छी होगी। यहां पर बड़े बड़े लोगों के बहुत बड़े बड़े मकान हैं और कुली लोगों के, लेबरर्स के, गरीबों के बिलकुल छोटे छोटे मकान हैं। बिड़ला फैक्टरी के सामने इनके मकान देखें। पर पैसेवालों के मकान इतने बड़े बड़े और इतनी बड़ी बड़ी जमीनें चाहिये, बड़े बड़े गार्डन हों, चपरासियों और दूसरे नौकरों के लिये रहने को अलग अलग मकान हों, मोटर गेरेज अलग हों। तो यह सब देश के पैसेवालों के लिये कर रहे हैं और किसके ऊपर कर रहे हैं ? गरीब आदमी के ऊपर टैक्स लगा कर, उससे पैसा वसूल करके उसके पैसे के ऊपर कर रहे हैं। ज्यों ज्यों शहर बढ़ता जाय, जमीन एक्वायर करें। १० मील के रेडियस में, चाहे डेअरी फार्म बनाने के लिये इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा, वेजिटेबल पैदा नहीं करेगा तो रिज़ल्ट यह होगा कि उसमें प्रोडक्शन गिरेगा। १० मील के रेडियस को देखा जाय तो आने वाले दस, बीस, ५० वर्षों में शहर इतना बढ़नेवाला नहीं है। तो इस जमीन को इम्प्रूव नहीं करने देंगे तो यह बड़ी भारी गलती होगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि १० मील के रेडियस का न रख कर एक, डेढ़ मील का रेडियस रख लें ताकि शहर भी बढ़े और प्रोडक्शन भी बढ़े।

मैं तो गांधीजी की नीति को मानता हूं। हम शहरों को नहीं बढ़ायें। आज जयपुर की रहनेवाली जनता को ५ प्रतिशत मिला है और जयपुर के बाहर रहने वालों को ४ प्रतिशत मिला है। शहर होते हैं वहां बाहर के लोग आकर

(श्री मोतीलाल)

बसते हैं, क्योंकि यहां एमिनिटीज मिलती हैं, इसलिये बसते हैं।

छोटे छोटे कस्बे हैं जैसे पिलानी है, जहां शिक्षा की दृष्टि से सब तरह की शिक्षा मिल सकती है पर वहां लोग जाकर ज्यादा नहीं बसते। शहरों में लोग ज्यादा जाकर बसते हैं इसलिये कलकत्ता और बोम्बे की प्रोब्लम्स हैं, उनको डील करना मुश्किल हो गया है वहां की म्युनिसिपैलिटी के लिये जयपुर शहर की भी उसी तरह प्रोब्लम है, उसको यहां की म्युनिसिपैलिटी के लिये डील करना मुश्किल हो गया है।

इन्डस्ट्रियल व्यू से भी शहरों को छोटा रखना चाहिये। जयपुर को इन्डस्ट्रियल शहर बनायेंगे तो लेबर आयेगा, यहां की जन-संख्या बढ़ेगी और यहां कई प्रकार की प्रोब्लम्स पैदा हो जायेंगी। इसके बजाय इन्डस्ट्रीज़ यहां खोलना चाहते हैं तो जयपुर शहर के आस पास के गांवों में जैसे कानोता है, फुलेरा है इनमें आप इन्डस्ट्रीज़ स्टार्ट कीजिये। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको जमीन की कोई दिक्कत नहीं आवेगी। इसके अलावा दूसरी बात यह कि आपको शासन व्यवस्था की प्रोब्लम है उसमें भी दिक्कत नहीं आवेगी। इसलिये मेरा यही माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन है कि इन क्लॉजेज़ दो और तीन में जो रखा है उसमें म्युनिसिपैलिटीज से दो मील ही रखें और इसको करके इसको दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे ताकि इस पर सिलेक्ट कमेटी विचार करे कि भाखरा और राजस्थान केनाल आने के बाद किस तरह निर्माण होगा।

इसके बाद मैं उन क्लॉजेज़ पर आता हूं जो काश्तकारों के खातेदारी राइट से संबन्ध रखते हैं। जिनके द्वारा काश्तकारों को राइट्स दिये गये हैं। जिन जमीनों के मालिक मिलिटरी में नौकर हों और उनकी जमीन को कोई काश्त करते हैं उनको बेदखली का प्रश्न है। वे माननीय सदस्य मुझे माफ करेंगे जो पहले मिलिटरी में थे, मगर मैं भी यही विचार रखता हूं कि वास्तव में जो लोग मिलिटरी में काम करने वाले हैं उनको सुविधाएं मिलें, उनको मेग्ज़िमम जितना फायदा दे सकते हैं दें। मगर हम देखते हैं कि उनको बहुत फायदे मिलते हैं। हम उनको पेन्शन देते हैं सिविल सर्विस और मिलिटरी सर्विस में आप सुविधाओं को देखें तो आपको मालूम होगा कि मिलिटरी वालों को बहुत सुविधाएं दी जाती हैं। उनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिये, उनको आगे ज़िन्दगी में लैन्ड एलोट करने के लिये, लोन देने के लिये, बहुत प्रकार की सुविधाएं उनके लिये रखी हुई हैं। टीनेन्सी एक्ट जिस समय बन रहा था उस समय सब-लेट का क्लॉज आया, उसमें माननीय राजस्व मन्त्रीजी और दूसरे माननीय सदस्यों ने उस पर बहस की कि किन किन को एग्जेम्प्शन दें। सिविल और मिलिटरी में फर्क किया। मिलिटरी मैन के लिये उसकी जमीन को सब-लेट करने के लिये मेरे खयाल से सेक्शन ३५ है उसमें हमने ५ वर्ष का अधिकार दिया, लेकिन सेक्शन ४६ में यह है कि तीन साल मिलिटरी में काम करे तब तक कर सकेगा। कोई जागीरदार या जमींदार होल्डर है, उसकी जमीन में खेती कर रहा है, काश्त कर रहा है उसको हक मिलना चाहिये और बहुत विचार करने के बाद यह निर्णय लिया कि कौन खातेदार है, किसको सब-लेट है, इनका अलग अलग निर्णय

(श्री मोतीलाल)

सेक्शन ६० में है। खातेदारी राइट्स किसको मिलेंगे ? खातेदारी हर एक आदमी को मिलेगी जो खेती करता है, चाहे वह मिलिटरी मैन हो या जागीरदार हो। ऐसी स्थिति में हम और क्लॉज भी लाये और ६० में हमने एग्जेम्पशन रखा है कि स्टेट होल्डर किसको कहते हैं " An 'estate-holder' shall mean a jagir land or any interest in jagir land held by a jagirdar and shall include land or interest in land held by a biswedar or a zamindar." तो हम किसको राइट्स दें ? जो लोग जागीरदार थे या सूबेदार थे या मिलटरी में थे उनको दो फायदे मिले। मिलटरी सर्विसेज का और सब लेट का। उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह कानून पास किया गया, ये अक्टूबर ५५ में उनको राइट्स मिल चुके थे। जब उनको राइट्स मिल चुके थे तो उन्होंने मिलटरी मैनों की जमीन पर कूए बनाये और डेवलपमेंट का कार्य किया। अगर अब आप इस प्रकार का कानून पास करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि आप उन लोगों की, जो गरीब हैं और जिन्होंने उस जमीन में डेवलपमेंट के कार्य किये हैं उनकी जायदाद को खत्म करने जा रहे हैं। यह उन गरीब लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार पहले टीनेन्सी एक्ट में है उसी प्रकार रहना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि राजस्थान में २२ रजवाड़े थे और कई जागीरदार थे। मिलटरी में ज्यादातर जागीरदार ही नौकर थे। सौभाग्य से मिलटरी में वही जावेंगे और कॉमन मैन का मिलटरी में आना मुश्किल था और अगर कोई कॉमन मैन गया भी तो उसके पास जमीन नहीं थी। जमीन तो जागीरदारों के पास ही थी।

ठा० श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आज आप कांग्रेस में हैं और जयपुर में हैं और आपके पास जमीन है।

श्री उपाध्यक्ष : But he does not need any personal explanation. We should confine ourselves to the question itself.

ठा० श्री मदनसिंह : आपको यहां जमीन मिली है।

श्री मोतीलाल : दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य मुझे माफ करेंगे। मैं काश्तकार का लड़का हूं और मेरे पास २५ बीघा जमीन है। २५ बीघा जमीन काश्तकार के पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान से आया हूं........

श्री उपाध्यक्ष : No personal explanation.

श्री मोतीलाल : आप मुझे माफ करेंगे। ५० हजार की संपत्ति पाकिस्तान छोड़ कर आया था।

श्री उपाध्यक्ष : There should be no interference.

ठा० श्री मदनसिंह दांता : I am prepared to give him 50 bighas of land from my land but why does he resent the concessions......

श्री मोतीलाल : मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता। मैं इतना वाइड माइन्ड

(श्री मोतीलाल)

रखता हूं, छोटा माइन्ड नहीं रखता । अगर वे देने के लिये तैयार हैं तो मैं लेने के लिये तैयार हूं । लेकर किसी संस्था के नाम दे दूंगा।

ठा० श्री मदनसिंह : मैं देने को तैयार हूं ।

श्री मोतीलाल : सन् '५५ में खातेदारी राइट्स किसानों को दिये गये। जमींदारी और बिस्वेदारी तो अब रही नहीं । जब काश्तकारों को खातेदारी के हकूक दिये गये तो उन्होंने ५५ से लेकर आज ६० तक उस जमीन में काफी इम्प्रूवमेंट किया । उन्होंने उसमें कुए खोदे और दूसरे कई प्रकार के डेवलपमेंट के कार्य किये । इसमें आपको कई ऐसे किसान मिलेंगे जिन्होंने जमीन में काफी इम्प्रूवमेंट का कार्य किया । आप स्टेटिस्टिक्स से इसके फिगर्स लेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी जमीन मिलेगी जिस पर काश्तकारों ने ब्लॉक के जरिये काम किया है, कॉओपरेटिव सोसाइटीज से लोन लेकर काम किया है, कुए खोदे हैं और दूसरे इम्प्रूवमेंट्स किये हैं । जो जमीन बंजर थी उसमें सुधार किया है । अगर उन्होंने ऐसा किया है तो कोई अन्याय नहीं किया क्योंकि कानून में उनको ऐसा करने के पूरे हक दे दिये थे ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें देखेंगे तो ज्यादातर ज़मींदार और जागीरदार होंगे जिन्होंने अपनी जमीन का मुआवजा भी ले लिया है और फिर भी वे जमीन की कीमत उठाना चाहते हैं । मुआवजा वे ले चुके हैं । अगर हम फिर इस प्रकार का प्रावधान करेंगे तो बहुत बड़ा अन्याय करेंगे उन गरीब लोगों के साथ में । जागीरदारों ने उसका फायदा आलरेडी, पहले ही उठा लिया है । और अब जो भी कानून द्वारा गरीबों (किसानों) को फायदा मिला है उसको आप छीन रहे हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करें कि इससे कितने आदमी इफेक्टेड होंगे! उनमें से कितने जागीरदार हैं और उन्होंने जागीरों का मुआवजा ले लिया है ।

अब रहा यह कि इतनी बात होते हुए भी हम उनको फायदा देना चाहते हैं, तो मैं यह कहूंगा कि अगर कोई मिलटरी मैन है और उसके पास जमीन नहीं है तो हमने उसके लिये प्रावधान रखा है कि भाखरा और चम्बल में कहीं जमीन ले सकता है । इतना ही नहीं एक्स मिलटरी मैनों को सुविधा मिलती है और अभी जो एक्स मिलैट्री मैनों की मिल बनी है उसमें उनको सहायता दी गई है । मदद दी जावे मगर ऐसी मदद नहीं कि जिससे गरीबों की रोटी उनके हाथ से निकल जावे । जागीरदार वगैरह थे उनको आपने कम्पेन्सेशन दिलाया और उसको लेने के बाद भी उनको जमीन दिलाई जावे तो मैं यही कहूंगा कि गरीब लोगों के साथ बड़ा अन्याय होगा । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करें। और विचार करने से पहले उसके फेक्ट्स एन्ड फिगर्स मंगायें, सर्वे करके मंगाये कि कितनी जमीन मिलिटरी मैन की है, जिनको खुद काश्त के राइट्स दिये हैं, जमीनों को इम्प्रूव किया है और उसको उसके बाद यह करना चाहते हैं ऐसी स्थिति नहीं है। मिलिटरी मैन भूखा है और भूखे मर जावेंगे । भूखें हैं तो उनको दूसरी जमीन दीजिये । जिनमें राइट्स दे चुके हैं इसमें जिक्र नहीं

Page No.103

(श्री मोतीलाल)

होना चाहिये ; इसलिए इस बिल को, मैं निवेदन करूंगा कि जैसा संशोधन प्रस्ताव आया है, हालांकि मेरा यह पहला ही मौका है कि मैं विरोधी पार्टी के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूँ और इसलिए कि गरीबों की दृष्टि को देखते हुए यह आवश्यक है, इस पर हम गंभीरता से विचार करें। फैक्ट्स एन्ड फिगर्स ले लें और ले आने के बाद यह स्थिति देखते हैं कि ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होगी, कुछ को होगी तो जमीन उनको अलग दीजिये, मिलिटरी मैन होने के नाते कुछ देना है। ऐसी समस्या होगी नहीं।

ठा० श्री मदनसिंह : विशेष जाति के पास ज्यादा जमीन है तो बंट जानी चाहिये या नहीं ?

श्री मोतीलाल : बंट जानी चाहिये। आपके पास है, वह भी बंट जानी चाहिये।

माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि मिलिटरी मैन देश के बोर्डर की सुरक्षा करते हैं, उनको बोर्डर पर जमीन दे दीजिये। दो फायदें होंगे। एक तो फायदा यह होगा कि उनको वहां पर अच्छी जमीन मिलेगी और दूसरा देश की सीमा की सुरक्षा होगी, डिफैन्स होगा। दो फायदे एक साथ हो जावेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पुनः विचार करने के लिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिये और उन परिस्थितियों को देख कर फिर निर्णय लिया जाय। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इसको गंभीरता से विचार करने के लिए, सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए और शान्तिपूर्वक विचार करने के लिए भेज देंगे जहां कि शान्ति से निर्णय लिया जा सके और यह विचार कर लेंगे कि मिलिटरी मैन को बोर्डर एरिया में जमीन देना है या नहीं ;

श्री उपाध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में काफी चर्चा हो चुकी है। मैं निवेदन करूंगा कि करीब करीब अपोज़ीशन वाले माननीय सदस्य, जब कोई इस प्रकार का प्रश्न आता है, डिपार्टमेंट्स की जो दिक्कतें आती हैं, उनके खिलाफ राय देते हैं लेकिन इस मामले में मेरा निवेदन है कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अपने विचार प्रस्तुत किये हैं और अमेंडमेंट पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं तो वापिस ले लूंगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : इसका मतलब यह थोड़े ही है कि सैनिकों की सेवा के लिए जितना उन्होंने कहा है उतना शायद किसी ने कहा हो, लेकिन यही सवाल नहीं है। मैं दोनों सवालों पर लाइट डाल कर, विचार प्रकट कर बैठ जाऊंगा। मेरा निवेदन है कि सेना के वास्ते और सैनिक हैं उनके वास्ते जो माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय ने विचार उपस्थित किये हैं, तो इसके वास्ते यह कतई ख्याल न रहे, बिना काम यह प्रश्न आता है कि जागीरदार, पहले वाले जागीरदार या अब के जागीरदार, या किसी का सवाल हो कि उनके लड़कों के वास्ते जिन्होंने कम्पेन्सेशन ले लिया है, उनका सवाल नहीं है। जो शस्त्र उठाते हैं, जो मातृभूमि की

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

सेवा के लिए अपने प्राणों की बलि देते हैं इसकी अत्यन्त आवश्यकता है कि उनके लिए जमीन रखी जाय और उनकी मदद की जाय। जिस समय वे अपनी बनी हुई कोठियों और कुओं को छोड़ कर सेना में चले जाते हैं और पीछे से किसी काश्तकार को अगर सौंप जाते हैं अपने निर्वाह के वास्ते और यहां के ऑर्डिनेन्सेज़ के हिसाब से वह उसका मालिक बन जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके लिए कोई व्यवस्था न होना अनुचित है। इसमें भी सवाल यह है कि जुदा जुदा कैटैगरीज़ रखी जांय, ऐसी कि पहले जिन्होंने सेवा की है, अब कर रहे हैं, आयन्दा करेंगे, इन सब के वास्ते यह निहायत आवश्यक है कि इसके लिए आयोजन होना चाहिये।

दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि जैसा अभी यह प्रश्न आया था कि १८७ बी के अन्दर शहरों के आस-पास की जमीन है तो मकान बनाने का हक न रहे, उस पर मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने काफी प्रकाश डाल दिया है और मैं उनके एक एक लफ्ज़ को एग्री करता हूं। देखा जाय तो इसके वास्ते अत्यन्त आवश्यकता थी। कुछ अर्से के वास्ते जयपुर रियासत में म्युनिसिपैलिटी का पोर्टफोलियो मिलने से मुझे अनुभव प्राप्त है....

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा अर्सा कहां, 30 years long range.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : ३० इयर्स में हालात बदल जाते हैं। लेकिन उसकी विचार धारायें हैं, एक्सपीरियेंसेज़ हैं वे थोड़े बदलते हैं। मंत्री महोदय को आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इसको देखा जाय कि क्या उस समय एक्जाम्पल दी जाया करती थी कि जयपुर शहर एक तरह से लाल रंग का और अमेरिकन भी जिसे पिन्क सिटी कहा कहते थे जैसी वह एक रिंग, वह एक मूंदड़ी, जिसके अन्दर लाल पन्ना जड़ा हुआ हो और उसी प्रकार जयपुर शहर था। अन्दर लाल रंग का शहर और बाहर का हरा हरा हिस्सा। इसके वास्ते व्यवस्था की गई थी कि इसकी अत्यन्त आवश्यकता थी ....

श्री दलीपसिंह (बारां) : गलियों को छोड़ कर।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आप लोगों ने ही बिगाड़ी हैं। फरिश्ते थोड़े ही आते हैं बिगाड़ने वाले।

मेरा निवेदन है कि ऐसे मामलों में जैसा बाहर का हिस्सा जिनके ऊपर गगन भेदी अट्टालिकायें खड़ी हो ही रही हैं उनमें दस-दस फिट खुद जाय तो उसमें वह की वह मेन्योर है, काली जमीन है जैसी कि मालवा में निकलती है, यहां भी काली जमीन निकलेगी। शहर के पास का हिस्सा है, नालियां जाकर गिरती हैं शहर की, खाद का भी सुभीता रहता है, इस पर कोल्ड वाटर डाला जायेगा तो नुकसान का ही सवाल आ रहा है। शहरों में एस्टेब्लिश्ड प्रोपर्टी है, बाहर के लोग आकर बसते हैं, इधर के लोग बाहर जाते हैं, बाहर से भी आते हैं, उनके वास्ते थोड़ी जमीन हो, जैसा लेथार्गिकल जीवन व्यतीत करते थे उसके बजाय रशिया के अन्दर जिस प्रकार का सिम्बल है, फावड़ा और स्पेड का, उससे काम करते हैं, उसी

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

तरह से बाहर जाकर कुछ क्रियाशील होकर कार्य करें तो अत्यन्त आवश्यकता है उसकी। यह बड़ा अन्याय होगा कि वे लोग खेती करने जावेंगे और उनके मकान के वास्ते व्यवधान होगा। क्या करेंगे फिर वे जाकर; इन्क्लीमेंसीज़ ऑफ वेदर से कैसे बचायेंगे। सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि बाहर जाने से फिज़िक आदि हर बात का सुभीता रहेगा। शहरों में इतनी सी दिक्कत है और मैं समझता हूं कि जमीन लेने का मौका आयगा तो दिक्कत रहेगी। आवश्यकता भी क्या है लेने की। जिस हालत में राजस्थान ही नहीं बल्कि भारतवर्ष और दुनिया भी यह सोचती है कि बड़े और छोटे का कोई भेद नहीं है। बड़े आदमियों का शहरों में रहने का हक है तो गरीबों को भी हक है। उस समय भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे गरीब लोग शहर के आस पास, मजदूरी करने के लिए बाहर से आकर बसते थे। जिन लोगों के लिए बड़ी २ मिलें, महल, आलीशान अट्टालिकायें बनाने के लिए उन गरीब लोगों को आउस्ट किया जाता है, दूर फैंका जाता था। लेकिन आज भी हम देखते हैं गरीबों के लिये तो वही हालत है जो पहले थी आज उनके निवास के लिये व्यवस्था नहीं। बेचारे शहरों में कमाने की गरज से आते हैं, झोपड़ियां बनाकर रहते हैं आज उनका भी गुजर असंभव हो रहा है मैं तो यह निवेदन करूंगा कि इस बात के वास्ते प्रोत्साहन मिलना चाहिये उनके लिये पक्के मकान बनाए उनके लिये इस प्रकार का आयोजन करायें। बड़े बड़े ऑफिसर्स, क्लर्क्स आदि को आप उधार रकम देते हैं थोड़े ब्याज पर देते हैं लेकिन आज भी गरीबों की तो वही हालत है, आज जो वहां पर बसे हुए हैं उनको वहां से उखाड़ा जा रहा है। राजस्थान के राजाओं ने भी बाहर से आये हुए लोगों को बसने का प्रोत्साहन दिया, मदद दी है। अफसरों को आप पचास, पचास हजार रुपया उधार दिलवा देते हैं और जो लोग झोंपड़ी बनाकर रहते हैं उनके लिये आप किसी प्रकार का आयोजन नहीं करते हैं। मैं इस प्रकार से उनकी झोंपड़ियां तुड़वाने के सख्त खिलाफ हूं।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६० पर जो बहस चल रही है उसके सम्बन्ध में जो प्रवर समिति बनी थी उसके १९ सदस्य थे। उन सदस्यों में बहुत धुरन्धर पंडित आज इस सदन में रंगीले भाषण देते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप हमेशा 'रंगीला' शब्द इस्तेमाल करते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल न किया करें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): होली का दिन समझ कर करते हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, श्री मोतीलालजी की और श्री फतेहसिंहजी की बहस सुनने के बाद मैं कहूँगा कि कोटा शिवगंज मंडी के श्री पन्नालाल यादव जो गोआ में शहीद हुए थे वे दो भाई थे, जो मेरी ही जाति के थे, वे दोनों ही एक परिवार के सदस्य थे....

श्री उपाध्यक्ष : वे तो क्षत्रिय थे।

श्री हरिप्रसाद यादव : एक तरफ मेजर साहब जो मिलिटरी में हजार रुपया वेतन लेते हैं उनकी बहस सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा जिनको मिलिटरी से हजार रुपया वेतन मिलता है और जब वे वहां से आ जाते हैं तो उनको वह जमीन जो पिछड़ी जाति के लोगों को मिली हुई, जो शिकमी काश्तकार हैं उनसे छीन कर देते हैं तो मैं इसका विरोधी हूं। एक आदमी जो मिलिटरी में जाता है, सीमा की रक्षा करता है, हजारों रुपया मासिक वेतन मिलता है जिसके पास पांच हजार बीघा जमीन है शिकमी काश्तकार काम करते हैं उनसे छीन कर उनकी जमीन उनको देते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप हमारी सेना के विरोध में बोल रहे हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : (जारी) मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि आप मिलिटरी के लोगों को जमीन देना ही चाहते हैं तो करोड़ों एकड़ बंजर भूमि पड़ी है वह उनको दे दी जाय। शिकमी काश्तकार जिसने अपने परिश्रम से भूमि तैयार की है उनको उस पर हक दिया जाय।

म्युनिसिपल एरिया की बात सही है, १० मील के एरिया के बाद कानून लागू करना चाहिये। आजकल शहरों के आसपास बड़े बड़े फार्म चल गये हैं खेती की अच्छी भूमि है; जैसे एक कहावत है 'सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे' दस मील के एरिया में अच्छे अच्छे फार्म्स हैं, अच्छी खेती-बाड़ी होती है। यदि हमारे किसी भाई को वह मिलती है तो बहुत ठीक है। इसके लिये माननीय मंत्री महोदय को मन्जूरी दी जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो भोपालसागर की बस्ती तक ही रहिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : म्युनिसिपल एरिया के लिये जो बात रखी है उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि दस मील के एरिया में बड़े बड़े फार्म्स आ जाते हैं, कई अफसरों ने भी खेती-बाड़ी का काम शुरू कर दिया है उनके पास से वह भूमि न चली जाय। उनको मद्दे नजर रखते हुए मिलिटरी मैन को जो जमीन मिल रही है उसमें हमें किसी प्रकार का एतराज नहीं है। जो आदमी मिलिटरी में जाते हैं और देश के लिये बलिदान होने जाते हैं उनको भूमि दें मुआवजा दें इसमें कोई शक नहीं है। मेरा यह कहना है कि मिलैट्री मैन जो हमारे देश की रक्षा करता है उसको भी भूमि मिलनी चाहिये लेकिन शिकमी काश्तकार जो अपने परिश्रम से भूमि तैयार करता है वह मिलिटरी मेजर साहब को नहीं मिलनी चाहिये।

जयपुर शहर के दस मील के एरिया के अन्दर और दूसरी जगह पांच मील का एरिया रखा है अगर यह अन्तर निकाल दिया जाय तो यह समस्या हल हो सकती है। क्योंकि यह झगड़ा आप रखेंगे तो बजट अधिवेशन में इस पर फिर झगड़े सामने आयेंगे। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टिनेन्सी विधेयक जो संशोधित रूप में हमारे सामने आया है उस पर प्रवर समिति ने भली-भांति विचार करके ही इस सदन के समक्ष रखा है। उसके लिये जो यह प्रस्ताव लाया गया है कि फिर से इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय,

Page No.107

(श्री रामचन्द्र)

मेरा यह निवेदन है कि क्यों भेजा ? जाय जब एक बार प्रवर समिति द्वारा पारित होकर बिल सदन में आया है उसके बाद फिर प्रवर समिति को सुपुर्द करना उस प्रवर समिति का अपमान है। प्रवर समिति विधान सभाइयों की समिति होती है, उसमें सदन के चुने हुए सदस्य ही लिये जाते हैं जब कि उसने भली भांति इस बिल पर विचार कर लिया है और उसको भली-भांति देख कर के सदन के सामने भेजा है अतः फिर से वापिस प्रवर समिति को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं रहती और यह हमारे लिये शोभा की भी बात नहीं है। और मैं यह कहूंगा कि उस प्रवर समिति के लिये एक मान की बात नहीं, पर अपमान की बात होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल को जहां तक पढ़ा है मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वाकई में यह बिल राजस्थान के और बिलों की अपेक्षा, इसमें न्याय की भावना बहुत ज्यादा प्रकट की गई है। इसमें मुख्य तीन बातों पर विचार किया गया है। पहला यह कि जो हमारे सैनिक भाई अपने जीवन को बलिदान करने और देश की रक्षा करने के लिये बाहर जाते हैं उनकी जमीनों के बारे में क्या विचार किया जाय। अब वह सैनिक किसी भी सेना में रहे उसकी जमीन जो है वह किसी प्रकार के इजेक्टमेंट से फ्री रहे।

दूसरी बात, इस बिल के आने से समाजवादी ढंग से समाज की रचना की भावना पूरी हो जाती है। यहां पर सरकार ने यह निश्चय किया है कि जितने भूमिहीन किसान हैं, उनको हर एक को गुजारे के लायक कम से कम १०-१५ बीघा जमीन अवश्य पहुँच जानी चाहिये। पर जो एक्ट पहले पास हुआ था उसमें कुछ ऐसा लेकुना रह गया था जिसके कारण सरकार का ऐसा विचार होते हुए भी गरीब लोग जमीन नहीं पा सकते थे। इस बिल में इस प्रकार के लेकुना को भी साफ करने की कोशिश की गई है। मैं आशा करता हूँ कि इस बिल के पास हो जाने से हजारों भूमिहीन किसान जो अब तक जमीन से वंचित रह गये थे इस बिल के पास हो जाने पर उनको एक बल मिलेगा और उनको जमीन मिल सकेगी।

तीसरी बात बड़े बड़े शहरों के लिये, जयपुर के लिये दस मील और अन्य बड़े शहरों के लिये पांच मील और जो और छोटे छोटे हैं उनके लिये दो-दो मील की लिमिट रख दी गई है तो इसमें सब प्रकार का विस्तार कर सकेंगे। इस तरह की छूट दी जाने से सारे राजस्थान की शहरी बस्तियों की भी उन्नति होगी। इसलिये मैं तो कहूंगा कि इसको प्रवर समिति बहुत अच्छी तरह से सोच-विचार करके यहां लायी है। अब दुबारा इसको किसी भी प्रकार की प्रवर समिति के सुपुर्द करने की कतई आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑनरेबल मिनिस्टर।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : पांच-दस मिनट में क्या खत्म करूंगा, साहब ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : I am going to withdraw my motion. पांच दस मिनिट में आप खत्म करिये। इसमें दिक्कत हो तो I beg leave of the House to withdraw my motion.

श्री उपाध्यक्ष : That is after the reply and not before.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इसलिये आपकी सहायता कर रहा हूँ कि डिले करने की सूरत नहीं रहे ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) But certain points have been raised during the the discussion on that motion and those points have to be replied.

श्री उपाध्यक्ष : They do need clarification.

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर, जो सिलेक्ट कमेटी से निकल कर आया है, मैं समझ रहा था कि ज्यादा वाद-विवाद नहीं होगा और इसकी अहमियत को देखते हुए मेरा ख्याल था कि माननीय सदस्य इसको कन्ट्रोवर्सियल पॉइन्ट नहीं बनावेंगे ।

इसमें खास कर कन्ट्रोवर्सी खण्ड २,३ और ४ पर है । क्लॉज़ ४ पर जिस प्रकार की बहस हुई और खास तौर से आर्म्ड फोर्स के मसले को लेकर जिस प्रकार की बात कही गई इसे मैं समझता हूं कि कुछ तो प्रोविज़न समझने में और कुछ अन्य बात समझने में कहीं गलतफहमी हुई है, सीरियसली समझा नहीं गया । असल में न यह जागीरदारों का और न एक्स भोमियाज़ का मामला है; यह सिर्फ आर्म्ड पर्सोनल्स का है । इसमें टीनेन्ट जाट, गूजर, जागीरदार, नॉन जागीरदार सब हो सकते हैं ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : बहुत सी बार आपने कहा है, हर बार रिपीट करना कोई पर्पज़ सर्व नहीं करेगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : पर मुझे तो जब बार बार कहा जाता है तो साफ करना भी बार बार जरूरी हो जाता है ।

तो मैं कह रहा था, आप क्लॉज़ ४ को पढ़ेंगे तो उसमें दो टाइप हैं । एक तो वे जिनकी खुदकाश्त है और दूसरे वे जिनके टीनेन्ट हैं यानि जिन्होंने अपनी जमीन सब-टीनेन्ट को दे दी है । अब कहा यह गया कि अपने आदमियों को मुनाफा पहुँचाने के लिए साइड ट्रेक करके यह किया जा रहा है । मैं आपको बहुत नम्रतापूर्वक कहूंगा कि यह आप का गलत इन्टरप्रिटेशन है । असल में जब आप इस पर गौर करेंगे तो इसके लिये हमें पहले टीनेसी एक्ट की बैकग्राउन्ड देखनी पड़ेगी । सैक्शन ४६ में जो ऑलरेडी एग्ज़िस्टिंग होल्डर्स हैं इनमें से उनको एग्ज़ेम्प्ट किया है और जो प्रोविज़न्स रेस्ट्रिक्शन्स आफ सबलैटिंग के नीचे है उसके अन्दर में अनरेस्ट्रिक्टेड पॉवर दिये हैं । वे सब-लैटकर सकते हैं ।

१९५५ में अक्टूबर में टीनेन्सी एक्ट आया । इसके बाद से सबलैटिंग पर रेस्ट्रिक्शन्स हैं; जैसे कि पांच साल से ज्यादा नहीं कर सकता कोई, इसके बाद फर्दर रेस्ट्रिक्शन है कि इसके बाद इन हालतों में तब तक नहीं कर सकता; यह सारा उसमें एक्सप्लेन किया गया है और इसमें भी इनको अपनी जमीन को सबलैटिंग करने का, जमीन को अनलिमिटेड पीरियड के लिए देने का अधिकार दिया है । इस पर यह दिक्कत, यह सवाल पैदा किया गया कि क्या यह सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज़ के आदमियों पर ही लागू होगा ? इसमें जहां

(श्री दामोदरलाल व्यास)

तक १६५५ के अक्टूबर के बाद का सवाल है उनके लिए तो क्लियर प्रोवीज़न है। पर पहले वालों के लिए सवाल पैदा किया गया। इसके लिए हमें यह देखना है कि सेक्शन १८० में इजेक्टमेंन्ट का प्रोवीज़न किया है। अब हमें उस बैक ग्राउन्ड में देखना पड़ेगा। सब सैक्शन १८० में खुदकाश्त टीनेन्ट है तो उससे कुछ जमीन इजेक्ट करा सकते हैं पर्सनल कल्टीवेश पर शर्त यह है कि जो डिटर्मिन की गई लिमिट है उससे ज्यादा हो। पर रिज्यूमेबल एरिया से कम है तो वह इजेक्ट नहीं करा सकता, कोई इजेक्ट नहीं करा सकता। अब देश की सुरक्षा के लिये फौज में भर्त्ती हो जाने के कारण जो खुदकाश्त नहीं कर सकता और दूसरे को सबलैट करना पड़े तो उनको प्रोटेक्शन देना मैं समझता हूं सबका कर्त्तव्य है। तो उनके इन्ट्रेस्ट को हमें देखना पड़ेगा और सभी फौज के आदमियों के लिए देखना पड़ेगा। हमें यह देखना होगा कि जब वे फौज में रहें तब भी उनके आश्रित घरवाले जो पीछे हैं उनको उस जमीन से लाभ मिलता रहे और जब वे फौज से निकल कर आवें तब भी उनको उसका लाभ मिले, यह न हो कि बाद में वे बगैर जमीन के रह जावें।

अब यह कहना कि अच्छी से अच्छी जमीन निकाल कर दे दीजिये, घर से निकाल कर उनको राजस्थान कैनाल में जमीन दे दीजिये ; मैं समझता हूं कि राजस्थान कैनाल की बात कह कर उनकी जमीन पर क्लेम करना इतना आसान नहीं है, जितना माननीय सदस्य समझते हैं।

अब रहा सवाल यह कि इस प्रोवीज़न को रखने से उनका इन्ट्रेस्ट क्या है, कितने पर्सन्स सब टीनेन्ट या खुदकाश्त इससे एफेक्टेड होंगे या इजेक्ट होंगे। यह मसला है जिसके लिए कहा गया कि मुझे जानकारी देनी चाहिये।

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! We now adjour for to-morrow..

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : What about the rest of the business?

श्री उपाध्यक्ष : We have adjourned today.

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं ५ बजे, दिनांक १६ अप्रेल, १६६० के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।]

———

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, १५ अप्रैल, १९६०)

	स्कम्भ	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	८२०३	

तहसील देसूरी द्वारा ग्राम पंचायत बूसी को विकास कार्यार्थ वितरित धन-राशि एवं उसका उपयोग।

गांव डांगरवाड़ा, तहसील जमवा-रामगढ़ के हरिजनों पर सरपंच का अन्य पुरुषों सहित सामूहिक हमला।

मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में सरकारी प्रतिनिधि।

प्राध्यापकों की नियुक्तियों में प्रशिक्षितों को प्राथमिकता।

कोटा डिस्ट्रिक्ट शुगर मर्चेन्ट्स एसोसियेशन को चीनी का कोटा।

सिरोही के कॉलेज के विधार्थियों के लिये छात्रावास-सुविधाएं।

नीम का थाना के रेवेन्यू व जुडिशल अदालतों में श्रीमाधोपुर तहसील क्षेत्र के मुकदमात।

सिरोही के स्वरूपगंज कस्बे में हरिजन कॉलोनी निर्माण योजना।

मदार, जिला सिरोही, के उच्च माध्यमिक विधालय में कॉमर्स विषय

चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर एवं खेरवाड़ा से असिस्टेन्ट कलेक्टर एवं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट का हटाया जाना।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति।

विकास खंड, चिड़ावा द्वारा सरपंच मंड्रेला को दी गई राशि का गबन।

थाना दौसा के अन्तर्गत गांवों में सन् १९५९-६० में हुई चोरियां एवं उनकी बरामदगी।

श्री चांदमल जैन, माइनिंग इन्जीनियर, उदयपुर का स्थानान्तरण एवं विदेश गमन।

पाली जिले के जैतारण एवं पाली छाया विकास खण्डों का विस्तार खंडों में परिवर्त्तन।

पाली जिला परिषद् का गत सेमिनार।

रोहट ग्राम, तहसील पाली में जटिया जाति एवं उसका व्यवसाय।

तृतीय पंचवर्षीय योजना को तैयार करने में सहायता देने हेतु सरकार द्वारा निर्मित वर्किंग ग्रुप।

शिक्षा सुधार सम्बन्धी विषयों पर सलाह देनेवाला सलाहकार बोर्ड।

समुद्रगुप्त के अन्तरंकन की दस सोने की मोहरों की चोरी।

सवाई माधोपुर जिले की पार्टियों को सन् १९५८, ५९ व ६० में निर्धारित कोल, कोक व आइरन स्टील के कोटे का अलॉटमेंट।

जयपुर से गंगापुर वाया दौसा रूट पर चलने वाली बसों की स्थिति।

सवाई माधोपुर जिले के विभिन्न उद्योगों का ऋण-विवरण।

आर. टी. ओ. द्वारा ट्रक नं० २२६ आर. जे. पी. को पांच वर्ष के लिए दिया गया परमिट।

विधायी कार्य

प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया विधेयक ८२६७

श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उप मंत्री, शिक्षा ने राजस्थान लैंड रेवेन्यू एण्ड पब्लिक डिमान्ड्स रिकवरी (संशोधन) विधेयक, १९५९ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी।

समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:-

१. मिनिस्टर इन-चार्ज
२. श्री चन्दनमल वैद
३. श्री मोतीलाल
४. श्री जयसिंह राणावत
५. श्री सुगनचन्द जैन
६. श्री लक्ष्मण होरात
७. श्री रामचन्द्र
८. श्री सूबेदारसिंह
९. श्री गोकुलचन्द जाटव
१०. श्रीमती प्रभा मिश्रा
११. श्री बी. एन. जोशी
१२. श्री दयाकृष्णविजय
१३. श्री रामकरणसिंह
१४. श्री किशनाराम
१५. रावराजा श्री सरदारसिंह
१६. श्री वीराराम

स्कम्भ

१७. श्री मनरूपराम परिहार

१८. श्री नाथीसिंह

विचारार्थ लिये गये विधेयक

राजस्थान सिंचन व जल निकास (संशोधन) विधेयक, १९६०. ८२९९

श्री भीखाभाई, सिंचाई मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, रावराजा श्री सरदारसिंह ने विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किये जाने का संशोधन रखा। बहस के पश्चात् रावराजा श्रीसरदारसिंह का संशोधन, अस्वीकृत हुआ तथा विधेयक को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खंडशः विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में सदन द्वारा पारित भी किया गया।

स्कम्भ

राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९५९ ८३५७

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व-मन्त्री के इस प्रस्ताव पर कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने इस आशय का संशोधन रखा कि विधेयक को एक नई प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

इन प्रस्तावों पर की गई बहस में १० सदस्यों ने भाग लिया।

राजस्व मंत्री उत्तर दे रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ५ बजे, शनिवार, दिनांक १६ अप्रेल, १९६० को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

शनिवार, दिनांक १६ अप्रेल, १९६० की कार्य-सूची

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६० (अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०७३ का उत्तर देखिये)

Loans advanced for development of Industries in Sawai Madhopur District.

S. No.	Name of the Party.	Nature of Ind.	Amount of loan advanced.	Amount of instalments outstanding.	REMARKS
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		1955-56	Rs.	Rs.	
1.	Shri Nauyug press, Gangapur	Printing Press.	2,000	755	
		1956-57			
2.	,, Jeth Mal Neera Lal, Gangapur.	Rice & Oil Mill.	15,000	6,426	
3.	,, Bidi Utpadak Sahkari Samiti Ltd., Karoli.	Bidi Mfg.	1,000	284	

1	2	3	4	5	6
4. Shri	Sawai Madhopur Harijan-Regaran Bahudhandhi Scy. Ltd., Sawai Madhopur.	Leather Tanning.	2,500	714	
		1957-58			
5. ,,	Moti Lal & Damodar Lal S/o Sunder Lal, Balaheri	Brass Utensils Mfg.	4,000		
6. ,,	Nathulal S/o Laxmi-Narain Gupta, Balaheri.	Saw & Polishing.	3,000		
7. ,,	Banshidhar S/o Mannaram, Balaheri.	Brass Utensils Mfg.	1,500		
8. ,,	Nathu Lal S/o Ramchandra Chamar Hindaun.	Leather Ind.	1,500		
9. ,,	Johari Lal S/o Jugraj Chamar, Hindaun.	Shoe Making.	1,200		
10. ,,	Sawai Madhopur Kharadian Utpadak Sah. samiti Ltd., Sawai Madhopur.	Wooden Toys.	900	128	

1	2	3	4	5	6
11.	Shri Pipalkhera Charm Udyog Sahkari Samiti Ltd., Bhanokar.	Leather Ind.	2,000		
12. „	Hindaun Harizan Utpadak Sahkari Samiti, Hindaun.	Bone Ferti-liser Ind.	1,200	171	
		1958-59			
13. „	Hindaun Lohar Sahkari Samiti Ltd., Hindaun.	Mfg. of Agrl. tools.	5,000	714	
14. „	Bhandupura Charm Utpadak Sahkari Samiti Ltd., Bhandupura.	Shoe Making.	5,000		
15. „	Jharada Charm Udyog Sahkari Samiti Ltd., Jharada.	Leather Tanning & Shoe Making.	5,000		
16. „	Balaheri Charmkar Udyog Sah. Smt. Ltd., Balaheri.	Leather Tanning.	1,000		

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6
17. Shri	Chunni Lal S/o Gordhan Regar, Jhalanpur.	Shoe Making, Leather Tanning.	500		
18. ,,	DalChand S/o Isar Regar	Shoe Making.	500		
19. ,,	Nitya Nand S/o Shri Shastri, Hindaun.	Printing Press.	2,000		
20. ,,	Kundera Charm Utpadak Sah. Smt. Ltd., Kundera	Leather Tanning.	2,500		
21. ,,	Rashipur Kastkala Utpadak Sah. Smt. Ltd., Rashipur	Carpentry Workshop.	10,000		
22. ,,	Kastkala Udyog Sahkari Smt. Ltd., Karauli	Wooden Toys Mfg.	5,000	1,428	
		1959-60			
23. ,,	Mathura Regar S/o Kalu Regar, Vl. Karauli	Shoe Mfg.	800		
24. ,,	Bhanwari Lal Regar, Karada.	Shoe Making.	800		

1	2	3	4	5	6
25.	Shri Sukhdeo S/o Dalu Regar, Karada.	Shoe Making	800		
26. „	Heera Lal Chamar, Hindaun.	Shoe Making	600		
27. „	Suresh Deo S/o Pyare Lal, Hindaun.	Printing.	500		
28. „	Charam Utpadak Sah. Smt. Gangapur.	Leather Ind.	2,500		
29. „	Wajirpur Lohar Utpadak Sah. Smt. Ltd., Wajirpur	Mfg. of Agrl. implements.	1,500		
30. „	Doura Kala Charm Utpadak Sah. Smt. Ltd., S. Madhopur	Leather Ind.	1,700		
31. „	Vishambar Dayal, Mahuwa.	Carpentry Workshop.	800		
32. „	Kastkala Udyog Sahkari Smt. Ltd., Karauli.	Mfg. of Agrl. implements.	10,000		

1	2	3	4	5	6
33.	Shri Palanpur Charm Udyog Sah. Smt. Ltd., Palanpur.	Leather Ind.	10,000		
34. „	Sherpur Gramodyog Sah. Smt. Ltd., Sherpur Teh. Hindaun.	Black smithy.	5,000		
35. „	Gaja Nand Doril (M/s Hindaun Int Chuna Udyog Hindaun.	Bricks Mfg.	8,500		
36. „	Jagdish Prashad Jain, S/o Duli Lal Jain, VI. Khirni Teh. Bonli	Wooden Furniture Making.	2,500		

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०४४ का उत्तर देखिये)

KHERO S/O DHONKAL. AGE: 30 YRS. HARIJAN OF DONGARWARA

(1) Bruise : 1½" x ¾" on the middle part of the left side of spine-Simple, Blunt Weapon. A tatoo mark on the middle of right forearm.

(2) Bruise ¾" x ½" on the lower part of the back near spine-Simple.

(3) Bruise ½" x ½" on the middle of the back part of leg-Simple.

(4) Fracture-Simple. Lower one third of the right under,Grievous.

(5) Bruise. ½" x ½" on the back part of right Scapula-Simple.

(6) Bruise ½" x ½" on the lower part of testicle-Simple.

Duration about 14 hours. Examined at 10 P. M. Referred to Radiologist, S. M. S. Hospital, Jaipur for X-Ray fore arm.

Sd/- I. D. Mathur, 31. 12 59.

2. Shri Sua S/o Mahadeo, 20 yrs. Harijan of Doongarwara Form No.1

(1) Bruise 2" x ¼" on the back part of left shoulder, simple, Blunt Object. A tatoo mark on the middle part of Fore arm. Duration about 24 hours.

Sd/- I. D. Mathur, 1. 1. 60

3. Report No. 2. Bhudio S/o Dhonka, 28 yrs. Harijan-wound (lacerated) ¼" x ¼" on the middle part of forehead-Simple blunt weapon. A scar 1" x 1" on the lower part of right leg. Duration about 24 hours.

Sd/- I. D. Mathur, 1. 1. 60.

4. Report No. 3. Chothu S/o Mahadeo.

(1) Bruise 1" x 1" on the upper part of. the left shoulder. Simple injuries Blunt weapon. A tatoo mark on the right fore-arm.

(2) Bruise 1" x ½" on the outer side of left elbow.

(3) Bruise 1" x 1" on the back part of the left leg. Duration about 24 hours.

S/d- I. D. Mathur, 1. 1. 60.

5. Report No. 4 Sonia S/o Dhokara (1) Bruise ½" x ½" on the left side of the scalp in the middle-Simple injuries. Blunt weapon. A tatoo mark on the right forearm. (2) Bruise ½" x½" pm the other side of the right lip. Duration about 24 hours.

S/d- I. D. Mathur, 1. 1. 60.

6. Report No. 5. Chagu S/o Bhoria, Harijan of Dhula. Bruise 1" x 1" on the outer side of the middle part of left arm. Simple blunt weapon. A tatoo mark on right forearm. Duration about 24 hours.

Sd/- I. D. Mathur, 1. 1. 60.

7. Report No. 7. Mangli W/o Sharwania, 16 yrs. Bruise. 1" x 1" on the outer side of left elbow, simple, blunt weapon: A tatoo mark on the right forearm. Duration about 24 hours.

Sd/- I. D. Mathur, 1. 1. 60.

8. Report No. 6. Sansi W/o Dhonkla. Age : 60 years. Bruise. 1" x 1" on the bridge of the nose in the middle. Simple, blunt weapon; A tatoo mark on the left wrist. Duration 24 hours.

Sd/- I. D. Mathur.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०५२ का उत्तर देखिये)

सूची 'क'

न्यायालय सिविल जजी, नीम का थाना में दायर किये गये मुकदमात का विवरण (१९५४ से २९. २. ६० तक का)

क्रम संख्या	किस्म मुकदमात	तादाद मुकदमात जो दायर किये गये						
		सन् १९५४	१९५५	१९५६	१९५७	१९५८	१९५९	१९६०, फरवरी
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१.	सिविल ओरिजिनल दावे	४९४	६१९	६२५	६२९	६७४	५६८	७२
२.	स्मॉल कॉज कोर्ट के मुकदमात	५६९	५२६	४५६	३७४	३८९	२९५	४०
३.	सिविल मुतफर्रिक मामले	१३३	१०७	११६	१०८	१४६	११२	२५
४.	सिविल इजराय के मामले	१,६०८	१,६४०	१,२९६	१,४१८	१,४०१	१,३१५	२३१

परिशिष्ट

नकशा मुकदमात जो अदालत हाजा (रेवेन्यू व जुडिशियल) नीम का थाना में सन् १९५४ से फरवरी, १९६० तक रजु हुये

नाम न्यायालय		मुकदमात जो रजु हुये							योग
		१९५४	१९५५	१९५६	१९५७	१९५८	१९५९	१९६०	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१.	एस. डी. ओ.	२६६	५१४	६६१	३८९	३२९	४११	५९	२,६५९
२.	सहायक कलेक्टर	२१	२५	३०	२१	१६	९७	४	२१४
३.	तहसीलदार	४७६	६६६	४३७	९०६	९०१	८६२	१५९	४,४४०
४.	एस. डी. एम.	४६५	३६६	२२४	२६२	४१३	५२०	६१	२,३४१
५.	प्रथम श्रेणी दण्ड नायक	३५८	२५९	४२९	४४५	३२२	४२७	२७	२,२४७
६.	तृतीय श्रेणी दण्ड नायक	१३	१०	९	१	२७	२२	७	८६

सूची 'ख'

विवरण तालिका मुकदमात जो तहसील श्रीमाधोपुर क्षेत्र में सन् १९५४ से फरवरी, सन् १९६० तक दायर हुये और तय हुये

क्रम संख्या	सन्	संख्या मुकदमात जो दायर हुये	संख्या मुकदमात जो फैसल हुये	संख्या मुकदमात जो बाकी हैं	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
		मुकदमात मुतफर्रिक स्मॉल कॉज कोर्ट			
१.	१९५४	२०	२०	०	
२.	१९५५	१७	१७	०	
३.	१९५६	१०	१०	०	
४.	१९५७	६	६	०	
५.	१९५८	१५	१५	०	
६.	१९५९	१२	१०	२	
७.	१९६०	१	०	१	
		सिविल ओरीजनल इजराय की दरख्वास्तें			
१.	१९५४	१,२३५	१,२३५	०	
२.	१९५५	१,१५२	१,१५१	१	
३.	१९५६	९७५	९७५	०	
४.	१९५७	९९५	९९२	३	
५.	१९५८	९७८	९४८	३०	
६.	१९५९	९१२	७३०	१८२	
७.	१९६०	१२५	११	११४	
		स्मॉल कॉज कोर्ट इजराय की दरख्वास्तें			
१.	१९५४	२२८	२२८	०	

१	२	३	४	५	६
२.	१६५५	३१४	३१४	०	
३.	१६५६	२६१	२६१	०	
४.	१६५७	३२७	३२७	०	
५.	१६५८	२८७	२८५	२	
६.	१६५६	३०२	२६७	३५	
७.	१६६०	३३	३	३०	

ओरीजनल सिविल मुकदमात

१.	१६५४	२६७	२६७	०	
२.	१६५५	३२२	३२०	२	
३.	१६५६	४११	४०६	२	
४.	१६५७	४०७	४०४	३	
५.	१६५८	३८८	३७८	१०	
६.	१६५६	३३०	३१०	२०	
७.	१६६०	५०	३	४७	

स्मॉल कॉज कोर्ट के मुकद्मात

१.	१६५४	४०७	४०७	०	
२.	१६५५	३६८	३६८	०	
३.	१६५६	३१०	३१०	०	
४.	१६५७	३०३	३०३	०	
५.	१६५८	२५८	२५८	०	
६.	१६५६	१७५	१७०	५	
७.	१६६०	२०	४	१६	

मुतफर्रिक सिविल मुकदमात

१	२	३	४	५	६
१.	१९५४	५०	५०	०	
२.	१९५५	४५	४५	०	
३.	१९५६	७७	७७	०	
४.	१९५७	६०	६०	०	
५.	१९५८	१२२	१२०	२	
६.	१९५९	९५	७५	२०	
७.	१९६०	७	०	७	

परिशिष्ट

नकशा मुकदमात जो अदालत हाजा (रेवेन्यू व जुडिशियल) नीम का थाना में सन् १९५४ से फरवरी ६० तक रजु हुये

नाम न्यायालय	संख्या मुकदमात जौ रजु हुये (श्री माधोपुर तहसील के मुकदमात)							योग
	५४	५५	५६	५७	५८	५९	६०	
१. एस. डी. ओ.	१२७	२११	३६६	१७८	१८३	२८६	३२	
२. सहायक कलेक्टर	१४	१६	२३	१६	१३	७६	४	
३. तहसीलदार	२८१	....	....	....	....	....	....	
४. एस. डी. एम.	३५०	२१२	१७६	२३३	२८४	३३७	२१	
५. प्रथम श्रेणी दण्ड नायक	२७१	१८३	३२५	२६२	२४१	२२३	१६	
६. तृतीय श्रेणी दण्ड नायक	३	१	१	....	२०	५	१	

परिशिष्ट

नकशा मुकदमात जो अदालत हाजा (रेवेन्यू व जुडिशियल) नीम का थाना में सन् १९५४ से फरवरी, ६० तक रजु हुये संख्या मुकदमात जो रजु हुये। बाकी दो अ के मुकदमात

क्रम संख्या	नाम न्यायालय	सन् १९५४	१९५५	१९५६	१९५७	१९५८	१९५९	१९६०	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१.	एस. डी. ओ	१३९	३०३	६२५	२११	१४६	१२२	२७	१,५७३
२.	सहायक कलेक्टर	७	९	७	२	३	१८	०	४६
३.	तहसीलदार	१९५	६९९	४३७	९०६	९०१	८६२	१५९	४,१५९
४.	एस. डी. एम.	११५	१५४	४५	५९	१२९	१८३	४०	७२५
५.	प्रथम श्रेणी दण्ड नायक	८७	७६	१०४	८३	८१	१०४	८	५४३
६.	तृतीय श्रेणी दण्ड नायक	१०	९	८	१	७	१७	६	५८

परिशिष्ट

न्यायालय सिविल जजी, नीम का थाना में दायर किये गये मुकदमात का विवरण (१९५४ से २९. २. ६० तक का)

तहसील श्रीमाधोपुर को छोड़ कर बाकी मुकदमात

क्रम संख्या	किस्म मुकदमात	तादाद मुकदमात जो दायर किये गये सन् १९५४	१९५५	१९५६	१९५७	१९५८	१९५९	१९६०, फरवरी तक
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१.	सिविल ओरजिनल दावे	२२९	२९७	२१४	२२२	२८६	३३८	२२
२.	स्मॉल कॉज़ कोर्ट के मुकदमात	१६२	१२८	१४६	७१	१३१	१२०	२०
३.	सिविल मुकदमात मामले	८३	६२	३९	४८	२४	१७	१८
४.	सिविल इजराय के मामले	३७३	४८८	४२१	४२३	४२३	४०३	१०६

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०६२ का उत्तर देखिये)

जिला परिषद् पाली द्वारा आयोजित सेमिनार में पास किये गये प्रस्तावों की सूची

(१) पंचायतों की आय के साधनों की वृद्धि कर आर्थिक उन्नति करना आवश्यक है। इसलिये यह संकल्प किया जाता है कि प्रत्येक पंचायत अपने क्षेत्र में कुछ अधिकृत कर लगाये, जिनकी आय पंचायत को कम से कम दो हजार रुपया सालाना अवश्य हो।

(२) ग्राम विकास योजनाओं में जन-शक्ति का पूरा योग लेने के लिये प्रत्येक पंचायत अपनी ग्राम विकास योजना समय समय पर ग्राम सभा में स्वीकार करा कर उसको कार्यान्वित करने के लिए एक माह में एक दिन सारे गांव का सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम रखें और व्यक्तिगत योग के लिये युवक मंडल, विकास मंडल महिला, मंडल स्थापित कर उनके समय समय पर लक्ष्य निर्धारित कर कार्य-सफलता का मूल्यांकन करें। इसके लिये कुछ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाय।

(३) (अ) यह संकल्प किया जाता है कि ग्राम पंचायतें अपने ग्राम में सौ गावों के पीछे एक शुद्ध नस्ल का सांड अवश्य रखे और एक गांव अधिक मवेशियोंवाला चुन कर उसमें रद्दी बैल बधिया करवा कर वहां उचित मात्रा में अच्छे सांड दे दें।

(ब) प्रत्येक पंचायत समिति अच्छी नस्ल का एक सांड व घोड़ा अवश्य रखे और कम से कम २० पशु सुधार फार्म अपने क्षेत्र में कायम करें।

(स) जिला स्तर पर एक गौ-सदन और कांकरेज नस्ल के सांड़ों का पशुपालन फार्म कायम किया जाये।

(४) (अ) यह संकल्प किया गया कि प्रत्येक पंचायत समिति अपने क्षेत्र के सब लघु-सिंचाई के ऐसे कार्य जिनका सर्वे नहीं हुआ है, शीघ्र सर्वे करवा लेवे।

(ब) जितने किये हुए लघु सिंचाई के २५,००० से नीचे के आनुमानिक लागत के कार्य हैं उनको (कार्य) संबंधित पंचायत अविलम्ब शुरू करवा देवें।

(स) २५,००० से अधिक आनुमानिक लागत के कार्य जिनका सर्वे हो चुका है उनको पंचायत समिति स्वीकार कर जिला विकास अधिकारी के पास शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए भेज देवे।

(५) (अ) पंचवर्षीय योजना में उत्पादन कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया गया है और इस जिले में औद्योगीकरण से उत्पादन बढ़ाने की बड़ी भारी क्षमता है। इसलिये यह संकल्प किया जाता है कि औद्योगीकरण की ओर इस जिले में विशेष रूप से कदम उठाना चाहिए।

(ब) औद्योगीकरण की प्रथम आवश्यकता बिजली है। इसलिये जिले में अधिक से अधिक बिजली उपलब्ध करना परम आवश्यक है! इसलिये राज्य सरकार से यह निवेदन किया जाय कि चम्बल विद्युत योजना द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति पाली जिले में पहुंचाई जावे और चम्बल विद्युत पहुँचने के समय तक अधिक से अधिक संख्या में छोटी ग्रिड (बेबी ग्रिड) स्टेशन और छोटे (मर्करी) विद्युत उत्पादन स्टेशन हर सम्भव तरीके से पूर्ण प्रयत्न कर स्थपित किये जायं।

(स) लघु उद्योग को सुविधा व प्रोत्साहन देने के लिये प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में कम से कम एक औद्योगिक इस्टेट सहकारिता के आधार पर कायम किया जाय।

(द) जिला परिषद्, पाली इस जिले के औद्योगीकरण की विस्तृत योजना बनाने के लिए एक उप-समिति का गठन करे, जो गोष्ठि ग्रूपों की रिपोर्ट पर विचार कर अपनी योजना तैयार कर पंचायत समिति को राय के लिए भेजे और वहां से आने वाली राय के साथ योजनाओं पर जिला परिषद् विचार कर स्वीकार करें।

(ड) सरकार द्वारा दिये जाने वाले औद्योगिक ऋण २,००० रुपये तक की धन-राशि के पंचायत समितियों की स्वीकृति किये जाने के अधिकार दिये जाने चाहिए और उद्योग के लिये मिलनेवाले लोहे आदि का कोटा व वितरण का अधिकार भी पंचायत समिति स्तर पर दिया जाय।

(ढ) प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर कुटीर उद्योगों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था करे।

(च) गांवों में घरेलू उद्योग जैसे तैल-घाणी, आटा-चक्की, अम्बर चर्खा, चमड़ा उद्योग आदि के विकास के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व अन्य संस्थाओं से जो सहायता मिलती है उसकी जानकारी करा कर उनकी सहायता से कुटीर उद्योगों के विस्तार का प्रयत्न प्रत्येक गांव में किया जावे और इसके लिये समय समय पर लक्ष्य निर्धारित कर दिये जावे।

(छ) पंचायत समिति स्तर पर एक क्रय-विक्रय केन्द्र की स्थापना की जाय व साप्ताहिक हाट की व्यवस्था की जाय।

(ज) तैल घाणी के तेल पर सैल्स टैक्स जो रखा है वह हटाया जावे।

(६) संकल्प किया गया कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में आबादी के एक गांव में एक ग्राम

सेवा सहकारी समिति बनाई जावे और ग्राम के कृषि परिवारों के ३५ प्रतिशत परिवार इसके सदस्य अवश्य हों और कम से कम हिस्सा पूंजी १,००० रुपये अवश्य हों। इसकी सदस्यता प्रत्येक व्यक्ति को खुली हो और कृषि संबंधी सेवायें इस समिति द्वारा उपलब्ध हों। स्थापना से एक साल के अन्दर सदस्यता बढ़ा कर ४० प्रतिशत की जाय। इनमें एक आदर्श सहकारी समिति ग्राम सेवा मण्डल में हो जिसकी सदस्यता ७५ प्रतिशत व हिस्सा पूंजी ६,००० रु० हों।

केन्द्रीय सहकारी बैंक से लिये गये ऋण की वसूली सहकारी समितियों से शत प्रतिशत करने में पंचायत समितियां पूरा योग दें।

(६) शिक्षा :– यह संकल्प करते हैं कि मार्च, सन् १९६१ तक हर पंचायत क्षेत्र में प्रत्येक पढ़ने योग्य बालक मौजूदा स्कूलों में जाने लग जायें और लड़कियों की भी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जावे।

प्रौढ़ शिक्षा :– यह संकल्प करते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा के लिये नागौर सम्मेलन ग्रुप नं० ३ के प्रस्ताव पाली जिले की समस्त पंचायत समितियों में पूर्ण रुपेण कार्यान्वित किये जावें।

(८) हर पंचायत क्षेत्र में एक सूचना केन्द्र की स्थापना एक साल की अवधि में की जाय।

(९) संकल्प है कि प्रीवेन्सन ऑफ फुड अडलट्रेशन एक्ट एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत लाईसेन्स देने के अधिकार नगरपालिकाओं की तरह पंचायत समिति क्षेत्र के लिए पंचायत समितियों को सुपुर्द कर दिये जाने चाहिए।

(१०) संकल्प है कि ग्राम को स्वावलम्बी बनाने के लिये यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायत ग्राम आयोजन करें। अतः ग्राम पंचायत प्रत्येक जांच का सर्वे करके परिवार एवं ग्राम के लिये योजना बनाकर उसे क्रमानुसार क्रियान्वित करें। इसके लिये ग्राम शिक्षक, विकास मण्डल, युवक मण्डल, महिला मण्डल एवं अन्य ग्राम शक्ति का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाये।

(११) संकल्प है कि ग्राम पंचायत एक्ट एवं भूमि वितरण नियमों के अनुसार ग्राम पंचायतों को २००) रु० तक की भूमि विक्रय करने के और विकास अधिकारी को २००) रु० से ५००) रु० तक की भूमि विक्रय करने के अधिकार दिये जावें। ऐसी स्वीकृतियों की अपील पंचायत समिति में होनी चाहिए। ५००) रु० से ऊपर की स्वीकृति देने के अधिकार जिला विकास अधिकारी को हों।

(१२) भू-लेखन एवं भू-राजस्व सम्बन्धी समस्त कार्य पंचायत समितियों को

हस्तान्तरित किये जाने के लिये राज्य सरकार से निवेदन किया जाय क्योंकि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के इस युग में पटवारियों का यही रवैया है और वही नीति विकास कार्यों में सक्रिय रूप से बाधक है। जब तक ऐसा हस्तांन्तरण न हो तब तक के लिए प्रशासनिक आज्ञाओं द्वारा जितना भी समन्वय तहसीलदारों, पटवारियों और पंचायत समितियों के बीच सम्भव हो उतना समन्वय लाया जाय।

(१३) पंचायतों द्वारा पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जो कर लगाये जायें उनकी स्वीकृति देने का अधिकार सरकार के बजाय जिला कलेक्टरों को प्रदान किये जावें जिससे कि कर शीघ्र स्वीकृत होकर पंचायतों की आय बढ़ा सकें।

(१४) जन–स्वास्थ्य :– प्रत्येक गांव में आगामी वर्ष के अन्दर स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद पीने के जल का उपयुक्त प्रबन्ध हो जाना चाहिए। इस विषय में पंचायत समितियों में अपने अपने क्षेत्र में एक सम्पूर्ण योजना बना लेवें व उसे प्राथमिकता देकर क्रियान्वित करें। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए जो विशेष रकम की आवश्यकता हो उसकी मांग पंचायत समितियों, जिला परिषदों के मार्फत शीघ्र भेजें जिससे राज्य सरकार से मांग की जा सके–अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड से बोरिंग पर रु० ३०)रु. (तीस रुपये) प्रत्येक फुट पर जो लगते हैं उसे कम किया जावे। क्योंकि यह खर्चा अति अधिक है और जनता की इतना रुपया देने की क्षमता नहीं है।

(ब) प्रत्येक पंचायत अनिवार्य रूप से अपने समस्त क्षेत्र में खाद के खड्डे व खोस्ते शीघ्रातिशीघ्र बनवा लें और यह योजना क्षेत्र के एक ग्राम के पश्चात् दूसरे ग्राम में क्रियान्वित करें ताकि प्रत्येक माह में एक एक ग्राम निपट सकें। तथा इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा जावे कि ग्राम में प्रवेश करते ही जो उखड़ियां मिलती हैं उन्हें फौरन हटा दिया जावे।

(१५) वन :— प्रत्येक पंचायत समिति अपने अपने क्षेत्र में कम से कम दो गांवाई जंगल उपयुक्त स्थान पर आगामी वर्षा ऋतु में अवश्य लगा कर यह योजना कार्यान्वित कर दे।

(१६) विकास कार्यों के प्रसार में व अनुदान और सहायता आदि देते समय पंचायत समितियां वास्तविक पिछड़े हुए वर्ग व निम्न स्तर के लोगों का पूर्णरूपेण विशेष ध्यान रखें जिससे कि समाज में फैली यह गलतफहमी दूर हो सके कि योजना कार्यों केवल उच्चस्तर के लोगों को ही फायदा होता है।

(१७) पंचायत समितियों भौतिक विकास के साथ साथ लोगों के नैतिक व आध्यात्मिक विकास की ओर भी पूर्ण रूपेण ध्यान दें। इस बारे में सूचना केन्द्रों में पुस्तकालय, वाचनालय आदि में अच्छी पुस्तकों, भाषण, भजन–मण्डलियों का आयोजन समय समय पर किया जाय।

(१८) राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद् अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों में कार्य–संचालन व अन्य कठिनाइयां दूर करने के लिए जो रिपोर्ट गोष्ठी ग्रुपों की है उनमें दिये गये सुझावों को संकलित करके राज्य सरकार को उचित कार्यवाही के हेतु जिला परिषद् भेज देवें ।

(१६) लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के पश्चात् कार्य में स्फूर्ति आई है या नहीं; इसका निर्णय करने के लिए अभी उपयुक्त समय नहीं आया है। क्योंकि बहुत थोड़ा समय हुआ है, मन में अवश्य स्फूर्ति आई है और पूर्ण आशा है कि मन की स्फूर्ति कार्य में भी स्फूर्ति लायेगी ।

———

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १०६७ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN.
ELECTION 'B' DEPARTMENT.

No. F. 16 (31) Edu/B/54.Vol. III. Dated 3-12-56.

ORDER.

In supersession of the Government order No. F. 16 (3) Edu 11/54 Dated 29-7-54, the Government has been pleased to establish a Board styled as ' The Rajasthan Educational Advisory Board, consisting of the following personnel :-

Personnel.

1. Chief Minister, Rajasthan, Chairman (on occasions, when he is unable to preside over the meetings of the Board, he will appoint an acting Chairman).

2.	Education Minister, (Basic Education)	Member.
3.	Vice-Chancellor, University of Rajasthan.	"
4.	Addl. Chief Secretary and Planning Commissioner.	"
5.	Director of Education, Rajasthan.	"
6.	Director of Technical Education, Rajasthan.	"
7.	Principal, S. M. S. Medical College, Jaipur.	"
8.	Principal, Maharaja's College, Jaipur.	"
9.	Principal, Maharani's College, Jaipur.	"
10.	Shri Tejkaran Dandia, Head Master, Boy's Higher Secondary School, Jaipur.	"
11.	Shri Bhairon Dan Khatri, Headmaster Higher Secondary School, Rajgarh (Churu).	"
12.	Mrs. O. Joshi, Head mistress, Higher Secondary School for Girls', Jaipur .	"
13.	Director, Bal Niketan, Jodhpur.	"

14. Shri K. L. Bordia, Director of Rural Institute, Vidya Bhawan, Udaipur. Member
15. Mrs. Ratan Shastri, Banasthali Vidyapeeth. ,,
16. Shri S. D. Pande, Director, Birla Education Trust, Pilani. ,,
17. Shri Gauri Shankar Acharya, President, Rural University, Sardarshahar. ,,
18. Shri Janardan Rainagar, Rajasthan Vishwa Vidya Peeth, Udaipur. ,,
19. Mr. Gibson, Principal, Mayo College, Ajmer. ,,
20. Miss L. G. Lutter, Principal, M. G. D. Girls' Public School, Jaipur. ,,
21. Shri S. S. Saxena, Principal, M. B. College, Udaipur. ,,
22. Shri Madan Mohan Verma, Member, R. P. S. C. ,,
23. Shri Mathura Das Mathur, M. L. A. ,,
24. Shri Hari Bhau Upadhyaya, M. L. A. ,,
25. Education Secretary. Member Secretary

The tenure of office of the Non-Official members will be three years subject to the condition that the members at Nos. 23 and 24 shall cease to be members of this Board as soon as they cease to be the members of the Rajasthan Legislative Assembly. The Official members of the Board will similarly cease to be the members of the Board as soon as they vacate the office by virtue of which they are Ex-Officio members.

All casual vacancies among the members, (other than Ex-Officio members) shall be filled by the authority which nominated them and the persons appointed to a casual vacancy shall be a members of the Board for the residue of the term for which the person whose place he fills, would have been a member.

The functions of the Board will be as under :—

1. To advise the Government on any Education Question which may be referred to it;

2. To call for information and advice regarding educational developments of special interest or value to the State.

3. To examine this information and circulate it with recommendation to Government.

The functions of the Board have been put in a broad manner with a view that it may have plenty of scope of its work and may not be crippled by over definition. It is, however, made clear that the recommendations of the Board will be entirely advisory.

It is essential to the effective working of the Board that its agenda should not be congested by excessive details and that its memebers should have ample opportunity of considering the broad outline of the advice which will be tendered by them. It is, therefore, imperative that the ground work of that advice should be carefully prepared. For this purpose the Board will be at a liberty to form standing and ad-hoc Committees and will have power of appointing to those committees persons who are not members of the Board but who possess special knowledge and experience of the problems which the committees will examine. But in order to preserve an intimate connection between the Board and its committees at least two members of the Board shall be members of each committee. Each committee shall ordinarily consist of not more than four or five members.

It shall be the function of the Secretary to Government, Education Department to prepare the agenda and the explanatory Memoranda of the Board.

The precise functions and rules of business of the Board may be framed by the Board itself.

By order.
Sd/- S. P. Singh Bhandari,
Secretary to Government.

The Advisory Board held three meetings so far as under:-

12th. to 14th. Oct., 57.

16th. to 17th. Dec., 58.

7th. & 8th. Sept., 59.

The position in regard to the recommendations of the Board and the action taken by the Government thereon is as detailed below :—

RECOMMENDATIONS.	IMPLEMENTATIONS.
1. Curtailment of holidays.	1. Accepted by Government. and orders issued.
2. Improvement and advancement of education in all the three field-Primary, Secondary and University.-	
PRIMARY:-The scheme of free compulsory education for age group of 6-11 should be introduced by stages starting from 61-62.	The recommendation has been approved and one thousand school mothers have been appointed by the Directorate for expansion of Girls' Education. A special enrolment drived was organised in 58-59 resulting in the admission of 60,000 boys and 4,000 girls from rural areas.
(ii) Administrative machinary should be De-Centralised.	According to the schemes of Democratic Decentralisation schools (Primary) have been transferred to the control of Panchayat Samities.
(iii) Adult Education should go side by side with general education.	During 58-59 five adult schools to provide condensed & special courses concerning general education were sanctioned by the Government.

(iv) Special efforts should be made to attract girl students in schools.	This is an All India Scheme and 1,000 school mothers have been appointed to attract girl students.

SECONDARY.

(1) The question of falling standards particularly in Higher Secondary Stages should be considered.	Government have appointed a committee on Higher Secondary Education. Its report is awaited. The Committee will also examine the question of proper co-ordination of three stages of education; Primary, Secondary and University and starting of English from class III in schools.
(2) The scheme of Vocational Guidance Burean should be implemented.	A Directortae of Vocational Guidance has been established.

COLLEGE AND UNIVERSITY EDUCATION

1. Abolition of High School Examination and introduction of three years' Degree Course.	Rajasthan is the first state to decide to abolish the Intermediate class and to switch over to the 3 years' Degree Course. Pre-University classes have been started in almost all the Colleges and all Inter Colleges execpt Dausa, Sardarshahar and Ganganagar (girls) have been upgraded .
2. Restrictions on admissions.	Decisions have been taken by the Govt. that the number of students in colleges at district headquarters should not go beyond 1,000 and at divisional Headquarter, it should not swell beyond 1,500. The report of the Committee on Basic Education is awaited .
3. The activities of the Sports should be extended to vi-	Govt. have appointed a committee to examine the issue . The first

	llage level and there should be proper co-ordination between the Planning Deptt. and the Education Deptt. in this respect.	time tournaments organised by the Development Department from the village level right upto the State Level. State tournaments for Sports were held at Jaipur in January, 60 and for Games at Pushkar.
4.	Faculties of Ayurved and Oriental Learnings should be started in the University.	The question is under correspondence with the University.

———

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक १५ अप्रेल, १९६०)

क्रमसंख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
...२३	१६	तक तक	तब तक
...३१	अन्तिम	: क्या मन्त्री	(सीकर) : क्या मन्त्री
...२२	२५	उपाध्यय	उपाध्याय
...२३	शीर्ष	,,	, ,,
...५	९	अनुसारह श्री रीराम	अनुसार श्री हरीराम
...१६	१८	एव	एवं
...२३९	१४	पोलीक्लिनिक	पोलीक्लिनिक
...२४३	२२	र जस्व मन्त्री	राजस्व मन्त्री
८२४९	५	o the	to the
८२५२	९	istrict	district
,,	२३	coin s but	coins but
८२६१	१७	रिप्रेजेन्टेटिस	रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़
८२६७	६	मेरे श्न	मेरे प्रश्न
,,	२४	श्री पूनमचन्द	श्री पूनमचन्द बिश्नोई
८२६८	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	भू-राजस्व इत्यादि विधेयक
,,	१९	Pleass con tinue	Please continue
८२६९	३	श्री वी[illegible]राराम	श्री [illegible]राराम
,,	१२	Shri Bhai Bhikha	Shri Bhikha Bhai
८२७०	२३	ओर आज	और आज
८२९[illegible]	शीर्ष	(श्री भीखाभाई)	(श्री हीराभाई)
,,	१७	नाजायड़	नाजायज़
८३००	२५-२६	immdiately	immediately
८३०४	१६	नालिय	नालियां
८३२९	९	मध्यान्त	मध्यान्ह
८३३०	१२	ciarification	clarification
८३३९	१९	constucted	constructed
८३५३	१५	लागनोवाला	लगाने वाला
८३५७	शीर्षक	राजस्थान भू-धारण	सिंचन विधेयक
८३५८	,,	(संशोधन विधेयक	भू-धारण विधेयक
८३५९	शीर्षक	भू-धारण	भू-धारण
,,	३	क्रिकल	क्रिटिकल
८३६०	७	रद्द	रद्दा
८३६२	१६	तो हमको	आयेंगे तो हमको
८३७३	२४	way b (	may be

१	२	३	४
८३७३	अन्तिम	recomm it	recommit
८३८२	अन्तिम	उज है	उज्र है
८३६०	३	दृष्टि	दृष्टि
,,	२६	ही गया	हो गया
८३६६	१७	जिन के लागों	जिन लोगों के
८४०३	१६	प्रोव्लस	प्रोब्लम्स
८४०८	११	मिलटरा मैन	मिलिटरी मैन
८४२०	शीर्षक	(संशोधम	(संशोधन)
,,	१६	टिनेसी	टिनेन्सी
८४२३	अन्तिम	विधालय	विद्यालय
८४४२	२	जौ रजु हुये	जो रजु हुये
८४४०	१५	र्माल कॉज	रमाल कॉज़